खण्ड–2, अंक–8
मंगलवार, 25 वैशाख, शक संवत् 1923
(15 मई, 2001 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(अनन्तिम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2001)

(खण्ड 2 में 10 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

मूल्य :

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क.
नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाये जाने का प्रयास ...	1
प्रश्नोत्तर	1–14
रानीखेत के गोल्फ ग्राउन्ड को पर्यटकों हेतु निषिद्ध न करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	14
लच्छीवाला रेलवे ओवर हैड ब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	15
विकास खण्ड नौगांव में सड़क बनवाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	15–16
घाड़ क्षेत्र के चार ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	16
बजट समितियों के गठन के संबंध में औचित्य का प्रश्न	16–18
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	18–20
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के विलम्ब से प्राप्त होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	20–21
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान मांगों को एक ही अनुदान संख्या में रखने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	21–23
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	23–41
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक की अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण अनुदान संख्या–15, समाज कल्याण.......... (स्वीकृत) ...	41–101
प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को मार्च/अप्रैल, 2001 का वेतन भुगतान न होने के संबंध में श्री अम्बरीष कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 मुख्यमंत्री का वक्तव्य	101–102

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को समाप्त न करने के संबंध में श्री इसम सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 मुख्यमंत्री का वक्तव्य	102–103
नवगठित उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी दोनों मण्डलों (कुमायूँ–गढ़वाल) के मध्य ही बनाये जाने के संबंध में श्री रघुनाथ सिंह चौहान, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री लाखी राम जोशी, श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा के नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा............(जारी)	103
उत्तरांचल राज्य की शिक्षा नीति रोजगार परक के संबंध में श्री इसम सिंह के नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा........(जारी)	103
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	103–104

निम्नांकित सभी माननीय सदस्य उपस्थित थे :-

1—श्री अजय भट्ट

2—श्री अम्बरीष कुमार

3—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश

4—श्री इराम सिंह

5—श्री केदार सिंह फोनिया

6—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा

7—काजी मो0 मोइउद्दीन

8—श्री के0 सी0 सिंह "बाबा"

9—श्री तिलक राज सिंह बेहड़

10—श्री तीरथ सिंह रावत

11—श्री नारायण सिंह राणा

12—श्री नारायण राम दास

13—श्री नित्यानन्द स्वामी

14—श्रीमती निरूपमा गौड़

15—श्री बिशन सिंह चुफाल

16—श्री भगत सिंह कोश्यारी

17—श्री भारत सिंह रावत

18—श्री मातबर सिंह कण्डारी

19—श्री मुन्ना सिंह चौहान

20—श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"

21—श्री रघुनाथ सिंह चौहान

22—श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"

23—श्री राजेन्द्र सिंह

24—श्री राम सिंह सैनी

25—श्री लाखी राम जोशी

26—श्री बंशीधर भगत

27—श्री सुरेश चन्द्र आर्या

28—श्री हरबंस कपूर

29—श्री ज्ञान चन्द

मंगलवार, दिनांक 15 मई, 2001 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे
अध्यक्ष श्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाये जाने का प्रयास

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, आज प्रदेश के अन्दर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसमें हमारी प्रार्थना है, 311 में हमने नौटिस दिया है कि आप कृपा पूर्वक सब नियमों को शिथिल करते हुए इस पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–311 के अन्तर्गत नहीं आता है। इस विषय को मैं नियम–56 में सुन रहा हूं। मा0 अम्बरीष कुमार जी ने उसको रखा है। (व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, जितनी अच्छी इस राज्य के अन्दर कानून व्यवस्था की स्थिति है उतनी किसी राज्य में नहीं रही।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 में मैं सुन रहा हूं इसमें आप भी अपना विचार रख दीजिएगा।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, ठीक है, धन्यवाद।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, साधारण सा प्रश्न हार्ट अटैक का, तीसरे शुक्र के तारांकित 4 में था ....

श्री अध्यक्ष–

मैं इसमें पूर्व में भी व्यवस्था दे चुका हूं कि जितने प्रश्न स्थानान्तरित हुए हैं, स्थगित हुए हैं, सूचना एकत्रित की जा रही है, सारे प्रश्न व्यपगत नहीं होंगे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

टिहरी बांध विस्थापितों से सम्बन्धित कार्यों में भारी लापरवाही के संबंध में

* 3–श्री लाखी राम जोशी–

क्या सिंचाई एवं ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल राज्य गठन के पश्चात् टिहरी बांध विस्थापितों से सम्बन्धित कार्यों में भारी लापरवाही बरती जा रही है ?

यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

यदि नहीं, तो पिछले तीन माह में विस्थापितों के पुनर्वासन कार्यों हेतु पुनर्वास निदेशालय को कितनी धनराशि प्राप्त हुई और प्राप्त धनराशि को पुनर्वास निदेशालय में पुनर्वास के किन–किन कार्यों में खर्च किया गया ? उसका विवरण क्या है ?

संसदीय कार्य, सिंचाई एवं ऊर्जा मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

माह नवम्बर उत्तरांचल राज्य गठन (08–11–2000) के पश्चात् माह जनवरी, 2001 तक पुनर्वास कार्यों हेतु रु0 22.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई तथा प्राप्त धनराशि का पुनर्वास कार्यों पर किये गये खर्चे का विवरण निम्न प्रकार है :–

1.	एक्सग्रेसिया	रु0 2.5 लाख
2.	विस्थापित भत्ता	रु0 0.31 लाख
3.	प्रोत्साहन भत्ता	रु0 0.12 लाख
4.	समपर्ण	रु0 8.51 लाख
5.	भूमि भवन प्रतिकरण	रु0 17.04 लाख
6.	निर्माण कार्य	रु0 205.08 लाख
7.	भूमि क्रय	रु0 15.00 लाख
8.	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	रु0 1690.00 लाख
9.	भूमि विकास, तारवाडर सिंचाई कार्य, पेयजल सुविधा, विद्युत संबंधी कार्य, सामुदायिक विकास सड़क निर्माण, बाढ़ सुरक्षा कार्य, भूमि अध्याप्ति कार्य एवं अन्य मद जैसे वाहनों का रख–रखाव, दूरभाष विद्युत बीजक, स्टेशनरी प्रिंटिंग, सुरक्षा गार्ड, कार्या0 एवं कालोनियों का रख–रखाव आदि पर व्यय	रु0 0261.36 लाख
	योग :	रु0 2199.92 लाख
		लगभग रु0 22.00 करोड़

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री लाखी राम जोशी का नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के संबंध में

* 5–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोई योजना बनायी जा रही है ?

यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के साथ ऊर्जा बटवारे के संबंध में अन्तिम निर्णय न होने के कारण इस पर योजना बनाया जाना सम्भव नहीं हो रहा है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कितने घंटे शहरी और नगरीय क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की जा रही और मैदानी क्षेत्रों में कितने घंटे नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की जा रही है और मान्यवर, मंत्री जी ने बताया योजना बनाया जाना सम्भव नहीं हो रहा है कि उ0 प्र0 के साथ ऊर्जा बंटवारे के संबंध में अन्तिम निर्णय क्यों नहीं हो पाया ? मान्यवर, अन्तिम निर्णय कब तक मा0 मंत्री जी करा लेंगे ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, ऊधमसिंह नगर में शहरी क्षेत्र में 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है और हरिद्वार क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रों में औसतन 22 घंटे और रुड़की नगरीय क्षेत्र में 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 12 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। शेष पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों सामान्य रूप से 16 से लेकर 18 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

मान्यवर, मैं अपने आपको माननीय सदस्य की भावनाओं से संबंध करते हुए कह सकता हूं कि बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि 13 तारीख को समझौता किया था, 3 महीने की अवधि रखी थी, मैं सोचता हूं कि 3 महीने पूर्व अर्थात् जून अन्त तक करायेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मेरे 2 प्रश्न हैं और एक प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि हरिद्वार क्षेत्र में आज विद्युत आपूर्ति खत्म है, माननीय मंत्री जी ने बताया 22 घंटे हैं। तो 22 घंटे तो है नहीं, आरती के समय ही मेन हरिद्वार की विद्युत आपूर्ति ठप्प हो जाती है और मान्यवर, वोल्टेज लो होने के कारण जितने हमारे पानी के पम्प हैं, उनमें से 50 प्रतिशत मुश्किल से चल पा रहे हैं, जिसके कारण पेयजल की भारी कठिनाई पैदा हो रही है। बिजली भी आ रही है, आपूर्ति भी हो रही है, लेकिन वोल्टेज है नहीं तो उस वोल्टेज को इम्प्रूव करा दें। क्या जल आपूर्ति जो बाधित हो रही है उसको ठीक कराने में सहायता प्रदान करेंगे और दूसरा मान्यवर, मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि हरिद्वार में जो अधिकारी विद्युत व्यवस्था के लिये जिम्मेदार हैं, वह बिना स्टेशन लीव लिये हरिद्वार छोड़कर चले जाते हैं, जिलाधिकारी भी ढूंढ़ते हैं तो वह नहीं मिलते हैं। क्या माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमानुसार बिना स्टेशन लीव लिये इस क्राइसेस के वक्त जो अधिकारी स्टेशन छोड़कर गये हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, जहां तक पहले प्रश्न का उत्तर है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैंने पहले भी सदन में सूचित किया है कि ए0पी0डी0पी0 के अन्दर हरिद्वार को हमने लिया है, रुड़की को लिया है। तो जल्दी हम लोग वहां की व्यवस्था को ठीक करने के लिए प्रयत्नशील हैं और मेरा विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में यह व्यवस्था सुधर जायेगी जहां तक दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर है कि अगर इस प्रकार की कोई घटना मेरे सामने लायेंगे तो मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, परसों जिलाधिकारी को कोई बिजली का अधिकारी ढूंढे नहीं मिला। जब हमारे वी0आई0पी0 हरिद्वार में थे तब बिजली ठप्प हो गयी उसकी जांच करा दें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने माननीय अम्बरीष जी के प्रश्न पर अपने उत्तर में बहुत स्पष्ट कहा कि 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना नहीं बनायी जा सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ ऊर्जा बटवारे के संबंध में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है, अन्तिम निर्णय न होने के कारण कोई योजना नहीं बनायी जा रही है। श्रीमन्, आपके भी संज्ञान में है, मा0 मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया अभी इसी सत्र के दौरान ऊर्जा से संबंधित प्रशासन और प्रबन्धन के अधिकार उत्तरांचल राज्य को दिये जा चुके हैं तो क्या प्रशासन और प्रबन्धन में विद्युत की आपूर्ति के घंटे निर्धारित करना सम्मिलित नहीं है ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, वस्तुतः मैं उसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं, क्योंकि पॉवर शेयरिंग पर मैंने अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया है। पॉवर शेयरिंग पर अन्तिम निर्णय अभी होना है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश –

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने ऊधमसिंह नगर के बारे में बता दिया। हल्द्वानी और नैनीताल के बारे में नहीं बताया। चलिये, आपने शेष पर्वतीय क्षेत्र में उसे जोड़ दिया । हल्द्वानी के भावर क्षेत्र में लो वोल्टेज और विद्युत न आने से पेयजल की भारी किल्लत है। आपको भी पता है और जनता का भी दबाव है। वहां से जैसे ही आप निकलिये आपको वहां पेयजल के लिये चक्कर काटते हुए लोग दिख जायेंगे, इसकी व्यवस्था करिये, लो वोल्टेज अगर ठीक हो जाये तो कम से कम लोग पानी कलेक्ट कर लेंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह मैं पहले बता चुका हूं कि 220 के0वी0 की लाइनें हल्द्वानी की किसी कारण से रुकी पड़ी हैं और मेरा प्रयास है कि बहुत जल्दी उन 220 के0वी0 की लाइनों को पूरा करवा देंगे और जब वह पूरा हो जायेगा तो समस्या हल हो जायेगी।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में विद्युत की आपूर्ति और डिमाण्ड के बीच में आज की तारीख में कितना गैप है ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, सामान्य रूप से उत्तरांचल को 500 मेगावाट बिजली से ऊपर की इन दिनों जरूरत पड़ती है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अन्तिम समझौता होने तक हम पुराने रोस्टर के हिसाब से चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी आपूर्ति सामान्य रूप से 150 मेगावाट की हमको जरूरत पड़नी चाहिए, जो हमको मिल रही है।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, इसमें दो राय नहीं कि कुछ थोड़ी सी बढ़ोत्तरी हमारे हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों, रुड़की और मंगलौर में भी हुई है लेकिन एक दिक्कत है कि जो पॉवर स्टेशन है, पहले जिला मुजफ्फर नगर, पुरकाजी में था, उससे हमारी बिजली आती थी। मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि पॉवर स्टेशन मंगलौर में बनवाने की कृपा करें, आपने आश्वासन भी दिया कि बनवाएंगे। हमारे यहां बिजली का टाइम तो बढ़ गया लेकिन बिजली कम हो गयी, तो क्या माननीय मंत्री जी पॉवर स्टेशन बनवायेंगे ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय काजी जी को मैं आश्वासन देता हूं, आपसे मैं मंगलौर के लिए पहले ही बोल चुका हूं इसलिए इसे जल्द से जल्द बनवायेंगे।

मनेरी भाली स्टेज द्वितीय परियोजना के अवशेष कार्य के सम्बन्ध में

* 6–श्री ज्ञान चन्द्र–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मनेरी भाली स्टेज द्वितीय जल विद्युत परियोजना का अवशेष कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

उत्तरकाशी जनपद में मनेरी भाली स्टेज–2 जल विद्युत परियोजना अविभाजित उत्तर प्रदेश का निर्माण राज्य विद्युत परिषद् एवं सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा था। धनाभाव के कारण वर्ष 1992 से इस परियोजना का निर्माण कार्य बन्द पड़ा है। निर्माण कार्य पुनः आरम्भ करने के लिए कई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं। उनका अध्ययन किया जा रहा है। यह परियोजना ज्वाइंट वेंचर में बनायी जाये या उत्तरांचल सरकार द्वारा स्वयं उत्तरांचल जल विद्युत निगम एवं सिंचाई विभाग के माध्यम से, इस पर निर्णय शीघ्र ले लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ज्ञान चन्द्र–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि कुछ बिन्दुओं पर अध्ययन किया जा रहा है। जिस परियोजना का कार्य लगभग 65 प्रतिशत पूरा हो चुका है, आखिर उसके किन बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है और कब तक यह अध्ययन कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मूल बिन्दु तो यह है कि हम चाहते हैं कि उत्तरांचल सरकार स्वयं मनेरी भाली, स्टेज–2 का कार्य शुरू करें। उसके लिए आर्थिक व्यवस्था क्या हो ? यह भी एक ऐसा बिन्दु है जिस पर अत्यधिक विचार किया जा रहा है। उसके बाद हम उन प्रस्तावों पर विचार करेंगे जो हमारे पास आये हैं। उनमें टी0 एच0 डी0 सी0 का भी ज्वाइंट वैंचर है, एन0 टी0 पी0 सी0 का भी ज्वाइंट वैंचर में प्रस्ताव है, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी हरियाणा और दिल्ली के साथ मिलकर ज्वाइंट वैंचर में प्रस्ताव है और हम स्वयं ही उसको शुरू करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगले एक–डेढ़ महीने में ही हम कोई निर्णय कर पायेंगे।

श्री ज्ञान चन्द्र–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कई संस्थाओं ने उसमें कार्य करने का प्रस्ताव दिया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी उत्तरकाशी में घोषणा भी कर चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम इस काम को तुरन्त प्रारम्भ करने जा रहे हैं, तो क्या टी0 एच0 डी0 सी0 या एन0 एच0 पी0 सी0 या विभागीय स्तर पर ही इस कार्य को करा रहे हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि हम स्वयं ही करना चाह रहे हैं, उसके लिए आर्थिक संसाधन जुटाने पड़ते हैं, हम इसके लिए समीक्षा कर रहे हैं। हम लोग नहीं कर पायेंगे तो ज्वाइंट वैंचर में हमारा ऑप्शन खुला हुआ है, हम उनसे करवाएंगे।

श्री ज्ञान चन्द्र–

मान्यवर, कोई निश्चित तिथि माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री अध्यक्ष–

शीघ्रातिशीघ्र कह दिया उन्होंने।

टिहरी बांध विस्थापितों हेतु हरिद्वार जनपद की कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण

*7–श्री राम सिंह सैनी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि टिहरी बांध के विस्थापितों हेतु हरिद्वार जनपद की कृषि योग्य भूमि अधिग्रहीत की जा रही है ?

यदि हां, तो कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण न करके कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

जी हां।

शासन इस दिशा में प्रयासरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, हरिद्वार जनपद के किस–किस ग्राम की कितने एकड़ भूमि शासन के अधिग्रहण के लिए विचाराधीन है ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, अभी जो प्रस्ताव है उसके अनुसार :

1. ग्राम बेहड़पुर की 609.32 एकड़ भूमि, जिसमें धारा 6 की विज्ञप्ति हो चुकी है।
2. ग्राम हसनवाला की 453.038 एकड़ भूमि, जिसमें धारा 4 की विज्ञप्ति हो चुकी है।
3. ग्राम खेड़ी शिकोहपुर की 247.422 एकड़ भूमि, जिसमें धारा 4 की विज्ञप्ति हो चुकी है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि किसी को उजाड़ कर किसी को बसाया नहीं जाना चाहिए, इसकी स्थिति आज क्या है मैं जानना चाहता हूं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैंने भी सदन में कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि किसी को उजाड कर बसाया नहीं जायेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि हम किसी को उजाड कर नहीं बसायेंगे, लेकिन हमें आपका सहयोग चाहिए। मुझे पता है कि आपके मन में उजाडे गये लोगों के प्रति विशेष सहानुभूति है। आपने यहां से टिहरी तक यात्रा की है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हू कि जो छोटे–छोटे काश्तकार हैं, जिनके पास कम भूमि है जब उनकी भूमि ले ली जायेगी तो क्या आपके विचार से वे उजडे की श्रेणी में नहीं आते हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हू कि अभी इस दिशा में कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके सहयोग की कामना कर रहा हूं।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने बेहड़पुर, हसनपुर, खेड़ी शिकोहपुर में जितने एकड़ जमीन बतायी जिसके लिए धारा 4 क्रय एक्ट के अन्तर्गत मा0 मंत्री जी ने करायी है ये जमीन ग्राम सभा की है, सीलिंग की है, जगंल की है या किसानों के स्वामित्व वाली है ?

श्री अध्यक्ष–

यह जमीन किस–किस प्रकार की है यह बतायें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह सभी कृषि योग्य भूमि है सामान्य रूप से इसमें कृषि योग्य भूमि ज्यादा है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैंने कहा मिल्कियत किस की है, मालिक कौन है, इसकी ग्राम सभा है, या जो सीलिंग से बची है वह है, या जंगल विभाग की है या किसानों की व्यक्तिगत है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इसमें विस्तृत रूप से, जितने आपने कहे, उतने आंकड़े अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप कक्ष में उपलब्ध करा दें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, ने प्रश्न के द्वितीय भाग में है, यदि हां, तो कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण न करके इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे ? मा0 मंत्री जी ने कहा शासन इस दिशा में प्रयासरत है। तो आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय या पशुलोक फार्म, ऋषिकेश की जो भूमि है क्या उसको अधिग्रहीत करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो हरिद्वार से संबंधित है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मा0 सदस्य तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, मैं बता रहा हूं हम लोग प्रयत्नशील हैं। पंतनगर में हमारी सरकार चाहती थी कि टिहरी के लोग वहां जाकर बसें किन्तु उन्होंने अत्यन्त दूर उसको बताया है। हम उन लोगों की अल्टरनेट व्यवस्था कर रहे हैं। पशुलोक ऋषिकेश और पथरी की जो हमारी वन विभाग की जमीन है उसके बारे में हमने कार्यवाही शुरू कर दी है। फिर पंतनगर में जमीन लेकर हम उसका वृक्षारोपण करेंगे यह व्यवस्था अभी विचाराधीन है।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, टिहरी वासियों को बसाने के लिए कुछ दिन से यह मामला चल रहा है। बनारसी दास सरकार में वन विभाग मेरे पास था और उस वक्त शासन ने तय किया था कि इनके लिए 100 एकड़ जंगल कटवाया गया और इसके अतिरिक्त जिला हरिद्वार से कोई भूमि उन लोगों को नहीं दी जायेगी, किसी और जिले में दी जायेगी। एक प्रश्न तो मान्यवर, मेरा यह है कि क्या वह शासनादेश खत्म कर दिया गया ? दूसरा प्रश्न मान्यवर, यह है कि आप जो यह कर रहे हैं कि माननीय सैनी जी और अन्य लोग इसे आगे बढ़ाने की बात करेंगे। तो मान्यवर, जिला मुजफ्फरनगर में आपका शहीद स्थल है, जहां उत्तरांचल वासियों ने जेहाद किया था, जान दी थी, मारे गये थे, शहीद हुए थे। क्या उसको भी लेने का प्रस्ताव करेंगे ताकि उन शहीदों का सम्मान हो सके, उनकी यादगार बन सके।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आप अलग से प्रश्न लेकर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 राजेन्द्र जी, ये हरिद्वार जनपद से संबंधित है। ये स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, केवल मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा बताइये।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जमीन की किस्म एक ही है। सर्किल ऑफ रेट अलग–अलग होने की वजह से किसानों में विरोध है। क्या सभी का सर्किल एक करके सबको एक जैसी कीमत दिलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसमें ऐसा है मा0 राजेन्द्र जी, मैंने आपकी बात सुन ली है। यह इस प्रश्न के दायरे में नहीं आ रहा है, इसको समाप्त किया जाये।

ऊर्जा विभाग में प्रशिक्षुओं का विभाग में समायोजन

* 9–श्री हरबंस कपूर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ऊर्जा विभाग में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं का विभाग में समायोजित करने की कोई योजना है ?

यदि हां, तो कब तक प्रशिक्षुओं को समायोजित कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विद्युत प्रशिक्षुओं को विभाग में रिक्त पदों पर उनकी योग्यतानुसार समायोजित करेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

यदि हां, तो कब तक ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षुओं के समायोजन पर विचार रिक्तियों के विरुद्ध नई नियुक्तियां किये जाने के समय किया जाता है। उत्तरांचल में ऊर्जा निगम के ढांचे को अन्तिम रूप देने एवं तदनुसार रिक्तियों की स्थिति ज्ञात कर समायोजन पर विचार सम्भव होगा।

जी हां, नई नियुक्तियों के समय समायोजन पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नई नियुक्तियां किये जाने के अवसर पर।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था, ऊर्जा विभाग में प्रशिक्षुओं के विभाग में समायोजन करने की कोई योजना है ? माननीय मंत्री जी ने कहा, जी नहीं, मान्यवर, जो प्रशिक्षित प्रशिक्षु हैं, कई वर्षों तक अपने समायोजन के लिए मांग करते आये हैं और विभाग में रिक्तियां भी हैं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 कपूर साहब, इन्होंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि अभी नया ढांचा बन रहा है, अन्तिम रूप देने की कार्यवाही चल रही है, उसमें नियुक्तियों में समायोजन किया जायेगा।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी ये बतायेंगे कि वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुरूप हमारे पास तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कितने स्थान रिक्त हैं, और कितने प्रशिक्षित प्रशिक्षु हैं ? मान्यवर, यह इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि सैकड़ों स्थान रिक्त होने के पश्चात् भरे नहीं गये।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

श्रीमन्, आपने पूरी संख्या पूछी है। मैं संख्या आपको बाद में बता दूंगा मैं उसकी जानकारी ले रहा हूं कि कितनी जगह खाली है। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में एक आंशिक संशोधन कराया, सम्भवतः आपने भी उसका संज्ञान लिया होगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रशिक्षुओं के सेवायोजन की जगह समायोजन पढ़ा जाये, समायोजन पर विचार रिक्तियों के विरूद्ध नई नियुक्ति किये जाने के समय किया जायेगा। तो, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रिक्तियों के अवसर उत्पन्न होने पर, ढांचा तैयार होने पर, प्रशिक्षुओं के समायोजन पर विचार करेगी या नियुक्तियों पर विचार करेगी ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैंने उत्तर में बोल दिया है, ज्यों ही हमारा ढांचा तैयार हो जायेगा उसी समय नियुक्तियां करने के लिए विचार करेंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, आपने बाकायदा आंशिक संशोधन करा दिया है, आपने कहा प्रशिक्षुओं का सेवायोजन न पढ़ा जाये बल्कि समायोजन पढ़ा जाये।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

प्रश्न यही था इसलिए वही उत्तर दिया गया और बाद में इसको स्पष्ट कर दिया गया।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा, आपका भी संज्ञान चाहिए। हो सकता है कि माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें। मान्यवर, सामान्यतः जो हम मानते हैं, समायोजन उनका माना जाता है, जो किसी न किसी सेवा में हो और नियुक्त वो हैं, जिनका नियुक्त में कोई क्लेम नहीं था।

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने प्रश्न किया है, क्या प्रशिक्षुओं को समायोजित कर लिया जायेगा ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, चूंकि बिजली विभाग के प्रशिक्षु, बिजली विभाग में ही अप्रेन्टिस करते हैं, मैंने इसलिए पूछा।

श्री अध्यक्ष–

इस पहले वाले उत्तर को आप पढ़िये। उसमें इन्होंने उत्तर में दिया है, समायोजन पर विचार नयी नियुक्तियों के समय किया जाता है। अब ये नयी नियुक्तियां करेंगे, जब इनका ढांचा पूरा हो जायेगा।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, इसका मतलब ये हुआ कि समायोजन नहीं, रिक्तियों पर विचार किया जायेगा।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैंने यह इसलिए कहा कि जो अप्रेन्टिस के लोग हैं, सरकार की मजबूरी नहीं है कि उनको नियुक्त करें। मैं पहले भी सदन में बता चुका हूं, जब आपने अप्रेन्टिस की बात की थी। नयी नियुक्तियों में उनके बारे में भी विचार किया जायेगा।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से जो स्थान रिक्त हुए हैं, चाहे वो पोल पर चढ़ने वाला लाईनमैन हो, अगर उसकी किसी कारण से मृत्यु हो गयी तो उसकी पत्नी को मृतक आश्रित के रूप में पानी पिलाने के लिए रख लिया जाता है लेकिन काफी समय से इस प्रकार की नियुक्तियां नहीं हुई। अगर कोई कर्मचारी रिटायर हो गया तो उसके स्थान पर भी कोई नियुक्ति नहीं हुई है। तो इस प्रकार से सामान्य जीवन से जुड़ी समस्याएं विकट रूप धारण कर रही हैं। उनके समाधान की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो कहा, ढांचा तैयार किया जा रहा है, उसमें कितना समय लग जायेगा ? क्या इन नियुक्तियों में प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता के आधार पर रखा जायेगा ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम चाहते हैं कि यह जल्दी से जल्दी पूरा हो जाय। जहां तक प्रशिक्षुओं को वरीयता दिये जाने की, तो सामान्य रूप से व्यवस्था है, उनको वरीयता दिये जाने की।

अतारांकित प्रश्न

टिहरी जनपद में खनन पट्टे के निष्पादन के सम्बन्ध में

1–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिहरी जनपद में वर्ष 2000–2001 में कितने खनन पट्टे निष्पादित किये गये ?

उक्त जनपद में ही बादल नदी व नलू खाला का खनन पट्टा किस–किस के नाम निष्पादित किया गया ?

क्या उक्त खनन पट्टे शासन की नीति के अनुसार जारी किये गये ?

यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन, औद्योगिक विकास मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 2000–2001 में उप–खनिज बोल्डर, बजरी, बालू के चुगान/खनन हेतु कुल 03 खनन पट्टे तथा 16 अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत किये गये।

बादल नदी व नलू खाला उप–खनिज क्षेत्र का खनन पट्टा श्री कुलदीप सिंह एवं श्री योगराज सिंह ग्राम मियावाला पो0 हर्रावाला, देहरादून के नाम निष्पादित किया गया।

जी हां। परन्तु ग्रामवासियों के अनुरोध पर जनहित में पट्टे जिलाधिकारी द्वारा निरस्त किये।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आरक्षित जाति हेतु चलाये जा रहे प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केन्द्रों की उपयोगिता के संबंध में

2–श्री राम सिंह सैनी–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति अनु0 जनजाति तथा पिछड़ी जाति हेतु चलाये जा रहे प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केन्द्रों की उपयोगिता का आंकलन किया गया है ?

यदि हां, तो इन केन्द्रों में अब तक कितने अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु भर्ती किये गये तथा कितने–कितने सेवायोजित हुए हैं ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

जी हां।

उत्तरांचल में संचालित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों में अब तक भर्ती किये गये प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या 3998 है, तथा इनमें से स्वतः नियोजित/सेवायोजित अभ्यर्थियों की संख्या 976 है।

वि0 खण्ड बहादराबाद के ग्राम खेलडी बेगमपुर ग्रामों के किसानों की सिंचाई संबंधी शिकायतें

3–श्री राम सिंह सैनी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड बहादराबाद जनपद हरिद्वार के ग्राम खेलड़ी बेगमपुर ग्रामों के किसानों ने सिंचाई संबंधी शिकायतों को लेकर सिंचाई मंत्री, मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र भेजे थे ?

यदि हां, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

विकास खण्ड बहादराबाद जनपद हरिद्वार के ग्राम खेलड़ी बेगमपुर के किसानों द्वारा सिंचाई संबंधी शिकायतों के संबंध में कोई मांग पत्र प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

टिप्पणी करना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का क्रम समाप्त हुआ।

नियम 301 की सूचनाएं

रानीखेत के गोल्फ ग्राउण्ड को निषिद्ध क्षेत्र घोषित न करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, रानीखेत (अल्मोड़ा) में स्थित पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र तथा प्रसिद्ध फिल्मों की शूटिंग सम्पन्न कराने वाला ऐतिहासिक गोल्फ ग्राउन्ड अब पर्यटकों के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ब्रिटिश शासनकाल में रानीखेत क्लब की स्थापना के साथ ही नगर से 1 कि0मी0 दूर अल्मोड़ा रानीखेत मार्ग पर सैकड़ों एकड़ में फैला यह गोल्फ ग्राउन्ड पर्यटकों के मुख्य आकर्षण का केन्द्र रहा है। इस क्लब के अन्तर्गत बना बिलियर्ड रूम एवं सुसज्जित लाइब्रेरी अपना विशेष आकर्षण संजोये पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। गोल्फ ग्राउन्ड को अचानक निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिये जाने से रानीखेत का पर्यटन प्रभावित हुआ है।

मैं शासन का ध्यान इस ऐतिहासिक गोल्फ ग्राउन्ड को पर्यटकों को सुलभ कराने की ओर आकर्षित करती हूं।

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत दूसरी सूचना माननीय बिशन सिंह चुफाल जी की है लेकिन मैं इसे पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। क्योंकि यह व्यक्तिगत हित है लेकिन चूंकि आपकी ये पहली सूचना है। इसलिए इसे आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं और एक आग्रह के साथ भेज रहा हूं कि अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्नों को ही नियम 301 के माध्यम से उठाया जाय।

लच्छीवाला के पास रेलवे ओवर हैड ब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह –

मान्यवर, राष्ट्रीय राजमार्ग–72, हरिद्वार–देहरादून मार्ग में लच्छीवाला रेलवे ओवर हैड ब्रिज जिसके नीचे गाड़ियों के चलने के लिए जो पुल निर्मित है, की ऊंचाई कम होने के कारण गन्ने के ट्रकों, बसों की छतों पर रखे सामान तथा अत्यधिक ऊंचाई वाले वाहनों के पुल के नीचे निकलते समय पुल से टकराने के कारण जनता का अत्यधिक नुकसान हो जाता है तथा कई बार गम्भीर दुर्घटनाएं भी हो जाती है। जिससे जनहानि भी हो जाती है। कभी–कभी पुल की चौड़ाई कम होने के कारण कई–कई घंटे जाम लग जाता है। उक्त पुल जिसके ऊपर रेलवे लाईन है की ऊंचाई व चौड़ाई बढ़ाने के लिए जनता द्वारा समय–समय पर मांग की जाती रही है। क्षेत्रीय जनता द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि उक्त पुल के बायीं छोर से मिस्सरवाला होते हुए चांदमारी, जोकि डोईवाला–दूधली मार्ग पर है, तक मार्ग निर्माण कर दिया जाये जिसकी लम्बाई लगभग 2 किलोमीटर होगी। इससे भी ऊंचे वाहनों की समस्या का समाधान हो सकता है। जनता की उक्त दोनों मांगों में से किसी एक को शीघ्र पूरा करने से समस्या का समाधान हो सकता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व की इस सूचना पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

विकास खण्ड नौगांव में सड़क बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, विकास खण्ड नौगांव (जनपद उत्तरकाशी) का गोडर, खाटर तथा सेवरी–नौगांव क्षेत्रों के लगभग 40 गांवों में दूर–दूर तक सड़कों की सुविधा नहीं है। जिसके कारण इस लम्बे–चौड़े क्षेत्र के निवासियों को अत्यधिक मानवीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

गोडर पट्टी के 27 ग्राम तथा खाटर क्षेत्र के 11 ग्रामों में सड़कों की कोई सुविधा न होने के कारण बीमारी की हालत में चिकित्सा सुविधा तक नहीं मिल पाती। वहीं नकदी फसलों आलू , टमाटर तथा मटर आदि का उत्पादक यह क्षेत्र अपनी उपज का लाभ अत्यधिक परिवहन लागत (घोड़ा–खच्चर या हेड लोड ढुलान करना पड़ता है) के कारण नहीं ले पा रहे हैं और इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई है। लगभग 40 किलोमीटर सड़क की तत्काल आवश्यकता है। इसी प्रकार नौगाव–सेवरी क्षेत्र सेब उत्पादन की दृष्टि से एशिया में सबसे अच्छा क्षेत्र होने का गौरव हासिल कर चुका है। लगभग 4.0 लाख बॉक्स सेब उत्पादन इस क्षेत्र में होता है और लगभग 15–20 करोड़ का कारोबार इस पर आधारित है लेकिन यहां भी 10 से 15 किलोमीटर पैदल रास्ता है। सड़क की तत्काल आवश्यकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तत्काल कार्यवाही के उद्देश्य से सदन में सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं।

घाड़ क्षेत्र के चार ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कर शासन से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं। प्राकृतिक आपदाओं एवं विपदाओं से घिरे जनपद हरिद्वार के घाड़ क्षेत्र में वैसे तो सम्पूर्ण घाड़ क्षेत्र के लगभग 10 हजार से अधिक आबादी वाले 4 टोंगिया ग्राम आजादी के 54 वर्षों बाद भी राजस्व ग्राम घोषित न होने के कारण मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामवासी नारकीय जीवन जीने को विवश हो रहे हैं। आजाद भारत में इनको पक्का मकान बनाने की इजाजत नहीं है। चारों गांव हजारा टोंगिया, हरीपुर टोंगिया, रसूलपुर टोंगिया, टीरा टोंगिया को लम्बे संघर्ष के बाद मताधिकार के प्रयोग का अवसर तो मिल गया, परन्तु यह लोग न तो अपना प्रधान ही चुन सकते हैं और न अपने जन प्रतिनिधियों को मिलने वाली विधायक एवं सांसद निधि के धन से समस्याओं से निजात पाने का इनको आज तक लाभ ही मिल पाया है। जबकि हरीपुर टोंगिया ग्राम की 5000 जनसंख्या में 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। इन ग्रामों में न कोई प्राथमिक विद्यालय है और न कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। इन ग्रामों में विद्युत व्यवस्था नहीं है। पेयजल के नाम पर एक–दो कुएं हैं, जो गर्मी शुरू होते ही सूख जाते हैं। दो नदियों के बीच बसे टीरा टोंगिया गांव की स्थिति इससे कम नहीं है। यहां विद्युत विभाग द्वारा कई वर्ष पूर्व विद्युत पोल पूरे गांव में लगाये गये थे, परन्तु वन विभाग के अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप कर तार लगाने से रोका गया है। अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि इस घाड़ क्षेत्र के इन चार ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाये।

श्री इसम सिंह–

मान्यवर, मान्यवर, मेरी भी 301 की सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

वह ग्राह्यता के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए मैं उसे नहीं सुनूंगा।

बजट समितियों के गठन के संबंध में नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, बजट पर सामान्य चर्चा के समय एक प्रश्न उठा था। वह प्रश्न यह था कि एक–एक दिन में हम 10–11 बजट पारित करते हैं। जैसा आपकी पीठ से प्रस्ताव किया गया। कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए हमें बहुत कम समय मिलता है। विधान सभा सत्र बजट के लिए जितना लम्बा होना चाहिए, उतना लम्बा नहीं हो पाता जिसके कारण सभी सदस्य चर्चा में जो उपयोगी सुझाव हैं, वे नहीं दे पाते। उनको पर्याप्त समय अपने विचारों को रखने के लिए भी नहीं मिल पाता है। मान्यवर, यही स्थिति हमारी सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा की भी है। लोगों को समय नहीं मिलता था, बजट पर दो–दो दिन चर्चा होती रहती थी।

मान्यवर, वहां पर एक सुझाव आया उस सुझाव को अमली जामा भी पहनाया गया। बजट कमेटियां वहां बना दी गयी और मान्यवर, इस संबंध में हमारे विधान मण्डल विधान सभा उ0प्र0 की एक समिति नियम 200 के अन्तर्गत बनी थी जिसमें इसका पूरा अध्ययन किया गया था। उस समिति से बात करते हुए मान्यवर, श्री शिवराज पाटिल जी, जो हमारे लोक सभा के अध्यक्ष रहे, ने 3-4 चीजें कही थी कि बजट पर सामान्य विचार विमर्श के बाद हर मिनिस्ट्री का बजट संबंधित मंत्रालय को चला जाता है। इन बजट समितियों का पहला कार्य यह होता है कि जो बजट दिया जा रहा है उस समय अमुक मद में जो पैसा दिया गया है उस मद में विगत वर्ष में कितना दिया गया, खर्च हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। मान्यवर, एक प्रकार से यह मॉनीटरिंग का काम भी यह कमेटी करती है। मान्यवर, दूसरा इसका जो उद्देश्य है, यह है जो बजट सामने है उस पर विचार करके यह कमेटी अपने सुझाव शासन को भेज देती हैं जो शासन को ठीक लगते हैं, शासन उनको स्वीकार कर लेता है। मान्यवर, इससे यह समस्या भी नहीं होती कि इतने दिन सत्र चलना ही है और कमेटियों ने अपना कार्य शुरू कर दिया। सबसे बड़ा लाभ इसका यह भी है मान्यवर, जो बहुत से बिल, अधिनियम हम बनाते हैं या विधि का निर्माण करते हैं वह भी उन कमेटियों को भेज देते हैं। इस पर विचार-विमर्श हो जाता है एक आम राय बन जाती है और आम राय बनने के बाद जब यह सदन में प्रस्तुत होते हैं, वह ज्यादा प्रतिनिधित्व वाले होते हैं और आसानी से हम उन को पास भी करा लेते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है और आपसे मैं इसकी व्यवस्था भी चाहता हूं कि जब हमारी मजबूरी है, सदन को हम कम बुलाते हैं तो सदस्यों को व्यापक विचार विमर्श का अवसर अनुदान मांगों पर मिल सके इस प्रकार अगर बजट समितियां बन जाय। इनको बनाने का अधिकार आप ही को रहेगा। आप ही उनके सभापति नियुक्त करेंगे, आप ही उनके सदस्यों का निर्धारण करेंगे। उ0 प्र0 में पूरी रिपोर्ट इसकी आई थी इसमें और विशेष कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है। तो मान्यवर, इस प्रकार औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था आ जाय यह मेरा आपसे अनुरोध है।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)-

मान्यवर, वैसे औचित्य का प्रश्न तो नहीं है लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है आप समितियां बना लें।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय समितियों के गठन की कोर्यवाही चल रही है। जिस तरह का प्रस्ताव आया था विभागों से संबंधित जो स्थायी समितियां हैं उसका गठन, उसके पश्चात् यथा समय करने का प्रयत्न किया जाय। पहले समितियों का गठन कर लेते हैं।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, हमारे जो नेता सदन हैं, मान्यवर, ये विधान परिषद् में थे इनके विचार इस रिपोर्ट में थे जो इस समिति के संबंध में आये थे। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है जिन समस्याओं के बारे में आपने व्यवस्था दी वह प्रस्ताव तो परसों आ चुका और मैंने ही नियम 300 के अन्तर्गत पूरी व्यवस्था चाही थी और आप ने इस पर व्यवस्था भी की थी आज पुनः व्यवस्था दे दी । लेकिन इन्होंने संसदीय समितियों की बजेटरी कमेटीज के बारे में जो अपनी बात कही जिसमें विधान परिषद् के सभापति की हैसियत से मा0 नेता सदन ने अपने विचार प्रस्तुत किये अगर आज्ञा दें तो मैं उनको भी उद्धृत कर दूं। अब मेरा आपके

माध्यम से यह अनुरोध है कि जो विचार मा0 नेता सदन के थे, उस पर कायम रहते हुए अपनी सहमति दे दें। आपको यह अधिकार दे दें तो इससे हमारा काम तो चल जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

मा0 अम्बरीष जी इसमें व्यवस्था दे दी है। सदन के गठन की कार्यवाही चल रही है इसे हम एक–दो दिन में पूरा कर देंगे और इसके बाद यथा समय इसे देख कर प्रयत्न कर लिया जायेगा।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, नेता सदन की तो कच्ची टिकिया है, उनके विचार तो बदलते रहते हैं उनकी शिकायत ही क्या है ?

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 11 मई, 2001 में सदन का दिनांक 15 मई, 2001 से 18 मई, 2001 तक का कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया है :–

15 मई, 2001 मंगलवार

1–मा0 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री से सम्बद्ध विभागः

(1) अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

2–मा0 उद्यान मंत्री से सम्बद्ध विभागः

(1) अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाएं एवं उद्यान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

3–श्री इसम सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य की शिक्षा नीति रोजगारपरक हो।"

16 मई, 2001 बुधवार

1–मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री से सम्बद्ध विभागः

(1) अनुदान संख्या–27, वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

2–मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी से सम्बद्ध विभाग,

(1) अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

3–डा0 इन्दिरा हृदयेश द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के उत्थान एवं विकास हेतु किसी कल्याण बोर्ड अथवा निगम की स्थापना की जाय।"

17 मई, 2001 गुरुवार	1–मा0 पर्यटन, औद्योगिक विकास, विज्ञान एवं तकनीकी, श्रम एवं सेवायोजन, तीर्थाटन तथा धर्मस्व कार्य मंत्री से सम्बद्ध विभाग: (1) अनुदान संख्या–16, श्रम एवं रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। (2) अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। (3) अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। 2–मा0 वित्त, संस्थागत वित्त, राजस्व एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से सम्बद्ध विभाग: (1) अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। 3–मा0 कृषि मंत्री जी से सम्बद्ध विभाग: (1) अनुदान संख्या–17, कृषि, कर्म एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर मांग चर्चा एवं मतदान। 4–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :– "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में कार्यरत सरकारी शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को, पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप, पद से पद की समानता के आधार पर वेतनमान अनुमन्य किये जायें।"
18 मई, 2001 शुक्रवार	असरकारी दिवस (आधा दिन) 1–मा0 मुख्यमंत्री से सम्बद्ध विभाग: (1) अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। 2–मा0 वित्त मंत्री से सम्बद्ध विभाग: (1) अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। 3–मा0 कृषि मंत्री से सम्बद्ध विभाग: (1) अनुदान संख्या–18, सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। 4–मा0 पशुपालन मंत्री से सम्बद्ध विभाग: (1) अनुदान संख्या–28, पशुपालन संबंधी कृषि कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

5–शेष विभागों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान (मानवाधिकार एवं राष्ट्रीय एकता) (मा0 मुख्यमंत्री)

6–उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2001 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण। (मा0 वित्त मंत्री)

ऊर्जा, सिंचाई एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों का विलम्ब से प्राप्त होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आज जो कार्यमंत्रणा की सिफारिश आई इसमें अभी सदन ने स्वीकृति भी दी। आज बजट के जिन मदों पर चर्चा है, उनमें चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री से सम्बद्ध विभाग अनुदान संख्या–12, अनुदान संख्या–15 हैं। मान्यवर, इससे जो पूर्व कार्यमंत्रणा की सिफारिशों के आधार पर सूचना हम लोगों को दी थी, उसमें आज 15 मई, मंगलवार को श्रम एवं रोजगार विभाग की मांग पर चर्चा तथा अनुदान था। मेरा अनुरोध आपसे यह है कि जब सदन की समाप्ति के पश्चात् शुक्रवार को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई और आज जब सदन शुरू हुआ तो कार्यमंत्रणा की सिफारिश आपके माध्यम से प्रस्तुत हुई उसको सदन ने स्वीकार कर लिया। लेकिन परेशानी यह है कि आज जो निर्धारित बजट है, हम लोगों की तैयारी उस पर नहीं थी। हम लोगों को नहीं मालूम कि कार्यमंत्रणा समिति में क्या तय हुआ और आज बजट आ गया। दूसरा, यह चर्चा और बहस केवल औपचारिक तो नहीं है, हम लोग यह चिन्तन करते हैं, विचार करते हैं कि जो जनता के हित की बात है, बजट पर उन चीजों को रख सकें, तो यह कैसे सम्भव है। आज सुबह 10 बजे हम लोगों को पता चला कि दूसरे बजटों पर चर्चा है तो उन पर हम अपने विचार कैसे रख पायेंगे, यह औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कार्यमंत्रणा समिति ने डिसाइड किया है, यह विशेष परिस्थितियों में हुआ है।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, मैं एक निवेदन कर दूं, कार्यमंत्रणा समिति में माननीय नेता समाजवादी पार्टी, माननीय नेता, कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। जब नेता ने कोई बात स्वीकार कर ली तो यह नेता का कर्तव्य है कि वह आप को बतायें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि अगर नेता दल ने नहीं बताया तो नेता सदन बता देते। वह पूरे सदन के नेता हैं।

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान मांगों को एक ही अनुदान संख्या में रखने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। मैंने उसकी लिखित सूचना आपके संज्ञान हेतु प्रस्तुत की है। श्रीमन्, आज जो 15 तारीख के लिए कार्यक्रम निर्धारित हुआ है, उसमें अनुदान मांगों पर चर्चा का भी विषय है। अनुदान मांगों पर जो चर्चा का विषय निर्धारित है, उसमें पहले है, अनुदान संख्या–12, माननीय चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री से सम्बद्ध विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, इस अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, जबकि श्रीमन्, चिकित्सा शिक्षा सरकार का एक पृथक विभाग है। जिसके अन्दर आयुर्वेद, होम्योपैथी वगैरह दूसरे विभाग भी आते हैं। इतना ही नहीं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री पृथक से प्रभारी भी हैं और जो अनुदान मांगें प्रस्तुत की गयी हैं, उसमें अनुदान संख्या–12 के अन्दर चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत ही चिकित्सा शिक्षा विभाग की भी जो अनुदान मांगें हैं, उनको समायोजित कर लिया गया है। तो श्रीमन्, जो पृथक रूप से एक विभाग है और जिसका अपना स्ट्रक्चर है, जिसका अपना बजट है, जिसके अलग से राज्य मंत्री किसी अंश के प्रभारी हों तो समझ में आयेगा। कैबिनेट मंत्री अपनी सहमति से विभाग का कोई काम विशेष उनको सौंप सकते हैं लेकिन कैबिनेट मंत्री स्वयं विभाग के प्रभारी होते हैं, तो उसको किसी प्रकार शेयर करने की बात तो है नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री अलग हैं तो क्या चिकित्सा शिक्षा विभाग की अलग से कोई अनुदान मांग नहीं होनी चाहिए। यह गम्भीर औचित्य का प्रश्न है और जिस विभाग की अलग से कोई अनुदान मांग ही नहीं तो उस विभाग का क्या औचित्य ? श्रीमन्, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, जिस समय यह कार्यक्रम बनता है, यह कृपापूर्वक आपके कार्यालय में बनता है और माननीय चिकित्सा मंत्री भी मांग प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे यहां कोई दिक्कत नहीं है। सामान्यतः तो चिकित्सा शिक्षा एक अलग विभाग है लेकिन चिकित्सा मंत्री अगर दोनों मांगें प्रस्तुत कर दें तो कोई हर्ज नहीं।

श्री अध्यक्ष–

अनुदान मांगे जितनी भी आती हैं, यह वित्त विभाग से हमारे कार्यालय में आती हैं, उसके बाद यह निर्धारित किया जाता है, फिर कार्यमंत्रणा में तय किया जाता है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हू कि प्रस्तुत कौन करे, प्रस्तुत तो कलेक्टिव रिस्पांसबिलिटी है, कैबिनेट की। सारी अनुदान मांगें कोई भी मंत्री किसी भी विभाग की अनुदान मांगें प्रस्तुत कर सकते हैं, माननीय नेता सदन किसी के बदले का जवाब दे सकते हैं। कोई भी माननीय मंत्री किसी दूसरे विभाग के बदले का जवाब दे सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं है। मेरा तो कहना यह है कि जब चिकित्सा शिक्षा अलग एक विभाग है और एक कैबिनेट मंत्री आदरणीय निशंक जी सम्भवतः, जहां तक मेरी जानकारी में है, वो चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री भी हैं और चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के माननीय मंत्री अलग हैं। तो क्या जबकि ये दोनों अलग–अलग विभाग हैं, इनकी अनुदान मांगें अलग–अलग नहीं होनी चाहिए।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, यह एक तकनीकी त्रुटि है, जिसे हम क्लेरिकल मिस्टेक कहते हैं। जिस दिन वित्त मंत्री जी अपनी अनुदान मांगे प्रस्तुत करेंगे, उस दिन चिकित्सा शिक्षा की भी अनुदान मांगें प्रस्तुत कर देंगे। इसको हम अगली कार्यमंत्रणा में तय कर लेंगे।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं राजस्व मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, चिकित्सा विभाग की अनुदान संख्या एक ही है, जिसके अन्दर चिकित्सा, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा आते हैं। चूंकि दोनों एक ही अनुदान संख्या के अन्तर्गत आते हैं, इसलिए इनको अलग–अलग प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं।

श्रीमन्, जहां तक माननीय सदस्य का कहना है, जब यह प्रस्तुत हो जायेगा, चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा पर साथ–साथ ही चर्चा होनी है। मैं जवाब दे दूंगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, चिकित्सा के अन्तर्गत ही यह विभाग आता है। अगर अलग से आप बहस करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस विधान सभा की कार्यवाही में जो भी माननीय सदस्य भाग ले रहे हैं। जलपान और भोजन के लिए एक कैन्टीन यहां खुली थी, वह भी आज बन्द है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हू। (व्यवधान) सदन चल रहा है और कैन्टीन बन्द होने से विधान सभा का कार्य उससे बाधित होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं इसकी व्यवस्था करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस नियम 300 को निरस्त कर रहा हूं।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

* श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उत्तरांचल में 90 प्रतिशत गेहूं अकेले ऊधमसिंह नगर जनपद में पैदा होता है। गेहूं भण्डारण की व्यवस्था न होने से किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनपद में 80 प्रतिशत गेहूं खरीद केन्द्र सहकारी समितियों के हैं। सहकारी समिति कर्मचारी संगठन के आह्वान पर समिति के कर्मचारियों ने गेहूं की खरीद बन्द कर दी है। संगठन का आरोप है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सहकारी समितियों के खरीद केन्द्र का गेहूं नहीं उतारा जा रहा है। जनपद में सहकारी समितियों के खरीद केन्द्रों की संख्या 132 है, जबकि भारतीय खाद्य निगम के मात्र 20 खरीद केन्द्र हैं। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी अपने खरीद केन्द्रों का गेहूं ही गोदामों में उतार रहे हैं। सहकारी समितियों के खरीद केन्द्रों पर इतना गेहूं एकत्र हो गया है कि और गेहूं तौल के लिए जगह ही नहीं बची है। बरसात का मौसम सामने है, केन्द्रों पर गेहूं के चट्टे लगे हैं। सारा गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा है, बरसात होने से गेहूं को भीगने से नहीं बचाया जा सकता क्योंकि क्रय केन्द्रों पर तिरपाल की व्यवस्था भी नहीं है। भारतीय खाद्य निगम अपने गोदामों पर गेहूं उतारने पर ही भुगतान करता है। खरीद बन्द हो जाने से किसान काफी परेशान हैं। व्यापारियों ने किसानों की इस स्थिति का लाभ उठाते हुए कम दामों पर गेहूं खरीदना प्रारम्भ कर दिया है।

उक्त स्थिति से परेशान होकर किसान पंचायत ने निर्णय लिया है कि यदि क्षेत्र के काश्तकारों का गेहूं दो दिन के अन्दर नहीं तौला गया तो किसान अपनी उपज को ट्रैक्टर–ट्रालियों तथा बैलगाड़ियों में भरकर तहसील में इकट्ठे होंगे तथा बन्द व चक्काजाम करेंगे। काश्तकारों का आरोप है कि सरकार गेहूं खरीदने की स्थिति में नहीं है। राजस्व विभाग के अधिकारी खसरा–खतौनियां एवं जोत–बहियों को स्वयं प्रमाणित करने के बहाने उनसे कार्यालयों के चक्कर कटवा रहे हैं। इस घोर गर्मी में काश्तकार अपना गेहूं बेचने के लिए हफ्तों से क्रय केन्द्रों के चक्कर काट रहा है। सबसे अधिक कठिनाई छोटे किसान को है जो 10–15 बोरी गेहूं बैलगाड़ी पर लादे कई दिनों से क्रय केन्द्रों पर पड़ा हुआ है।

शासन एवं प्रशासन किसानों पर हो रहे अत्याचारों के प्रति उदासीन है। किसानों के संगठन गेहूं खरीद न होने के कारण सरकारी बकाया न देने का फैसला ले रहे हैं। इन संगठनों में सरकार की उदासीनता के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश है, स्थिति विस्फोटक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये।

---

* वक्ता द्वारा भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, नोटिस में मैंने स्पष्ट लिख दिया है। कल मैं ऊधमसिंह नगर गयी थी, किसी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, वहां किसानों ने आगे बढ़ने नहीं दिया। चारों ओर से घेराव कर दिया वे पीड़ित, परेशान थे उनमें छोटे किसान भी हैं, जिनके पास 10–15 बोरी हैं। सरकार की ओर से जवाब आया कि हमारे पास भण्डारण क्षमता नहीं है। मान्यवर, यह सरकार की जिम्मेदारी है वह व्यवस्था करें। पानी बरस गया बेमौसमी पानी बरसा, मई के महीने में और ओले तक गिर गये, सारी फसल नष्ट हो गयी। बुरी स्थिति है। इस प्रकार गेहूं भीग रहा है। जब तक यह गोदामों में नहीं जायेगा, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो किसान की रीढ़ की हड्डी टूट जायेगी, तो कैसे उत्तरांचल राज्य की सम्पन्नता के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं। मान्यवर, यह काफी गम्भीर प्रश्न है और इससे काफी उत्तेजना है, भारी रोष है। खाली ऊधमसिंह नगर में 90 % गेहूं पैदा होता है और मान्यवर, इसलिए वहां के किसानों में और हरिद्वार के किसानों में सबके सामने प्रश्न है जो गेहूं पैदा कर रहे हैं। चाहे ज्यादा पैदावार करें या कम करें। मान्यवर, यह सरकार की जिम्मेदारी है यह प्रश्न सुनिश्चित है। सरकार का यह दायित्व है कि भण्डारण की व्यवस्था करें। अगर एफ0सी0आई0 से बात करनी है तो एफ0 सी0 आई0 करें। गोदाम को किराये पर लें। लेकिन पूरी जिम्मेदार है किसान के गेहूं के लिए। उसको पैसा मिला और यह जो बताया जाता है कि सब ठीक हो रहा है, मान्यवर, अगर सड़क में निकल जाय तो हमारा ही नहीं हमारे अन्य साथी विधायक भी हैं, वह जहां कहीं जा रहे हैं उन्हें भी यह स्थिति झेलनी पड़ रही है। भले ही इस पक्ष में बैठें हों, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन उनके सामने आज यही कठिनाई है। कृषि मंत्री धीरे से मुस्करा रहे हैं, उनके क्षेत्र में उनके सामने भी यही कठिनाई है। यह सुनिश्चित है और अविलम्बनीय लोक महत्व का है। क्योंकि गेहूं भीग गया है और भीग रहा है। तिरपाल की व्यवस्था नहीं है। तो मान्यवर, अविलम्बनीय भी है लोक महत्व का भी है, तात्कालिक भी है। इसलिए सारा काम रोककर आप सबसे पहले इस पर चर्चा करायें। सरकार से हमारी पुरजोर अपील है वह यह बतायें कि इस गेहूं को रखने की क्या व्यवस्था कर रही है। मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। मैं इस पर काफी चिन्तित हूं, उत्तेजित भी हूं और तमाम किसानों के रोष को अभिव्यक्त करने का अवसर मेरे ही पास है इसलिए मैं कर रही हूं। कल यह स्थिति मेरी हो गयी कि मैं गयी थी 11.00 बजे और लौटकर मुझे आना पड़ा 3.00 बजे। धान पर यही स्थिति रही और इसका प्रश्न आयेगा 15 क्विंटल धान अभी गोदामों में पड़ा हुआ है 1998 का, मान्यवर, इसको जरूर दिखाइये। मैं आपसे पर्सनल अनुरोध कर रही हूं। उन्हें बिकवा दीजिए वह भी सड़ रहा है। वहां पर और गेहूं रखा नहीं जा रहा है तो भण्डारण की व्यवस्था कैसे करेगी। मान्यवर, इस पर मेरा भारी आक्रोश है और सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है। उसकी उदासीनता है उन किसानों को राहत देने की बात कहना मेरा दायित्व है, तो सरकार इस पर स्पष्ट नीति बनाये कि गेहूं की क्या स्थिति होगी उन्हें कब तक पैसा मिलेगा, भीगे हुए गेहूं का क्या दाम देंगे। (व्यवधान)

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा एक बार मेरा गेहूं भी बिकने गया था, मंगलौर में बन्द पड़ा है और किसान की पोजीशन यह है कि वह 400–450 में बेच रहा है वे किसान यह कह रहे हैं कि यह डंडी मारों की सरकार है सरमायेदार लोगों से खरीदवा रही है और

फिर मंहगा करके बिकेगा। लिहाजा डी0 एम0 से दिखवा लीजियेगा, जिला हरिद्वार खास तौर से मंगलौर में केन्द्र है वहां केन्द्र खुले हैं या बन्द हैं।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यही बात कहना चाहता हूं कि परसों मेरे पास किसान आये, ग्राम डॉडी, के जो क्रय केन्द्र बहादराबाद है, वहां की शिकायत लेकर आये, वहां की जो सहकारी समिति का अधिकारी एम0 डी0 अथवा सेक्रेट्री वहां रहता है वह दिन में होश में नहीं रहता। रात को बारदाना आता है सुबह कहता है बारदाना है ही नहीं। उन्होंने कहा साहब व्यापारियों का सारा गेहूं खरीदने से किसान परेशान है उसका गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। अब सरकार एक बात कर रही है कि इस बार गेहूं ज्यादा आ रहा है यह बात सही है खरीद भी ज्यादा है और गेहूं भी ज्यादा आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि पिछले वर्ष किसान ने इस आशा के साथ कि शायद इसके भाव तेज होंगे गेहूं रोक लिया था। लेकिन भाव और कम हो गये, किसान का नुकसान हो गया इसलिए किसान वह रिस्क न लेकर अपना सारा गेहूं बाहर निकाल रहा है। तो इसलिए यह बात तो सही है कि ज्यादा आ रहा है। मान्यवर, उसका प्रबन्ध तो होना चाहिए अगर यह किसान हितैषी सरकार है तो किसान को न्यूनतम मूल्य तो मिलना चाहिए। लेकिन नहीं मिल रहा है, मैंने परसों तो डी0एम0 को लिखकर भेजा है कि आप इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न निश्चित रूप से है और इसलिए इन्दिरा जी ने जो प्रस्ताव रखा मैं उसका समर्थन करता हूं और चर्चा की मांग करता हूं।

* श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, नम्बर एक तौल की समस्या को लेकर, बारदाने की समस्या को ले करके, और जो गेहूं भीग रहा है, उसके भण्डारण की समस्या को लेकर के। श्रीमन्, इसी सदन के अन्दर मैंने तकरीबन एक हफ्ता पहले नोटिस लगाया था, कार्यस्थगन का प्रस्ताव लगाया था। माननीय मंत्री जी ने बहुत दृढ़तापूर्वक प्रतिकार किया था, इन बातों को कहा था कि न बारदाने की कठिनाई आ रही है, न तौल की समस्या है। कुछ क्रय केन्द्रों पर आपने अनियमिततायें जरूर स्वीकार की थी, लेकिन श्रीमन्, आज तो स्थिति यह हो गयी है जैसे इन्दिरा जी ने अपने नोटिस में कहा कि हल्द्वानी क्षेत्र में, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र में तो काश्तकार सड़कों पर उतर आये और आज वह यातायात बाधित करने की स्थिति में भी पहुंच गये। यह स्थिति धान की खरीद को लेकर है, इसलिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। 1–2 केन्द्रों की बात कर लेंगे, उससे काम चलने वाला नहीं है। यह सर्वविदित है कि भण्डारण की समस्या, तौल की समस्या धीरे–धीरे उसके अन्दर जो अनियमितता है, सबसे बड़ी बात बारदाने की समस्या को लेकर है, जो गम्भीर है और सहकारी समितियों के 35 क्रय केन्द्र हैं, 35 क्रय केन्द्रों में से 33 क्रय केन्द्र के लिए सहकारी समितियों के पास इंतजाम ही नहीं है। आज काश्तकार इस स्थिति में है मौसम के विचार से देख लें, तो यह गम्भीर विषय है। इन्दिरा जी के इस कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं और आपसे प्रार्थना करूंगा कि सदन के अन्दर इसकी बारीकी से चर्चा हो जाये, ताकि सरकार को तत्काल कोई आवश्यक कदम उठाने के लिए सतर्क किया जा सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है। मैंने भी उठाया था और माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकारा था कि बारदाने की कमी वहां रही है, इसके बाद भी वहां इंतजाम नहीं हो पाया है और हो यह रहा है कि वह बारदाना कम दिखा रहे हैं। यह वहां के कर्मचारियों की साजिश के तहत हुआ है ताकि लोगों का उत्पीड़न हो और जो बिचौलिए हैं, वह गेहूं खरीद रहे हैं, 500 के रेट पर और 610 के रेट पर। फिर इन्हें दे दें तो यह एक साजिश के तहत है। यह बोरियों की और बोरों की कमी दिखायी जा रही है। एस0डी0एम0, लक्सर ने 2–4 सेन्टर्स की चेकिंग की और वहां यह कमियां पायी। इसे माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकारा था। तो मान्यवर, यह जनहित का, लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, 1–2 सेन्टर का सवाल नहीं मेरे यहां रुड़की, मंगलौर, मक्खनपुर बहुत सी जगह पर ऐसा हो रहा है। तो एक साजिश के तहत इनके कर्मचारी कर रहे हैं। यह लोक महत्व का प्रश्न है और इस पर निश्चित रूप से चर्चा आप स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष–

इसम सिंह जी स्पेसिफिक सूचना दीजिए।

श्री इसम सिंह–

मान्यवर, मेरे पास भी इस संबंध में झबरेड़ा के किसान आये हैं। माननीय सदस्य ने जो लोक महत्व का प्रश्न उठाया है, किसानों के संबंध में, वहां गेहूं खरीद के बारे में।

श्री अध्यक्ष–

आप उसको रिपीट मत करिये, आप अपनी बात करिये।

श्री इसम सिंह–

वहां के किसानों ने यह बताया कि झबरेड़ा मण्डी में केवल 2 दिन खरीद हुई है, गेहूं की और उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो मेरा निवेदन यह है कि मैं अपने विचार इन्दिरा जी से सम्बद्ध करते हुए मांग करता हूं कि यह अति लोक महत्व का प्रश्न है तो इस पर चर्चा करा दी जाये।

कृषि, कृषि विपणन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय डॉ0 इन्दिरा हृदयेश ने नियम 56 के अन्तर्गत उठाया है, इस पर मुझे यह कहने में तो कोई संकोच नहीं कि कल और आज 2 दिन खरीद केन्द्रों पर खरीद बन्द हुई। उसका कारण बोरों की कमी या पैसे की कमी नहीं, जैसा इन्होंने भी अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव में लिखा है। केन्द्रों पर बहुत बडी मात्रा में गेहूं के बोरों का ढेर रखा गया है। इस कारण से अगर उठान नहीं होता है, तो वह गेहूं असुरक्षित रहेगा, भीग जायेगा। इस डर से दो दिन के लिए खरीद का काम थोड़ा ढीला

कर दिया गया, रोक दिया गया। उसका कारण यह है कि उठान का कार्य एफ0सी0आई0 करती है। एफ0सी0आई0 से हम बराबर सम्पर्क कर रहे हैं। वे लोग हमें थोड़ा परेशानी में डाल रहे हैं लेकिन फिर भी उनसे बात चल रही है। निश्चित रूप से कल से हम सभी केन्द्रों पर पुनः खरीद का कार्य पूरा करेंगे। जहां तक भाई मुन्ना चौहान ने कहा कि मैंने पिछले दिनों प्रश्न लगाया था, उसके जवाब में यह कहा गया। आपका प्रश्न अलग था। आपका प्रश्न यह था कि बारदाने के कारण या पैसे के कारण खरीद प्रभावित हो रही है। मैंने जवाब दिया था कि बारदाने और पैसे के कारण नहीं रुका है। आपकी स्थिति अलग है। इसमें बहुत स्पष्ट आपने भी लिखा और मैं भी स्वीकार कर रहा हूं कि केन्द्रों पर बहुत बड़ा ढेर लग जाने के कारण, चूंकि एफ0सी0आई0 उठा नहीं पा रही है। इस कारण से दो दिन के लिए खरीद को रोका गया है, ताकि जो गेहूं वहां है, वह उठ जाये, बर्बाद न हो, भीगे न। जहां तक अन्य बातें कही गयी, ये तो विपक्ष को कहनी ही चाहिए। आप रूद्रपुर गयीं, तो कल का दिन छोड़कर परसों माननीय मुख्यमंत्री जी भी रूद्रपुर रहे, पंतनगर, हल्द्वानी गये और मैं भी साथ में था। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक हफ्तों पड़े रहने की बात है, हमने हर केन्द्र पर रजिस्टर बना दिये हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अगर आपके पास किसान आ जाते तो सिक्योरिटी में आप उनको जेल भिजवा देते।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, अब ये तो आप जानते हैं कि किसान ज्यादा हमसे जुड़े हैं या आपसे। हमने कहा एक रजिस्टर रखवा दिया है, उसमें नम्बर लगा दिये हैं कि इसके बाद ये आयेगा, इसके बाद ये आयेगा। ये मैं मान सकता हूं कि जो आज शाम को ट्राली खुलनी थी, वह किसी कारणवश आज नहीं खुल सकी। कल प्रातःकाल उसका नम्बर आ जायेगा। एक ट्राली तक का, एक बैलगाड़ी तक का तो मैं मान सकता हूं, लेकिन हफ्तों से किसान वहां पड़े हैं, यह विपक्ष की भूमिका है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि कल से हम प्रयास करेंगे कि तौल कार्य पुनः प्रारम्भ हो। पैसे और बारदाने की कोई दिक्कत नहीं। जैसे माननीय सैनी जी ने कहा बारदाने के विषय में, मान्यवर, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपने मुझसे कहा और मैंने उसी दिन आपकी बात पर रिपोर्ट मंगवायी, इत्तिफाक से उस दिन वह रिपोर्ट मेरी जेब में रह गयी, दूसरे दिन आपको दी और आपने कहा कि उसके बाद क्या कमी है, उसको बताऊंगा लेकिन आपने बताया ही नहीं, अभी आप कह रहे हैं।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, आपने माना था ना, कि कमी रही, रिपोर्ट मेरे पास है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जो रिपोर्ट आयी, मैंने तत्काल आपको दी। आज की तारीख में मैं यह कह रहा हूं कि 2 दिन से तौल प्रभावित हुई है न कि कोई पैसे के कारण या बोरे के कारण। तौल इसलिए प्रभावित हुई है क्योंकि हमारे केन्द्रों पर बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं जमा

हो गया है, एफ0सी0आई0 उठा नहीं पा रही। डी0एम0, एफ0सी0आई0 ऊधमसिंह नगर और नैनीताल से लगातार बात हो रही है। यहां पर जो रीजनल मैनेजर हैं, इनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से परसों बात की है कि आप उठाने की प्रक्रिया तेज करो। मैं समझता हूं कल तक स्थिति ठीक हो जायेगी, पुनः तौल प्रारम्भ हो जायेगी।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, पहले तो यह कार्यस्थगन प्रस्ताव नहीं है। इसके अन्दर तात्कालिकता नहीं है, यह निरंतरता है, लोक महत्व का है मैं मानता हूं। लेकिन आपने इसे बहुत ज्यादा अतिरंजित कर दिया। मैं सूचना दे दूं, 6-5-2000 तक क्रय केन्द्रों द्वारा कुल 66 हजार 905 मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया, जिसमें से 32 हजार 339 मीट्रिक टन एफ0सी0आई0 द्वारा लिया जा चुका है, अभी आधा नहीं लिया गया है। एफ0सी0आई0 हमारी एजेन्सी नहीं है, केन्द्र की है। आपको तो पता है। मान्यवर, जहां तक रुपये की बात है, शासन द्वारा 10 करोड़ रुपया रजिस्ट्रार, कॉपरेटिव सोसाइटी को उपलब्ध कराया गया है। रिजर्व बैंक द्वारा माह अप्रैल तथा मई की गेहूं खरीद हेतु 51 करोड़ रुपये की सी0सी0एल0 हमको स्वीकार की गयी है और जिसमें से 15 करोड़ आहरित कर रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसाइटी को उपलब्ध करा दिया गया है। न रुपये की कमी है, न बोरों की। मैं बोरों के बारे में बता देता हूं, गेहूं खरीद हेतु एफ0सी0आई0 अपने क्रय केन्द्रों हेतु बोरों की व्यवस्था स्वयं कर रही है और सहकारी समितियों के क्रय केन्द्रों हेतु बोरों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। वर्तमान में बोरों की कोई समस्या नहीं है। खरीद प्रारम्भ होने से पहले 50 कि0ग्रा0 के 23.5 लाख बोरे उपलब्ध थे। उत्तर प्रदेश से 5 लाख बोरे उपलब्ध कराये जाने की सहमति और हो गयी है। बारदाने की भी कोई कमी नहीं है। हम लोग अपने काम में निरन्तर लगे हुए हैं और ऐसी सरकार आपने कभी नहीं देखी होगी, अगर कहीं थोड़ी कमी भी रही है तो उसको स्वीकार किया हमने।

मान्यवर, माननीय काजी जी ने यह कहकर हमारे ऊपर अन्याय किया कि हम लोगों ने 400 रुपये में बेचना शुरू कर दिया है, हम तो 610 रुपये में दे रहे हैं। सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो व्यवस्था यह सरकार कर रही है वह कभी नहीं हुई। हमारे माननीय खाद्य मंत्री जी लगातार सब केन्द्रों का दौरा कर रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सरकार ने यह स्वीकार किया कि जितना गेहूं खरीदा गया, उसका आधा गेहूं ही उठाया गया है। इस पर आप चर्चा स्वीकार कर लें। गेहूं की बहुत खराब स्थिति है। अगर यह चर्चा सदन में नहीं कराई जाती तो इसका मतलब यह है कि हम लोकहित के लिए सदन में नहीं आये हैं। मैं सदन का त्याग कर रही हूं। (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश सदन त्याग कर चली गयी)

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, यह सदन आपके आदेश के अनुरूप चलता है। माननीया सदस्या इन्दिरा जी ने सदन का त्याग इसलिए किया कि इस पर चर्चा नहीं करायी गयी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

* श्री इसम सिंह–

मान्यवर, दिनांक 11–05–2001 समय शाम 7.00 बजे मृतक मन्सूब पुत्र अली मौहम्मद गांव–एकड़ खुर्द थाना–पथरी, जिला–हरिद्वार की लाश लंढौरा मंगलौर मार्ग पर स्थित श्री हमीद अंसारी, थाना–मंगलौर के बाग के एक पेड़ पर 25–30 फिट की ऊंचाई पर लटकी हुई मिली जिसके हाथ–पैर उसके पायजामे से बंधे हुए थे। मृतक को थाना मंगलौर की पुलिस ने दिनांक 1–5–2001 शाम 7.00 बजे ट्रक यूनियन ज्वालापुर से, जहां वह पल्लेदारी की मजदूरी करता था, से सादी वर्दी में अपनी हिरासत में लिया। इतना ही नहीं मृतक के गांव के ही श्री महबूब के साथ मारपीट कर थाना मंगलौर के गांव एकड़ में एहसान इलाही के टेलीफोन पर इनकी पत्नी को यह गलत सूचना दी गयी कि मन्सूब का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है जो गम्भीर अवस्था में डा0 कर्ण सिंह के चिकित्सालय, रुड़की में भर्ती है और उसके लिए धन व कपड़े लेकर फौरन आ जाओ। जब मृतक की पत्नी रुड़की चिकित्सालय में गयी तो वहां ऐसा नहीं था। फिर दोबारा फोन आया कि मन्सूब की पत्नी गांव से चली है या नहीं। तो उस समय तक मृतक की पत्नी गांव वापस आ चुकी थी। प्रतिदिन की तरह दिनांक 9–5–2001 को श्री कल्लू पुलिस का मुखबिर एवं साथ में श्री इस्माईल, निवासी लंढौरा आयु 90 वर्ष जब प्रातः खाना लेकर गये तो पुलिस मंगलौर ने सुपुर्दगी में देने हेतु इस्माईल का कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया तथा गवाह कल्लू मुखबिर को बनाया और बाद में कहा गया कि मन्सूब को तो हमने दिनांक 8–5–2001 को ही छोड़ दिया था। मुखबिर के माध्यम से पुलिस दिनांक 9–5–2001 तक फिर 10,000 रुपया मांगती रही। इसके अलावा भी गांव के विभिन्न व्यक्तियों को पुलिस प्रशासन ने अनाधिकृत तरीके से एक दिन से लेकर 10 दिन तक हिरासत में रखकर अवैध तरीके से धन वसूला। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1) एवं 21(2) का उल्लंघन भी है। मृतक बन्दना काण्ड से संबंधित अभियुक्त कमाल का बहनोई बताया गया। जिसे केवल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। मृतक के परिवार में पत्नी सहित 3 लड़के तथा 3 लड़कियां है। दिनांक 12–5–2001 को शव परीक्षण के समय दो पुलिस कर्मियों द्वारा चिकित्सालय में ही श्री तासीन पुत्र शब्बीर एवं डा0 मुस्तफा की मौजूदगी में शव छेदक को 5000 रुपये यह कहकर दिये कि डाक्टर साहब को देना है।

मान्यवर, जहां कानून के रक्षक ही भक्षक बन जायेंगे वहां आम जनता को इंसाफ की उम्मीद नहीं रहेगी। इसलिए मृतक मन्सूब की हत्या का मुकदमा दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज होना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित कराते हुए चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर प्रश्न है और जहां तक मुझे रिपोर्ट मिली है इस केस के संबंध में इससे पहले याकूब उठाया गया और 45 हजार रुपया लिया गया। एक बार 20 हजार लिये, एक बार 25 हजार रुपये लिये गये और इसको 10 दिन हिरासत में रखा और 10 दिन बाद छोड़ा गया। उसके बाद शकील पुत्र सलीम जो ढंढेरा का निवासी है उसको दो दिन हिरासत में रखा, 5 हजार रुपये उससे लिये गये तब उसको छोड़ा गया।

* वक्ता द्वारा भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमीर गांव फेरीपुर यामीन का लड़का है उनसे 3 हजार रुपये लिये गये और गालिब, गांव गढ़ी संधीपुर को दो दिन हिरासत में रखा। इससे पैसा नहीं लिया गया उसको छोड़ दिया गया है। असलम, गांव जैनपुर जझेड़ी एक दिन हिरासत में रखा 2 हजार रुपये इससे लिये गये हैं। मंसूब को एक दिन हिरासत में रखा गया और सिफारिश में इसको छोड़ दिया गया। बद्दू यह मरकूबपुर का रहने वाला है 3 दिन इसको हिरासत में रखा गया है युसुफ और निसार, ये 2 लोग हैं। नाथेपुर को 3 दिन हिरासत में रखा। 5 हजार रुपये उनसे लिये गये हैं। इसके बाद इरशाद जो धन्नाचौरा का निवासी है इसको 4 दिन हिरासत में रखा गया है और सुलेमान, नागपुर खुर्द एक दिन हिरासत में रखा गया 25 रुपये उनसे लिये गये। इसके अलावा जहांगीर, इन पर थाना खुर्द पथरी, 8 दिन इनको हिरासत में रखा गया। 2565 रुपये उनसे लिये गये हैं। एक व्यक्ति कहता है मेरे पास नहीं है 10 हजार रुपये 9 तारीख तक उससे डिमाण्ड होती है, मुखबिर के माध्यम से। तो मेरा मकसद कहने का यह है, हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमने देखा नहीं है लेकिन पुलिस की हिरासत में एक तारीख से वह रहा है और 9 तारीख को साइन लिये जाते हैं। कहा जाता है हमने 8 तारीख को उसको छोड़ दिया था। जब छोड़ दिया तो साइन क्यों लिये गये, ऐसा व्यक्ति है, 90 वर्ष की आयु है। मैं देखकर आया हूं जिसको नजर नहीं आता है, दिखता तक नहीं है उसका अंगूठा लिया गया और इसके बाद लाश मिलती है। तो मेरा मकसद कहने का यह है कि इसमें जहां तक दोषी की बात है पेपर में मैंने पढ़ा और ये मुकदमा दर्ज हो गया है। अच्छी बात है हम सराहना करते हैं। इस प्रकार निर्णय लिया गया है, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ–साथ एक बात और कहता हूं। जहां तक रिश्वतखोरी की बात है तो इसमें भी धारा 420 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत केस बनता है। इसके साथ–साथ 120 बी आई0 पी0 सी0, इस धारा के अन्तर्गत केस बनता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में यह प्राविधान है कि 24 घंटे के अन्दर–अंदर यदि किसी को हिरासत में लिया जाता है तो इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को देनी होगी। लेकिन इसके बावजूद मैंने बताया कि 9 दिन से लेकर 10 दिन तक हिरासत में रखना अवैध धन वसूल करना, इससे सीधे यह जाहिर होता है कि बन्दना काण्ड जो इस केस से संबंधित है उनके हित में काम करना कम था बाकी धन उगाही का था।

तो मान्यवर, आज के इस मौके पर मैं सदन के कार्यस्थगन का प्रस्ताव रखता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाये।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, डिटेल मेरे साथी इसम सिंह जी ने दे दी, यह मेरे थाने मंगलौर का किस्सा है। मान्यवर, जहां तक इस बात का संबंध है कि क्या हो रहा है, मैं इससे ज्यादा बल इस बात पर दूंगा कि क्यों हो रहा है, उसका रूट कॉज क्या है। मान्यवर, एक बार हमने माया त्यागी काण्ड जो मेरठ में हुआ था, उसमें आन्दोलन किया और उसमें कई पुलिस वाले मारे भी गये थे, मैं भी जेल में रहा था, एक महीने रमजान के दिनों में। पूरे एक महीने मैंने रोजे रखे थे जेल में और कई लोगों को फिर बाद में कोर्ट से उम्र कैद की सजा हुई। मैंने यह देखा कि कुछ निर्दोष भी उसमें आ गये थे और मुझे बहुत दुःख हुआ। जब मैं जेल मंत्री था तो मैंने बड़ी कोशिश की कि उन्हें छोड़ें, लेकिन लॉ डिपार्टमेन्ट

तैयार नहीं हुआ, प्रोबेशन पर उनको छोड़ने के लिये। बहुत ही बुरी उनकी हालत हुई। तो पॉलिटिक्ली हमको यह सिखाया जाता है, पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस में कि सरकार की जितनी आलोचना की जाये कम है। सरकार कोई भी अच्छा काम करे, अगर 50 बल्ब लगवाये तो अपोजीशन को कहना चाहिए कि कम लगे हैं, 100 लगने चाहिए, लेकिन मैं एक मजहब से ताल्लुक रखता हूं उसमें कहा गया है कि "ऐ ईमान वालों मत कहो वो बात, जिस पर तुम अमल नहीं करते या नहीं कर सकते"। तो सच्चाई यह है कि जो इस समय अधिकारी हैं, अगर मेरे हाथ में होम डिपार्टमेन्ट होता तो उनको ही मैं रखता, चाहे एस0पी0 हों, चाहे एस0ओ0, मंगलौर हों। लेकिन यह भी सही है कि हत्या हुई, कोशिश की जा रही है यह कहने की कि यह तो फांसी लगाकर मरा है। मान्यवर, मैं कुदरत का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि हमीद का बाग बताया गया है अगर मौके पर आप उस को जाकर देखें तो ऐसा महसूस होगा कि वह हमीद अंसारी का नहीं है काजी मोइउद्दीन का है। हमीद अंसारी का भी वहां एक बाग है और मेरा भी बहुत बड़ा बाग है। मेरा बाग चूंकि मेन रोड से लिंक है तो मैंने इधर–उधर नाशपाती लगा रखी हैं। पुलिस समझ रही है कि यह मेन रास्ता है, वह मेन रास्ता नहीं है। हमीद के बाग के पीछे जाकर रास्ता है। तो मुझसे कुछ लोगों ने ऐसी आशंका व्यक्त की। हो सकता है देखने में ऐसा लगे कि काजी जी का बाग है, लेकिन जिनको जानकारी है वह जानते हैं कि इतना हिस्सा काजी जी का है और इतना हमीद अंसारी का है। तो कुछ लोगों ने यह भी आशंका व्यक्त की कि कहीं आपको बदनाम करने के लिए आपके बाग में लाश वहां पर लटकाई गयी हो। तो पुलिस का वर्जन यह है कि पोस्टमार्टम में यह आया है कि इसने तो आत्म हत्या की है, आत्म हत्या का यह तरीका नहीं है। वह मेरे बाग के अन्दर जाकर और वहां इतने ऊंचे पेड़ पर लटक कर आत्म हत्या नहीं कर सकता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अक्सर गलत भी होती है, रंगा बिल्ला केस में राजेन्द्र गर्ग वकील थे तो मेरे साथ एम0एल0ए0 भी रहे थे, 1976 में, मेरे दोस्त भी थे, मेरे वालिद के दोस्त थे। मैंने उनसे कहा आपने बहुत जलील केस लगाया, ईमानदारी से कहा कि यह हत्या नहीं हुई थी।

मान्यवर, फांसी के वक्त रंगा–बिल्ला ने यह कहा था कि हमने वाकई में यह मर्डर नहीं किया, इससे पहले बहुत सारे मर्डर किये हैं, किसी और की सजा हमें मिल रही है लेकिन पोस्टमार्टम वालों ने साबित कर दिया कि यह मर्डर इन्होंने ही किया था। इसलिए पोस्टमार्टम की रिपोर्टों पर तो बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है, चर्चा अगर हो जाय तो बहुत अच्छा है। लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है और मान्यवर, रुड़की में एक वकील की हत्या हुई, उसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी को होगी, मैंने एक नोटिस भी दिया था, शायद वह पहुंची या नहीं, लेकिन यह दूसरी है। मान्यवर, एक–दो सूचनाएं और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि इसकी सूचना हमारे पास नहीं है लेकिन मेरा निवेदन है कि सिपाही, दरोगा की सूचना को ही सूचना न मानकर एक विधायक की सूचना को भी मान लें। थाना भगवानपुर में 2 अपहरण हुए थे और वो दोनों चरखी कोल्हू में नौकरी करते थे।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, आप अलग से कितने ही विषय लाइए, मैं तैयार हूं लेकिन इस समय इसी विषय पर कहिए।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, इसी विषय पर कह रहा हूं, मान्यवर, बहुत गम्भीर स्थिति है, दो आदमियों की कोल्हू में हत्या कर दी गयी, पुलिस ने लिखकर दिया मृतकों को इमदाद दी जाय। उसके घर वाले मेरे पास आये थे, मैं भी वहां गया था, छोटे–छोटे बच्चे थे, बाप बीमार था, उसका सामान अस्पताल से उठाकर फेंक दिया, मुझे इस पर आपसे जवाब नहीं चाहिए, मेरी दरख्वास्त है कि मेरी सूचना पर उनकी इमदाद कर सकते हैं। कर दें, बस इतनी विनती है। दो हरिजनों की हत्या हुई है, लिब्बारेहड़ी और सैदपुरा में , उनको भी कोई पैसा नहीं मिला। यह एक थाना भगवानपुर का मामला है और थाना मंगलौर के दो मामले हैं, मेरी जानकारी में हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सहायता करें, उनके परिवार बहुत दुःखी हैं। यह आदमी जो पुलिस हिरासत में मरा है, इसकी स्थिति यह है कि यह मजदूरी करता था, उसके 6 छोटे–छोटे बच्चे थे, 3 लड़के और 3 लड़कियां, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि पहले तो उनकी आर्थिक सहायता कर दें और उसके बाद दरख्वास्त है कि जो कार्यवाही पुलिस में हो रही है, उससे जनता का विश्वास उठ चुका है। मैं वहां गया था, उस गांव में, मैंने पूछा किस तरह की जांच चाहते हो, तीन तरह की हो सकती है, ज्यूडीशियल इन्क्वायरी, सी0बी0सी0आई0डी0 से और सी0आई0डी0 से। तो उन्होंने कहा, आप करा देंगे। मैंने कहा मैं सक्षम तो नहीं हूं करने के लिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत भोले हैं, बहुत शरीफ हैं, हम लोगों की बात मान लेते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी दरख्वास्त पर हुक्म फरमा देंगे कि इसकी फलां–फलां जांच हो, बोलो तुम किस तरह की जांच चाहते हो ? तो उन्होंने कहा कि सी0आई0डी0 या सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच करा दें। तो मेरा दूसरा निवेदन यह है कि मान्यवर, इन दोनों एजेन्सियों में से जो आपको अच्छी लगती हो, वो जांच करा लीजिए। मेरी उम्मीद है कि जांच सही होगी, जो दोषी पाया जायेगा, उसको सजा देंगे।

मान्यवर, हमारे यहां सबसे ज्यादा जुर्म है किसी बे–कसूर का कत्ल करना। इसे खुदा भी माफ करना चाहे तो भी नहीं कर सकता और दूसरा जुर्म है किसी को झूठा फंसाना। मान्यवर, इस केस की सही जांच हो जिससे उसके परिवार के लोग भी संतुष्ट हो सकें और जनता भी समझ ले कि सही जांच हुई है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अभी माननीय काजी साहब ने बहुत विस्तार से, गम्भीरता के साथ अपने विचार रखे। मान्यवर, यह घटना जिस रूप में लोगों के सामने आई, उससे कहीं अधिक गम्भीर है और हम लोग 4 जनप्रतिनिधि हरिद्वार जनपद के बैठे हैं। ढाई–तीन महीने से जो घटनाक्रम हरिद्वार में चल रहा है और जिस प्रकार का कार्य जनपद हरिद्वार में हो रहा है, जिसके बारे में मैंने जिलाधिकारी को भी सूचित किया है। मान्यवर, कानून व्यवस्था पुलिस देख रही है, लेकिन एक दल विशेष के लोग सड़कों पर बैठकर, सरकार से अपनी बात न कहकर वे सब कह रहे हैं कि जो मैं इस सदन के अन्दर कहना उचित नहीं समझता क्योंकि यहां प्रेस के लोग भी बैठे हैं। मैंने अधिकारियों से यह बात कही कि इसके प्रति सावधानी बरती जानी चाहिए। लेकिन मान्यवर, वे इतने दबाव में कार्य कर रहे हैं, जैसा

इसम सिंह जी ने कहा है। संविधान के अनुच्छेद 21 हमें दैहिक और प्राणों की स्वतंत्रता का अधिकार देता है व विधि के अनुसार ही हम इससे वंचित किये जा सकते हैं और दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जीवन का मतलब यही है कि हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनी रहे, इनकी रक्षा होती रहे। लेकिन मान्यवर, जनपद हरिद्वार में यह स्थिति नहीं है। जिस काण्ड की मैं चर्चा कर रहा हूं, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार इस बात से इंकार करेगी कि लड़की गयी, लड़का गया, आज ढाई महीने बाद भी कोई उस गांव से बाहर नहीं जा सकता। अल्पसंख्यक वर्ग के सारे लोग पलायन कर चुके हैं। गांव के चौकीदार ने रिपोर्ट लिखायी कि उसके लड़के के घर को तोड़–फोड़ दिया गया। क्या वह रिपोर्ट थाने में अंकित है या नहीं ? 23 तारीख को फिर एक रिपोर्ट लिखवायी गयी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, यह क्रम चलता रहा कि थाने में बैठा लो, पैसा लो और छोड़ दो। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि तात्कालिक। तात्कालिक विषय तो यह होता कि आज घटना हो और कल दिन में सदन में उठाओ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का श्राप हरिद्वार को लग गया और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा, वह हो गया।

मान्यवर, 12 तारीख को हजारों लोग इक्ट्ठा हो गये। मान्यवर, मैं तत्काल वहां पर पहुंचा और भी लोग आये। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे पास कुछ नेता अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम समाज के आये। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों से हमारी बात भी हो गयी थी, उन्होंने पुलिस अधिकारियों के नाम मुझे दिये। उन्होंने कहा सी0ओ0 से भी बात हो गयी, एस0ओ0 से भी बात हो गयी। चार नाम एक जाति विशेष के हम इसमें लिखवायेंगे, वे लोग पकड़े जायेंगे और हमारा बदला पूरा हो जायेगा। मैंने कहा यह बात गलत है, जुल्म है यह आप मत करिये। जो उचित बात है वह आपको करनी चाहिए, अनुचित बात नहीं करनी चाहिए। वे जाम लगाने की तैयारी पर थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की डी0आई0जी0 साहब आये हैं, चलिये आप एक बार उनसे मिल लीजिये अगर वे आपकी बात स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे तो मैं भी आपके साथ हूं। मान्यवर, हम डी0आई0जी0 साहब से मिलने गये, मेरे साथ सारे लोग थे और वह लड़का सलीम भी था, जिसके भाई के साथ वह लड़की बन्दना गई, उसने भी वहां डी0आई0जी0 साहब के सामने सारी स्थिति को नैरेट किया। यह मकान टूटने की स्थिति भी मान्यवर, उसने कही और उसने यह भी कहा कि हमने पुलिस से कहा कि जिस दिन वह हम को मिल जायेगा लड़की हम आपको सौंप देंगे और लड़के का हम वह हश्र करेंगे कि जिसको आप भी देखोगे कि हमने अपने लड़के को क्या दण्ड दिया। हम इस बात को कतई अच्छा नहीं समझते हैं। मान्यवर, मैंने वहां अधिकारियों से कहा कि हालात यह बन रहे हैं, कुछ जाति विशेष के लोगों के खिलाफ कुछ लोग भड़का रहे हैं कि रिपोर्ट लिखा दो और पुलिस की परेशानी यह होगी कि अगर उस जाति के लोगों को गिरफ्तार करते हैं और वह नाजायज है तो उपद्रव शुरू होगा और नहीं करते तो अल्पसंख्यक वर्ग को यह लगेगा कि शायद हमारी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। यह गम्भीर परिस्थिति है। मान्यवर, वहां के सारे अधिकारी इस बात के गवाह हैं और परिश्रम करने के बाद उनकी समझ में यह बात आ गयी है कि हमको झूठ नहीं लिखना चाहिए। मान्यवर, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब पुलिस ने मन्सूब को वहां से उठाया तो उन्होंने टेलीग्राम भी

भी दिया और न्यायालय में भी एक प्रार्थना–पत्र दिया कि मन्सूब को घर से पूछताछ के लिए उठा लिया गया है। मान्यवर, जिस पर 14 तारीख लगी हुई थी अफसोस वह 14 तारीख नहीं आई और 11 तारीख को ही उसका शव बाग में लटका पाया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, जब शाम तक यह बात तय हो गयी, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो कुछ हुआ वही लिखायेंगे। वह तहरीर लिख कर ले आये। तो मान्यवर, एक बिन्दु यह उठता है आखिर वह कौन पुलिस कर्मी थे, जिनका मैंने नाम भी बताया उनके खिलाफ जांच हो। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उनको गलत रास्ते पर जाने और धरना देने को उकसाने का काम क्यों किया ? जिससे पूरे जनपद की साम्प्रदायिक एकता भंग होने की नौबत आ गयी। ऐसी स्थिति में उन पुलिस कर्मियों ने यह काम करने का साहस क्यों किया और मान्यवर, जहां तक पोस्टमार्टम की बात है मैंने स्वयं डाक्टर से कहा यह पोस्टमार्टम एक डाक्टर से नहीं होगा आप पैनल से पोस्टमार्टम करायें। मान्यवर, जैसा काजी साहब ने कहा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर हमने वहां डिसकस अनआफिश्यली डाक्टर से की। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि उसने आत्म हत्या की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट केवल यह बता रही है कि उसके गले में रस्सी के निशान हैं तो मान्यवर, गले पर रस्सी के निशान होने का मतलब यह नहीं कि उसने आत्म हत्या की।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस पुलिस के पास 8 दिन तक मन्सूब रहा और मन्सूब की लाश उसी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में पुलिस ने देखी तो मान्यवर, क्या 8 दिन से वह उसके कपड़े नहीं पहचानते थे, उसकी शक्ल को नहीं जानते थे, उसको नहीं पहचानते थे। जानने के बाद भी पुलिस ने यह हरकत क्यों कि उस लाश को अस्पताल तक अज्ञात लाया गया। अस्पताल में जब मन्सूब के परिवार जनों ने यह तसदीक की कि यह मन्सूब है तब पुलिस ने यह स्वीकार किया कि लाश मन्सूब की है। मान्यवर, एक संदेह का बिन्दु है कि 8 दिन जो आदमी आपकी हिरासत में रहा हो उसके कपड़ों से आप परिचित हैं, उसके चेहरे से परिचित हैं, उसके डीलडौल से परिचित हैं। फिर ऐसा कौन सा कारण था कि पुलिस लाश को पहिचानने से इन्कार करती रही और उसको अज्ञात में दिखाने की कोशिश की। मान्यवर, इसके बाद जब वह तहरीर दे दी गयी। मैंने एस0पी0 को टेलीफोन में यह बताया कि यह तहरीर लेकर आये हैं। उन्होंने कहा तहरीर आप भिजवा दीजिये दर्ज हो जायेगी। तहरीर एडीशनल एस0पी0 के कार्यालय में तभी दी गयी। मान्यवर, उसके बाद जिस अधिकारी को यह जांच सौंपने का काम दिया तमाम रात पुलिस दल इस बात में प्रयत्नशील रहा कि इस तहरीर को बदल दो।

मान्यवर, यही कारण था कि वह तहरीर परसों शाम को 4–5 बजे जो दी गयी कल उसकी एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई। यह हो सकता है कि पुलिस ने जी0डी0 रोक दी हो 10 घंटे बाद दिखायी हो, लेकिन मान्यवर, मैंने अधिकारियों को टेलीफोन करके पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि कल दोपहर को वह एफ0आई0आर0 क्यों दर्ज हुई। अगर पुलिस की मंशा साफ थी और वे कल शाम को मेरे पास फिर आये थे। मैंने उनसे चर्चा की कि यह जो तथ्य मेरे सुनने में आया कि पुलिस रात भर आपसे इस बात के लिए कहती रही कि आप रिपोर्ट बदल दो, यह बात सही है या गलत तो उन्होंने कहा यह बात सही है तथा उन अधिकारियों के नाम भी बताये, जो रात भर इस फिराक में रहे कि वह अपनी एफ0आई0आर0 बदल दें। लेकिन मान्यवर, मैं एक गम्भीर बात कहना चाहता हूं कि पुलिस

की मजबूरी है, पुलिस जानती है कि यह दोनों लड़का और लड़की अपनी मर्जी से गये हैं लेकिन पुलिस इस कदर दबाव में है। जब लोक सभा के सदस्य सड़क पर धरने के लिए उतर जाते हैं। पूर्व सदस्य लोक सभा के जिनकी पार्टी की सरकार है, वह माननीय मुख्यमंत्री जी से कह सकते थे, माननीय गृह मंत्री जी से कह सकते थे, लेकिन वातावरण को विषाक्त बनाकर पुलिस प्रशासन को इतना दबाव में ले लिया जाय कि पुलिस की सोचने-समझने की शक्ति समाप्त हो जाये और मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उसी का यह परिणाम है कि इतने भयंकर दबाव, जोर जबरदस्ती के साथ उनके रिश्तेदारों पर इतना दबाव पुलिस प्रशासन डाल रहा है, जिससे लगता है कि मार्शल लॉ यहां लग गया है। यहां कानून का कोई शासन नहीं है, यह बात सही है जो ईसम सिंह जी ने कही। पुलिस कप्तान हरिद्वार की मौजूदगी में जो हमीदपुर के एक व्यक्ति जो पैरालाइसिस का मरीज था, उसे थाने में ले जा कर कई दिनों तक रखा गया और उसके बाद भी उन्हीं के लोगों ने एस0पी0, हरिद्वार के सामने बताया कि उसे ढाई हजार रुपये लेकर छोड़ा गया। क्या यह शर्म की बात नहीं है, एक आदमी जो पैरेलिटिक हो, पहले तो उसको थाने में रखा जाये और उसके बाद पैसा लेकर उसको छोड़ा जाये। उसने भी कप्तान, हरिद्वार के सामने यह बात कही कि मेरे 25 सौ कुछ रुपया जमा तलाशी में थे जो पुलिस ने मुझको वापिस नहीं दिया। पैसे भी रख लिये गये, यह एक गम्भीर प्रश्न है और इसका कोई कारण नहीं कि हरिद्वार पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच कर दे, इसलिए हमारी मांग है, हम आपसे मांग करते हैं कि इस पर चर्चा कराइये और अगर इसकी सी0बी0आई0 की जांच नहीं हुई, मुआवजा नहीं मिला तो मान्यवर, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए आंदोलन करना पड़ा तो करेंगे।

लेकिन अल्पसंख्यकों के प्रति यह जो सरकार का रुख है, अल्पसंख्यकों से पूरे गांव को खाली करा दिया और एक आवाज न उठती हो, वह घर वापिस जाना चाहते हों तो वापिस नहीं जा सकते हैं, अगर इतना टैरर है तो पुलिस प्रशासन और सरकार की जरूरत क्या है, इनकी भूमिका क्या है। ये मेरा सवाल आज सदन के सामने है और यह छोटा मामला नहीं है, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि कोई लापरवाही हुई और सरकार ने जायज मामलों को मानने से इंकार किया तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मान्यवर, वकील की हत्या हो जाये और उसके बाद पुलिस के लोगों का बयान छपता है कि यह बहुत बड़ा अपराधी था, अपराधियों से सांठ-गांठ रखता था तो मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि यह भी पुलिस की कमजोरी है, अगर वह अपराधियों से सांठ-गांठ रखता था तो पुलिस को उसको पकड़ना चाहिए था उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी। यही हमारा आरोप है कि हरिद्वार की जेलों में बन्द कैदी बैठकर, चाहे वकील हों या कोई और हों, सबसे धन वसूलने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह इतनी गम्भीर समस्या है इस पर माननीय नेता सदन का जवाब आये, लेकिन हम तो आपसे चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, पूरी कानून व्यवस्था पर चर्चा हो जाये, ताकि मुख्यमंत्री उसे आइने में देख लें कि आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है। इन शब्दों के साथ फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि मान्यवर, सारा कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष-

सैनी जी आपकी एक सूचना और है, हम एक ही प्रकार की सूचना ले पायेंगे।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं इसी सूचना पर बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, उसे निरस्त कर दूंगा।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे से पूर्व माननीय इसम सिंह जी ने, माननीय काजी जी ने और माननीय अम्बरीष कुमार जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने आपको उनसे सम्बद्ध करता हूं। यह जो प्रकरण है, यह उस मामले से संबंध रखता है, आज से ढाई महीने पूर्व कमाल और वन्दना से संबंधित एक घटना प्रकाश में आयी, उसके तहत वहां जो घटना घटी, कई बार तो जी0टी0 रोड को जाम किया गया। वहां के पुलिस प्रशासन ने जनता को आश्वासन दिया कि हम 15 दिन में कमाल और वन्दना दोनों को पकड़कर आपके सामने पहुंचा देंगे। लेकिन पहले 15 दिन का टाइम दिया गया, फिर एक महीने का टाइम दिया गया। इस प्रकार ढाई महीने से यह प्रकरण चल रहा है और इससे पूरे हरिद्वार का माहौल गड़बड़ा गया है। आज वहां पर हिन्दू और मुस्लिम फसाद होने की आशंका है, इस मसले को ठीक करने के लिए पुलिस लगातार यह कहती रही कि 10–15 दिन में यह प्रकरण खुल जायेगा। लेकिन वह आज तक नहीं खुला और उसी घटनाक्रम में विभिन्न लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया। मान्यवर, कमाल के बहनोई मन्सूब की लाश 11 तारीख को मिली, पुलिस ने उसी प्रकरण में एक तारीख को मन्सूब को हिरासत में लिया। यह कोई औचित्य पूर्ण बात नहीं है कि एक तारीख से 11 तारीख तक उसे हिरासत में रखा गया और फिर 8 मई को कहा गया कि हमने तो छोड़ दिया था। तो लगातार एक षड़यन्त्र के तहत यह हो रहा है। जनपद की शान्ति व्यवस्था पर इससे कुप्रभाव पड़ रहा है। वहां शान्ति व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। मान्यवर, हम लोगों की मांग है कि चूंकि यह अविलम्बनीय विषय है, लोक महत्व का है, इसलिए इस पर चर्चा करायी जाय और कार्य स्थगन किया जाय और चूंकि इसमें पुलिस स्वयं इन्वॉल्व है, इसलिए हमारी मांग है कि सी0बी0आई0 से इसकी जांच करायी जाय और जो मृतक है, उसके छोटे–छोटे 6 बच्चे हैं, मैं मांग करता हूं कि उनको कम से कम 4 लाख रुपये की धनराशि यह शासन दे और मान्यवर, जो पुलिसकर्मी इसमें दोषी हैं, उनको उचित दण्ड मिलना चाहिए। इसी तरह नसीरपुर खुर्द के पूर्व प्रधान को भी पुलिस के दो सिपाही पकड़ कर ले गये थे और उसकी भी मौत हो गयी, उसकी भी एफ0आई0आर0 लॉज नहीं हुई, वहां के एस0डी0एम0 ने उसकी जांच की तब जाकर एस0डी0एम0 की रिपोर्ट पर उन दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफ0आई0आर0 हुई। इसी प्रकार यह भी पुलिस हिरासत का मामला है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मेरी तो 301 की नोटिस उस विषय पर थी। इससे मैं सहमत हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, आप कृपा करके बैठ जायें। नियम 56 में एक निश्चित घटना के ऊपर चर्चा होगी, इस घटना में जो कहना हो कह लीजिये।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने कहा था कि मुझे कानून व्यवस्था पर बोलने का अवसर दिया जाये तो आपने कहा था कि जब नियम 56 पर चर्चा होगी तब आप भी अपने विचार रख लेना। मान्यवर, कई सदस्यों ने इस घटना पर अपने विचार व्यक्त किये। आज यह गम्भीर स्थिति है। इस उत्तरांचल प्रदेश के अन्दर जिसे हम अपराध मुक्त प्रदेश की संज्ञा देते थे। आज यह स्थिति हो गयी है कि घटनायें पुलिस के प्रयोजन से घटित हो रही हैं। इस सदन के अन्दर चर्चा रामनगर की घटना को लेकर हुई। मैं दोहराना नहीं चाहता, माननीय नेता सदन ने सरकार का पक्ष इसमें रखा। जो व्यक्ति 8 दिन तक पुलिस की हिरासत में रहा और उसके बाद उसकी लाश बरामद होती है तो इसमें पुलिस का हाथ है। मान्यवर, आज थानों के अन्दर जो तहरीर लिखाने जाते हैं, उनके अन्दर यह साहस नहीं है कि वह अपनी तहरीर लिखा सकें यह स्थिति उत्पन्न हो गयी है। माननीय ईसम सिंह जी ने बहुत बारीकी से इस घटना का उल्लेख किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि प्वाइंटेड इन्फॉरमेशन, स्पेसिफिक इन्फॉरमेशन दीजिए। श्रीमन्, दर्जनों लोगों के नाम लेकर सूचना दी गयी। इससे अधिक स्पेसिफिक सूचना और क्या हो सकती है। रही बात जी0डी0 की, यह तो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जी0डी0 हमारे आपके पास नहीं है। आपके पीछे आपके राज्यमंत्री जी बैठे हुए हैं वे जी0डी0 उठाकर ले गये थे कि जी0डी0 में इन्ट्री नहीं है। (व्यवधान) श्रीमन्, मंगलौर थाने के अन्दर जो घटना हुई, उसकी सी0बी0आई0 से जांच कराने का आदेश आप पीठ से सरकार को दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, इतना रोष और इतनी उत्तेजना उचित नहीं है। जितनी संवेदनशीलता आपकी है, उससे कम सरकार की नहीं है। एक हमारा भाई मृतक पाया गया, नाम है मंसूब। मान्यवर, एक घटना घटी जिसका उल्लेख किया गया। एक लड़की को एक लड़का ले गया जिसकी जाति दूसरी थी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे क्षेत्र के अंदर आज तक कोई दंगा–फसाद की स्थिति नहीं है। (व्यवधान) आप प्रशंसा न करें, लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट हू कि इतने बड़े मामले के अन्दर कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई जिसमें दोनों बिरादरी के बीच में कोई संघर्ष की नौबत आती।

मान्यवर, दूसरी बात मान लीजिये मा0 काजी साहब के कारण ही सही कोई दंगा–फसाद नहीं हुआ लेकिन उसके अन्दर थोड़ा श्रेय हमको भी दे दीजिए। ऐसा नहीं हुआ और मान्यवर, यह उल्लेख किया गया कि सारा गांव खाली हो गया, एक समाज के लोगों ने सारा गांव खाली करा दिया और उसी दो–तीन वाक्यों के बाद यह कह दिया कि उस समाज के लोगों ने सड़क ही जाम कर दी, जब सारा गांव खाली कर दिया तो सड़क कैसे जाम कर दी।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, जिस वर्ग की लड़की अपनी मर्जी से गयी थी उसका बाप तैयार ही नहीं था। इस काम को करने के लिए उसको मजबूर किया गया काम्यूनल फीलिंग फैलाने के लिए 10 आदमी बाहर से बुलाये गये थे आपका एक एम0पी0 (पूर्व) और एक वर्तमान एम0पी0 आपकी पार्टी के सड़क जाम करने के लिए बैठे।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, आपको उस लड़की ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं। वह लड़की आपसे मिली थी, जब बाहर चली गयी थी तो वह आकर के आपसे मिली थी।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, उसके बाप से मिलिएगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, आपने कहा लड़की अपनी मर्जी से गयी थी, आपने दोबारा कहा लड़की ने आपसे कहा।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, आपके एस0पी0 ने मुझसे कहा।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, आपकी बात को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, कृपा करके यह बात कहने से पहले यह सोच लिया होता कि आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि लड़की अपनी मर्जी से गयी है। मुझे सूचना यह है कि जो समाज आहत हुआ, जिनकी लड़की गयी वह भी इसी समाज का, हमारे देश का एक अंग है। वह भी आपकी लड़की की तरह से है। हमारी सबकी लड़की की तरह से है। आखिर हम उस समाज को जो आहत हुआ है, इस तरह इगनोर क्यों कर रहे हैं अगर वह बालिग भी है तो आफेंस नहीं बनता है। अगर बालिग है अपनी मर्जी से नहीं गयी है, तो आफेंस बनता है। यह तो बाद की बात है जब कभी वह लड़की मिलेगी तो वह क्या कहेगी। अब मैं निवेदन यह करता हूं मैंने स्वयं पुलिस के लोगों को बुलाकर कहा कि आपने उसको एक तारीख से 8 तारीख तक हिरासत में क्यों रखा, यह पुलिस की एक गलती है हम इसको स्वीकार करते हैं। मैं इस काम के लिए पुलिस को दण्डित भी कर रहा हूं। लेकिन उनका कहना है कि वह जो लड़की गयी है उसके बारे में वह सूचना देता रहा और हमने उसको कोई चोट नहीं पहुंचाई। अब मैं प्रमाण के साथ कहूंगा कि कोई चोट नहीं पहुंचाई और उसकी सूचना हमको मिलती रही, पुलिस उसकी मदद से छापे मारती गयी।

उसके बाद 8 तारीख को, मैं आपको नाम बताता हूं यूसुफ पुत्र श्री यासीम, निवासी लाल बारा थाना को सुपुर्द कर दिया गया और उसका थाने के अन्दर नाम है। उसके बाद आप कहते हैं कि पुलिस ने मारकर उसको टांग दिया। एक बिल्कुल जानदार

व्यक्ति को पेड़ के ऊपर लटका दिया, अगर मैं आपके कथन को स्वीकार कर लूं, अगर वो जीवित व्यक्ति को लटकाने के लिये ले आते तो उसे घसीटना पड़ता और घसीटकर पेड़ के ऊपर लटका दिया और आप तो सब कुछ देखकर आये हैं। जब इतने ऊंचे पेड़ पर ले जाते तो उसके शरीर के ऊपर खरोंचे आती, मगर ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो हमारे माननीय सदस्य ने अपने सामने 2 डाक्टरों से करायी है। 2 डाक्टरों के नाम हैं–डा0 के0 सी0 पंत और डा0 के0पी0 भटनागर। मान्यवर, 2 डाक्टरों ने पोस्टमार्टम किया रिपोर्ट जो मेरे पास आई थी कुछ डिम थी। फिर मैंने उसकी बहुत स्पष्ट कापी देखी और आप सब में कोई एडवोकेट भी हैं, मैं इसे लगातार देख रहा था कि इसमें कोई चोट है या नहीं। तो मान्यवर, इसके अन्दर कोई चोट नहीं तो डाक्टर भी झूठे हैं, पुलिस भी झूठी है, हम भी झूठे हैं, सारी दुनिया झूठी है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह [झूठ] शब्द तो असंसदीय है।

श्री अध्यक्ष–

थोड़ा उसे परिवर्तन कर दीजिए।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, इतना स्पष्ट जरूर करूं, अगर मैं किसी माननीय सदस्य की बात झूठी कहूं तो असत्य है, अगर मैं यह कहूं कि डाक्टर झूठे नहीं हैं तो मान्यवर असंसदीय है। बहरहाल मैं अपनी बात कह दूं। मान्यवर, इसके अन्दर कहीं चोट नहीं है। अब एक बात ऐसी है जिसको आप भी गौर करें कल वहां पर जो भी जनता उपस्थित थी 12 तारीख को। 12 तारीख के लिए उन्होंने कहा कोई रिपोर्ट नहीं और जो एफ0आई0आर0 है, एफ0आई0आर0 के अन्दर की जो भाषा है वह मैं आपको बता रहा हूं, पूरे विवरण के साथ, जो मृतक की पत्नी की तरफ से है, एक जाति विशेष के लोगों ने साजिश करके मेरे पति की योजना करके हत्या कर दी। अतः श्रीमन् से प्रार्थना है कि मेरी रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश देने के बाद उनके ऊपर कार्यवाही करें। जो मृतक की पत्नी है उसका पुलिस पर कोई आरोप नहीं है, रिपोर्ट के अन्दर दर्ज होना चाहिए। मैं एफ0आई0आर0 पढ़ रहा हूं, एफ0आई0आर0 के अन्दर उसको किसी ने नहीं रोका था कि वह यह लिखता कि पुलिस के लोगों ने मेरे पति को मारा। क्योंकि एक घटना हो गयी, स्वाभाविक रूप से शक जा सकता है कि दूसरे समाज के लोगों ने यह किया है। अब मान्यवर, सारी बात के बाद इस घटना में गलती पुलिस की है। मैं स्वयं कह रहा हूं, उनको एक तारीख से आठ तारीख तक नहीं रखना चाहिए था, पूछताछ इतनी लम्बी नहीं करनी चाहिए थी और उस व्यक्ति ने जाकर अपने आपको टांगा, किस लिए टांगा। मान्यवर, यह भी मालूम हुआ कि उसको पारिवारिक तकलीफ थी, लेकिन बहरहाल जो भी उसका बैकग्राउन्ड हो मैं उसमें नहीं जाता हूं।

मान्यवर, इस बारे में यह सरकार कार्यवाही कर रही है कि पुलिस को 8 दिन तक उसको नहीं रखना चाहिए था। लेकिन पुलिस के ऊपर उसको मारने का कोई दोष साबित नहीं होता, न रिपोर्ट के अन्दर है, न आपकी जी0डी0 के अन्दर है। किसी तरह से यह साबित

नहीं होता कि पुलिस ने उस व्यक्ति को मारा। मुझे बस इतना ही कहना है। माननीय काजी जी उस समाज के वरिष्ठ नेता हैं, काजी जी ने कहा कि सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच करा दीजिये। हम सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच करा देंगे।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, मुझे तो उन्होंने दो च्वाइस लिखकर दी।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यहां जो प्रश्न अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनाया, इस प्रकार एक जाति विशेष के कुछ लोगों से सांठगांठ करके मेरे पति की योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गयी। कौन है जिसने यह योजना बनायी, किसने यह षड्यंत्र किया। मेरा एक अनुरोध है कि एक गरीब मर गया, उसके परिवार की स्थिति आपने देख ली। उसका न मुआवजा है, न सी0बी0आई0 से जांच की मांग। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर लीपापोती करने की कोशिश की है। यह घोर अन्याय है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, मैंने इतने विस्तार से कहा कि इसको राजनीति में न लायें। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या घोषणा नहीं कर सकते कि उसके परिवार को कुछ मुआवजा देने की, जिसके मौलिक अधिकारों की रक्षा हम नहीं कर सके।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच करवा रहे हैं, निष्पक्ष जांच हम करा रहे हैं। तो उसके बाद तो विवाद समाप्त हो जाना चाहिए। इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

अब हम दूसरी सूचना ले रहे हैं, श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की, लेकिन चूंकि इसमें नियम 52 में चर्चा स्वीकार की जा चुकी है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, ग्राह्यता पर तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा ठीक है, इसमें उत्तर नहीं आयेगा, आप बोलिए।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, पर्वतीय क्षेत्रों में 03 मई से 11 मई के बीच हुई भयंकर ओलावृष्टि तथा अंधड़ से कुमायूं तथा गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में फलों तथा फसलों की खेती लगभग पूरी तरह नष्ट हो गयी है। जबरदस्त नुकसान के कारण किसानों की कमर टूट गयी है।

दिनांक 03 मई से 06 मई, 2001 के मध्य हुई भयंकर ओलावृष्टि से नौगांव–सेवरी (उत्तरकाशी), रुद्रप्रयाग, चमोली, रामगढ़ (नैनीताल) आदि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फलों, सब्जियों तथा अनाज की फसलों को नुकसान हुआ है। पुनः 10–11 मई के बीच कुमायूं में विभिन्न क्षेत्रों में ओलावृष्टि तथा अंधड़ में जहां खेती/बागवानी को जबरदस्त नुकसान हुआ है, वहीं जानमाल का भी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से अब तक रामगढ़, भीमताल, भवाली, धनुवाखान, धारी, धाना चूली, मोतियापाथर, पहाड़पानी, लमगड़ा, रानीखेत, चौखुटिया, सोमेश्वर, भैसियाछीना आदि क्षेत्रों में खेती/बागवानी को सर्वाधिक नुकसान हुआ है।

विकास खण्ड रामगढ़ की ग्राम पंचायत–सतबूंगा में भारी ओलावृष्टि में फंस जाने के कारण एक वृद्ध की मौत हो गयी।

विकास खण्ड–भैसियाछीना में उफनते नाले में कई मवेशी बहकर मर गये तथा मंगलता में स्कूल तथा भवनों की छतें उड़ गयी तथा कुछ लोग घायल हो गये। विकास खण्ड लमगड़ा में भी व्यापक क्षति हुई है।

विषय तात्कालिक, अविलम्बनीय लोक महत्व का है। अतः कार्य स्थगन की सूचना दे रहा हूं।

श्रीमन्, ओलावृष्टि और तूफान के कारण जो व्यापक क्षति हुई है इससे आज किसान, बागवानी करने वाले, तथा छोटी खेती करने वाले सब भुखमरी की कगार पर हैं। उनकी आमदनी के सभी स्रोत बन्द हो गये हैं। यह निश्चित रूप से एक दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से इस कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से वैसे तो मैं मांग करता कि इस पर सदन का कार्य रोककर चर्चा कराई जाती, लेकिन श्रीमन्, जैसा आपका निर्देश कि इस विषय में सदन पर चर्चा के लिए पहले से ही कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, फिर भी मैं सरकार से इस बात के लिए आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दैवीय आपदा प्रबन्धन मंत्री जी इस दैवीय आपदा के क्षण में तमाम प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार तत्परता से कार्य करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे निरस्त करता हूं।

वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, अनुदान संख्या–15, समाज कल्याण

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल जी की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष से अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1363542 हजार (एक अरब छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख बयालिस हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।"

मान्यवर, आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का पहला बजट प्रस्तुत करते हुए अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। स्वास्थ्य विभाग जीवन से लेकर मरण तक मनुष्य के प्रत्येक पहलू से जुड़ा रहता है। आज हमारी सरकार ने चाहे वृद्ध हो, जवान हो, महिला हो सभी को एक स्वस्थ स्वास्थ्य देने की दृढ़ प्रतिज्ञा ली हुई है। इसलिए आज हमने इस बजट को बहुत ही ऐतिहासिक किस्म का बजट बनाया है। मैं थोड़ा सा बजट के बारे में बताना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी हम पर्यटन प्रदेश, शिक्षा प्रदेश बना चुके हैं तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि स्वास्थ्य प्रदेश भी बनने वाला है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप कृपया जारी रखें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, प्रदेश के सम्पूर्ण बजट 4505 करोड़ 75 लाख 27 हजार में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर 154 करोड़ 71 लाख 10 हजार का प्राविधान अनुमानित है। जो कुल बजट का 3.43 प्रतिशत है। आयुर्वेद में कुल 24 करोड़ 1 लाख 64 हजार का प्राविधान किया गया है। जोकि कुल बजट का 0.53 प्रतिशत है। इसी प्रकार होम्योपैथी में कुल 2 करोड़ 67 लाख 34 हजार का प्राविधान किया गया है, जोकि कुल बजट का 0.6 प्रतिशत है। इस प्रकार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर कुल बजट का 4.02 प्रतिशत हमने प्राविधान किया है। जबकि उत्तर प्रदेश से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल बजट में 2.67 प्रतिशत ही प्राविधानित है।

मान्यवर, वर्तमान में आयुर्वेद में पहली बार चौबीस करोड़ एक लाख चौंसठ हजार रुपये का हमने प्राविधान किया है और पहली बार आयुर्वेदिक भवनों का निर्माण करने का भी हमने संकल्प लिया हुआ है। मान्यवर, इस बजट में वचनबद्ध व्यय है उसके अलावा राजकीय चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए, राजकीय चिकित्सा संस्थानों के भवनों के निर्माण के लिए, विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए, नये जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना के लिए, क्षय रोग चिकित्सालयों की स्थापना के लिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भी प्राविधान किया गया है। आयुर्वेद की बहुमुखी उन्नति के लिए विशिष्ट प्राविधान इस बजट में किया गया है। मान्यवर, 2001–2002 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य है, 40 उप केन्द्रों का निर्माण, 40 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण एक जिला चिकित्सालय का निर्माण, विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं जैसे–ई0एन0टी0 एवं आर्थो जो है, 7 स्थानों पर हमने लगाने का प्राविधान किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी हमारे पास है क्योंकि रुद्रप्रयाग और चम्पावत तथा बागेश्वर तीन जिलों में नये कार्यालयों की स्वीकृति हमें मिल चुकी है। क्षय रोग क्लीनिक में इस समय 5 क्लीनिक यहां पर खोल रहे हैं। जबकि भवाली और जेठिया में क्षय के बहुत अच्छे अस्पताल चल रहे हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना भी हम इसी बार कर रहे हैं तथा मा0 उच्च न्यायालय जो नैनीताल में है उसके लिए भी एक चिकित्सालय का निर्माण करना है उसके मानकों के अनुसार हम निर्माण कर रहे हैं।

मान्यवर, उत्तरांचल में हम दो प्रकार की स्वास्थ्य सेवायें देते हैं। एक तो प्राथमिक स्तर पर दे रहे हैं और एक जब प्राथमिक स्तर से अधिक चिकित्सा करने की आवश्यकता पड़ती है और तब हम उसको दूसरे प्रकार के अस्पतालों में चिकित्सायें देते हैं तो हमारे पास अभी कुल संख्या जो है उत्तरांचल में, उसकी इकाइयाँ कार्यरत हैं। प्राथमिक स्तर पर उप केन्द्र हैं। 1525 मुख्य परिवार केन्द्र हमारे पास है। 84 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं 84 और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हमारे हैं। 173 राजकीय एलोपैथी हैं, 322 ग्रामीण महिला चिकित्सालय हमारे पास हैं 36 और नगरीय क्षेत्र में हमने हैल्थ पोस्ट भी बनाये हैं जो देहरादून में हमारे पास कम से कम 9 पोस्टें इस समय काम कर रही हैं जो द्वितीय स्तर पर स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली स्थापित करी है और प्राथमिक स्तर पर इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बड़ी संख्या हमारे पास है। 23 बड़े चिकित्सालय हमारे पास हैं, 32 और प्रसूतोत्तर केन्द्र हमारे पास हैं, 24 वर्तमान में काम कर रहे हैं। इसी बार हमने एक बहुत बड़ी बात करी है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 2000–2001 की जो हमने कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका परफारमेन्स के बारे में अपनी निकाली है। पहली बार हमने आज यहां पर सभी मा0 सदस्यों को दी है। ताकि बाद के लिए भी एक रिकार्ड सदस्यों के पास रहे। स्वास्थ्य सेवायें उत्तरांचल में सुदृढ़ हों तथा गांव–गांव तक जा सकें। आम आदमी को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके इसके लिए हमने कुछ विशेष व्यवस्थाएं करी हैं। आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 1147 ग्राम सभाओं को हम लाभान्वित कर रहे हैं कि जहां स्वास्थ्य रक्षक सी0एच0जी0 द्वारा 934 ग्राम सभाओं को और चिकित्सा इकाइयों द्वारा हम 186 ग्राम सभाओं को लाभान्वित कर रहे हैं। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को मान्यवर, सी0एच0जी0 को हमने विशिष्ट किस्म की कुछ दवाईयां दी हुई हैं। जो आवश्यक दवाईयां है, जिनके लिए हमने एक छोटा सा कैप्सूल का प्रशिक्षण भी उनको दिया है ताकि वह गांव–गांव में जाकर इन दवाओं की उपयोगिता से लोगों को परिचित करा सकें ताकि लोगों को ठीक तरह से दवाईयों का वितरण कर सकें। यात्रा मार्गों के लिए बीच में मा0 सदन में भी यह बात आई थी तो हमने बहुत विस्तृत व्यवस्था इस बार करायी है।

मान्यवर, यात्रा मार्गों के लिए यात्रा सीजन चल पड़ा है। उत्तरांचल में इस समय 125 सफाई कर्मी कार्य कर रहे हैं और 62 में ऑक्सीजन गैस की व्यवस्था की है। 141 स्वास्थ्य सीट्स हमने दीर्घ शंका के लिए शौचालय बनाये हैं और 228 मूत्रालय हमने वहां पर बनाये हैं। यात्राओं की सुविधा के लिए इसी प्रकार से 11 स्थानों पर हमने एम्बुलेन्स की सुविधा प्रदान की हुई है और कहीं पर खाद्य अपमिश्रण न हो और जो हमारे यात्री देश के कोने–कोने से आ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो इसके लिए हमने 6 फूड इंस्पेक्टर भी वहां तैनात किये हैं, पूरे यात्रा सीजन के लिए।

मान्यवर, इस बार हमने राष्ट्रीय कार्यक्रमों को बहुत गम्भीरता से लिया है, जनसंख्या नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण, राष्ट्रीय मलेरिया निवारण, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम उनको हमने बहुत ही गम्भीरता से लिया है। एड्स के बारे में हमने एक मई से पन्द्रह मई तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया था जो आज समाप्त हो रहा है और उत्तरांचल में प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम 20 स्थानों पर हमने वहां पर कैम्प

लगाये हैं। लोगों को जागरूक किया है। हमारी महिला चिकित्सकों ने महिलाओं के बीच में, और हमारे पुरुष चिकित्सकों ने पुरुषों के बीच में जाकर लोगों को बहुत ही जागरूक किया है और यह कर्मचारी हमारे रुकने वाले नहीं हैं, इसको लगातार हम कंटीनुएशन में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इस प्रकार से मान्यवर, जनसंख्या नियंत्रण के लिये जो कार्य किया है, हमारा सबसे पहला लक्ष्य यह है कि हम गर्भ निरोधक लाभार्थियों की संख्या को बढ़ायें। इसमें हमने आई0यू0डी0 इसके जो साधन हैं, इनको और आगे तक बढ़ाने का कार्य हमने किया है। इनके यूजर्स को भी बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और सी0डी0 यूजर्स आदि जो सामग्री होती है इसको भी बढ़ाने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। राज्य के बनने के बाद हमने आज तक 21 हजार 86 नसबंदी की है।

हमारा यह मानना है कि किसी भी देश की प्रगति का आधार वहां की जनसंख्या होती है। अगर साधन सीमित हैं और जनसंख्या बढ़ गयी है तो निश्चय ही उन साधनों का उपयोग आम आदमियों तक नहीं पहुंच पायेगा। इसलिए हम अभी से चाहते हैं कि यहां कि जनता की संख्या को हम नियंत्रित कर लें, और एक बिन्दु पर जाकर उसको रोक लें। इसलिए हम एक ऐसी योजना तैयार कर रहे हैं कि 2006 तक पहुंचते-पहुंचते हम यहां की जनसंख्या को स्थाई बिन्दु पर रोक दें, जिसके लिए हमारी कार्ययोजना बन रही है। चूंकि अभी पूर्णतया नहीं बनी है इसलिए मैं माननीय सदन में पहले घोषणा उचित नहीं समझता हूं। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम में राज्य बनने के बाद हमने 796 नये रोगी खोजे तथा इसके पहले के 369 रोगी हैं, इस प्रकार से कुल जो रोगी थे 1086। सब रोगी रोगमुक्त हो गये हैं, तो कुष्ठ नियंत्रण अभियान जो पूरा 100 परसेण्ट केन्द्र सरकार की सहायता से चलता है उसको भी हमने बहुत गम्भीर तरीके से लिया है, जगह-जगह पर इसके लिए विशेष अभियान चलाये जा रहे हैं। राष्ट्रीय मलेरिया निरोधी कार्यक्रम अभी वर्तमान में चल रहा है, यह भी पूरा केन्द्र सरकार की सहायता से चलता है, हमने वर्तमान में इनके ब्लड लिये हैं। जब से राष्ट्र बना है 69 हजार 478 नमूने यहां पर लिए हैं, 622 रोगी उसमें पॉजिटिव पाये गये हैं और 622 का उपचार किया है और इस प्रकार मान्यवर, हमने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को भी बहुत गम्भीरता से यहां पर लिया है। वर्तमान में प्रदेश में 2 क्षय रोगाश्रम चल रहे हैं और यह उत्तर भारत के सबसे बड़ा रोगाश्रम माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त 3 चिकित्सालय चमोली, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में भी हमने स्थापित किये हुए हैं और हमने मान्यवर, कुछ चीजों को तो सूक्ष्म दृष्टि से हमने देखा है।

मान्यवर, यहां के स्वरूप को हम किसी तरह से ठीक करें इसलिए हमारे लोग यहां पर लगातार खाद्य पदार्थों में खाद्य अपमिश्रण के नमूनों की जांच प्रारम्भ कर चुके हैं और निकट भविष्य में इसके अच्छे परिणाम भी आने की आशा है। कुछ मानक हम इसके लिए बनाने जा रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति किसी दुष्प्रेरणा से किसी के नमूने न लें। एक समान भाव से यहां के जन स्वास्थ्य को ठीक करने की दृष्टि से यहां के अपमिश्रण नमूने लें और जो पास होता है उनके खिलाफ ही मुकदमें चलें। इसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात उत्तरांचल राज्य बनने के बाद हमने यह करी कि ए0आर0वी0 की जो वैक्सीन होती है, कुत्ते के काटने के बाद यह होता था कि दूर-दराज के गांव में अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता था तो उसे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर आना पड़ता था, तब दवाइयां पास कराके ले जानी पड़ती थी, इसमें काफी दिन लग जाते थे। मान लीजिए

अगर किसी को चकराता क्षेत्र से यहां देहरादून आना हो तो पहले उसको रैबीज का इंजेक्शन ले जाना पड़ता था, वहां रखने के लिए भी सोचना पड़ता था, बहुत परेशानी होती थी। तो हमने यह कर दिया है कि पी0एच0सी0 स्तर पर जहां–जहां फ्रिज हैं, वहां पर कम से कम यह वैक्सीन हमारे यहां से चली जाये और वहां पर जिन लोगों को भी इसकी आवश्यकता हो, उनको निर्बाध रूप से प्राप्त हो सके। हमने यह व्यवस्था की है, पहले यहां पर सिर्फ 26 केन्द्र ऐसे थे, जहां पर हम रैबीज वैक्सीन उपलब्ध कराते थे। जब से हमारा शासन आया, हमारी सरकार ने आते ही 53 और केन्द्र उत्तरांचल में खोले हैं। आज दूर–दराज के क्षेत्रों में भी इस वैक्सीन का फायदा मिल रहा है।

मान्यवर, हमने कुछ अन्य काम भी यहां पर किये हैं। हमने एफ0एम0ए0सी0 एवं पैटस्मियर देहरादून और हल्द्वानी में प्रारम्भ कर दिया है। एफ0एम0ए0सी0 में किसी भी गांठ में निडिल डालकर हम उसका रस ले सकते हैं और उसकी स्लाइड बनाकर यह देख सकते हैं कि वह कैन्सर है कि नहीं। यह पहले यहां पर नहीं था। पैटस्मियर में, वैजाइनल कैंसर महिलाओं में बहुत होता है। यह बहुत देर से पता लगता है। तो मातृ शक्ति को ठीक समय पर उपचार का मौका मिले इसलिए हमने पैटस्मियर की व्यवस्था भी इन दोनों अस्पतालों में प्रारम्भ कर दी है जो विधिवत् यहां पर कार्य कर रहे हैं और हम एक बहुत बड़ा काम यहां और करने जा रहे हैं कि बेस हॉस्पिटल जितने भी हैं, उनमें हिस्टोपैथोलॉजी हम प्रारम्भ कर रहे हैं। जिसके लिए लगभग 12 लाख रुपये की व्यवस्था हो गयी है। आज तक उत्तरांचल में किसी भी व्यक्ति को कैंसर होने की आशंका होती थी, तो उसकी बायोप्सी करवाने के लिए दिल्ली, मेरठ, बरेली या कहीं दूर ही जाना पड़ता था। इस बार हमारे बेस हॉस्पिटल में यह व्यवस्था प्रारम्भ होने जा रही है, जिसमें धन की स्वीकृति मिल गयी है। उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। दून अस्पताल और महिला अस्पताल का हमने रेनोवेशन प्रारम्भ कर दिया है। 75 लाख 20 हजार, तथा 37 लाख 60 हजार रुपये क्रमशः हमने इसमें स्वीकृत कर दिये हैं और एक–आध चीजें उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में अच्छी कर दी हैं कि स्टोर में आज की तिथि में दवाओं की क्या स्थिति है, सारे अस्पतालों में उसकी लिस्ट टांगने के निर्देश दिये हैं और उसका निरीक्षण भी चल रहा है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आज रोगी और डॉक्टर के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बन रहे हैं। कोई आरोप–प्रत्यारोप नहीं लगा सकता है कि अस्पताल में दवा नहीं है, हमको नहीं मिलती है। जो है, सामने लिस्ट है। कितनी है, उसका टैली भी हमारे लोग जाकर कर रहे हैं ताकि गलत रिपोर्ट न हो। यह पारदर्शिता इस सरकार का जो गुण है, उसमें मील का पत्थर साबित होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारी इस धारणा से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश ने भी अपने यहां इस तरह की सूची अस्पतालों में, दृश्यमान जगहों पर लगानी शुरू कर दी है। यह उत्तरांचल की एक बहुत बड़ी सफलता है।

मान्यवर, यूजर चार्ज, जिसे चिकित्सा शुल्क कहते हैं। यह व्यवस्था थी कि 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ा दिया जाये या फिर एक रुपया बढ़ा दिया जाये। जो पर्चा हमारे यहां 5 रुपये का बना था अब वह 6 रुपये का हो गया है। एक्स–रे का चार्ज भी बढ़ गया। इस व्यवस्था में हम देखें कि जो पर्चा आज 5 रुपये का है, 50 साल बाद वही पर्चा 55 रुपये का हो जायेगा। हमने इस वर्ष से इसे बिल्कुल सख्ती से रोक दिया। यह भी हमारी एक

बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, डाक्टरों की कमी है। जैसा माननीया इंदिरा जी ने कहा था मैं पूर्व में सदन में भी इस बात को बता चुका हूं कि हम संविदा पर डाक्टरों को रखने जा रहे हैं। जिसमें नर्सें और टेक्नीशियन भी हैं, लेकिन आज हमको तुरन्त डाक्टरों की आवश्यकता है। हम एक नई नीति बनाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उत्तरांचल के सभी अस्पतालों में ठीक दवाएं उपलब्ध करायी जायें भले ही कम मात्रा में दवाएं उपलब्ध हों।

मान्यवर, एक विश्व बैंक सहायतित परियोजना हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, उपकरणों को खरीदने की योजना के लिए 66.624 करोड़ की योजना चलाई जा रही है। इसके माध्यम से यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त–दुरुस्त किया जायेगा। इसके लिए 52 कम्प्यूटर एवं वैन आदि खरीद रहे हैं। इससे हमारा पूरा जितना भी नेटसेल है, स्टेट से जुड़ जायेगा, कम्प्यूटरों से जुड़ जायेगा। हमारी सरकार इसकी दिन–प्रतिदिन मॉनीटरिंग कर सकेगी। एक छोटा सा खाका मैंने रखा है। चूंकि हमारा जो स्टेट है, वह नया स्टेट है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अपने–अपने सुझाव देकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष–

आपका भाषण जारी रहेगा। अब हम उठते हैं, 3 बजे तक के लिए।

(सदन 1 बजकर 40 मिनट पर भोजनावकाश के लिए स्थगित हुआ)

(भोजनावकाश)

सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में अपराह्न 3 बजे पुनः आरम्भ हुई

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मा0 चिकित्सा मंत्री जी द्वारा एक अरब बत्तीस करोड़ पैंतीस लाख बयालिस हजार रुपये का बजट प्रस्ताव किया गया है। मान्यवर, मा0 मंत्री जी तो उपस्थित नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश का सृजन 09 नवम्बर, 2000 को हुआ लेकिन विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहां की छिटकी हुई आबादी को देखते हुए यह बहुत आवश्यक है कि जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेन्टर और सामुदायिक केन्द्र स्थापित हों वे ऐसे स्थानों पर हों जहां पर इस प्रकार की सुविधायें आज नहीं हैं। मान्यवर, हमारे इस प्रदेश के बहुत से ऐसे अंचल इतने पिछड़े हुए हैं कि जहां आज भी चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं से लोग वंचित हैं। अभी मा0 मंत्री जी ने बताया कि 1525 उप केन्द्र यहां पर हैं और वे भवनहीन हैं उनमें बहुत कम इस प्रकार के उप केन्द्र हैं, जहां भवन हैं और उन्होंने नये भवन बनाने हेतु केवल मात्र दो करोड़ रुपये दिया है। यह समझ से परे हैं। मान्यवर, किस तरह से उप केन्द्रों की बिल्डिंग और भवनों का निर्माण होगा। तो मान्यवर, मात्र हमारे मंत्री महोदय ने दो करोड़ रुपया इस मद में आवंटित किया है। मैं समझता हूं इन 1525 उप केन्द्रों की संख्या है उन भवनों का निर्माण हो सकता है। प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्रों के जो भवन अभी अधूरे पड़े हुए हैं। इस प्रकार के भवन चाहे हमारे क्षेत्र में हों, चाहे मा0 मंत्री जी के क्षेत्र में, चाहे अन्य विधायकगणों के क्षेत्र में, उनकी हालत जर्जर है और केवल तीन करोड़ मात्र का आवंटन मान्यवर किया है। जो भवन बने हुए हैं उनके लिए 1.11 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो बहुत ही कम हैं। इस तरह औषधि तथा रसायन कार्यवाही करने के लिए केवल मात्र 6 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इस प्रदेश की जनसंख्या लगभग 85 लाख हैं। मैं समझता हूं कि केवल एक व्यक्ति पर हिसाब लगाया जाय तो सालभर में लगभग 7 रुपये के करीब आता है तो आप समझिये कि किस तरह से हम उन्हें सुविधायें दे पायेंगे। जहां हमारा यह दायित्व है, कल्याणकारी राज्य की हम बात करते हैं, उसका सपना दिखाते हैं लेकिन चिकित्सा स्वास्थ्य जो इतने महत्वपूर्ण बिन्दु हैं, मान्यवर, आप जानते हैं हैल्दी माइंड हैल्दी बॉडी। अगर हमारी बॉडी स्वस्थ नहीं होगी तो मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं होगा और जब मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा, तो आज जितने क्रियाकलाप जितनी उपलब्धियां इस संसार में हैं वह इंसान के मस्तिष्क द्वारा हुई हैं तो किस तरह से मस्तिष्क स्वस्थ हो सकता है। मान्यवर, केवल मात्र 6 करोड़ रुपये के आवंटन दवाईयां और रसायन के लिए, मैं समझता हूं ऊंट में मुंह का जीरा की बात कही जा सकती है और इससे हमारे जो गरीब लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं उनका भला होने वाला नहीं है। जहां तक एलोपैथी की बात है इसके लिए बजट में प्राविधान होना चाहिए था कि हर न्याय पंचायत पर कम से कम इस प्रकार की सुविधायें हों। आज इस तरह ग्रामीण अंचलों में इस प्रकार की सुविधायें नहीं हैं। हमने आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको यह दायित्व सौंपा है लेकिन वह छोटी-मोटी दवाईयां दे सकते हैं लेकिन जो उपचार की बात है इस प्रकार से जो ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोग हैं वह उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

जहां तक एलोपैथी की बात है इसका साइड इफेक्ट हो जाता है, तो यह बहुत आवश्यक है। मान्यवर, हमारी प्राचीन धरोहर हमारी सांस्कृतिक धरोहर आयुर्वेद का जितना हम प्रचार-प्रसार कर सकें वह हमारे लिए लाभदायक होगा। आयुर्वेदिक पद्धति के बारे में मान्यवर, धन मंत्री जी ने यह संदेश हमारे भारत को दिया था।

आज भी मेरा मान्यवर, यह चैलेंज है कि इस प्रकार की बहुत सी असाध्य बीमारियां, बहुत से असाध्य रोग जो कि एलोपैथिक से ठीक नहीं हो पाते हैं, आज आयुर्वेदिक पद्धति से ठीक हो सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक पद्धति के विषय में मान्यवर, धन का आवंटन बहुत कम किया गया है। हमारे यहां पं0 मदन मोहन मालवीय द्वारा ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज 1923 में स्थापित किया गया और पं0 मदन मोहन मालवीय के विषय में आप सभी जानते हैं, हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, जो उन्होंने स्थापित किया, आज उनके कृत्यों की गाथा गा रहा है। इसका अधिग्रहण 1974 में सरकार द्वारा किया गया था, इसी प्रकार से ऋषि दयानन्द जी के शिष्य महात्मा श्रद्धानन्द जी ने 1922 में गुरुकुल आयुर्वेद कालेज की स्थापना की और इसका अधिग्रहण 1978 में किया गया। आज ये दोनों संस्थायें सरकारी देख-रेख में चल रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक पद्धति को यदि बढ़ावा देना हैं तो इस पर अधिक धन का आवंटन होना चाहिए और मेरा यह मानना है कि यदि न्याय पंचायत में अपने स्तर पर 1-2 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की स्थापना करा दी जाय तो हमारी जनता को बहुत सुविधा होगी।

क्योंकि हमारी आयुर्वेदिक की जो दवाइयां हैं वह सस्ती भी हैं, प्रभावी भी हैं और असाध्य रोगों को दूर करने में एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। अभी मान्यवर, जो इनके सरकारी हॉस्पिटल हैं, तो हमारे यहां चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत समूह क, ख, ग, घ के श्रेणी के कर्मचारी और अधिकारियों के विवरण के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि 2926 पद रिक्त हैं और इसी तरह से चिकित्सा अधिकारी के पद हमारे यहां 759 रिक्त हैं। तो जब इतनी लम्बी लिस्ट है रिक्त पदों की, तो मान्यवर, उनकी चयन प्रक्रिया लागू होनी चाहिए थी। कब यह चयन होगा और कब से रिक्तियां भरी जायेंगी, इसका जिक्र कहीं माननीय मंत्री जी ने नहीं किया है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में जब पद रिक्त होंगे तो वहां डाक्टर उपलब्ध नहीं होंगे, आज भी हमारे सामने व्यवहारिक कठिनाइयां हैं।

मेरे यहां रुड़की में स्वर्गीय जगदीश नारायण सिंह स्मारक चिकित्सालय है। वहां पर आप ये देखिये, रुड़की इतना इम्पोर्टेन्ट शहर है, इतना ख्याति प्राप्त शहर है और उसके आस–पास इस प्रकार का कोई चिकित्सालय भी नहीं है। जी0टी0 रोड वहां से गुजरती है और रोजाना दुर्घटना होती है। दुर्घटना से ग्रस्त बहुत से लोग आते हैं वहां पर। चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण उनको दिल्ली और मेरठ की शरण में जाना पडता है। तो वहां पर भी बहुत से डाक्टर्स नहीं हैं। होता क्या है रिक्तियां खाली रहती हैं और भरी नहीं जाती है तो उनके अभाव में आज जो लूट–खसोट प्राइवेट डाक्टर्स के द्वारा हो रही है उससे गरीब जनता को बचाने के लिये, यह आवश्यक है कि हम चिकित्सा स्वास्थ्य का समुचित प्रबन्ध करें। अभी एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन हॉस्पिटल में, जो भी हमारे सामुदायिक केन्द्र हैं, उनमें डाक्टर्स नहीं रहते हैं, ज्यादातर शहरों में रहते हैं। तो हमारे ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। मान लीजिये रात को कोई बीमार हो जाता है तो वह चिकित्सा सुविधायें प्राप्त नहीं हो पाती हैं।

मान्यवर, यह बाध्यता होनी चाहिए कि हर डाक्टर को, हर मेडिकल ऑफीसर को वहीं पर, जहां पर हॉस्पिटल है, निश्चित रूप से परमानेन्ट रूप से रहना होगा, यह नहीं कि वह वहां से चले जायें। आज हमारे जितने भी इस प्रकार के चिकित्सालय हैं, स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वहां पर उपकरणों की बहुत कमी है। मैंने जैसा आपको कल भी बताया था चाहे वह रुड़की हो, हरिद्वार हो, कोई भी हॉस्पिटल आप देख लीजिए, वहां पर एक्स–रे मशीन बाबा आदम के जमाने की है, वहां पर इस प्रकार की सुविधायें नहीं हैं कि अल्ट्रासाउन्ड हो सके, इस प्रकार की सुविधायें नहीं हैं, जो आवश्यक हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे चिकित्सालय उपकरणों से लैस होने चाहिए जिससे कि जो रोगी हैं, उनका उपचार ठीक प्रकार से हो सके। आज आपने कहा कि एक मई से बढ़ी हुई दरें कम कर दी हैं, आपने यह अच्छा काम किया है लेकिन अभी जो रजिस्ट्रेशन फीस थी, वह बढ़ा दी गयी थी, जो मुफ्त इलाज होता था, इस प्रकार के चिकित्सालयों में, उन सबको चार्जेज आपने लेने शुरू कर दिये थे। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के अस्पतालों में वे लोग आते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन निर्वहन करते हैं। जिनके पास पैसा है, वे नर्सिंग होम में इलाज कराते हैं। क्योंकि हमारे अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। वहां सफाई नहीं है, डॉक्टर नही है, उपकरण नहीं हैं। इसलिए यह सब व्यवस्थायें ठीक होनी चाहिए।

अभी जैसा आपने कहा कि हमने यात्रियों के लिए बहुत सुविधाओं का प्रबन्ध किया है लेकिन मान्यवर, हरिद्वार, जहां लाखों की संख्या में यात्री आते हैं, वहां पर जो सुविधायें हैं, वह भी नाकाफी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज गर्मी के दिनों में भारी संख्या में यात्री आ रहे हैं, उनकी चिकित्सा का इस प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिए ताकि कोई महामारी न फैल सके। आपने कहा कि हमने आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की जिम्मेदारी दी है लेकिन आज स्थिति यह है कि या तो उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, एक–दो महीने की ट्रेनिंग उनको दीजिये, तब उनको यह दायित्व सौंपिये। नहीं तो "नीम हकीम खतरा–ए–जान" वाली कहावत चरितार्थ हो सकती है। आपने कहा कि हमारे यहां बहुत से चिकित्सालय ऐसे हैं, जहां आई–सर्जन नहीं हैं, ई०एन०टी० की कोई व्यवस्था नहीं है, ऑर्थोपेडिक्स की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन सब चीजों पर मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, परिवार कल्याण हमारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है लेकिन आज हम देख रहे हैं, चाहे भारतवर्ष हो, चाहे उत्तर–प्रदेश हो, चाहे हमारा उत्तरांचल प्रदेश हो, आज जनसंख्या की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है और यदि हम जनसंख्या को नहीं रोक पायेंगे तो फिर तो हमारी प्रगति और उन्नति करने की जो इच्छा है, वह पूरी नहीं हो पायेगी और इसमें जहां आप दूसरे काम कर रहे हैं, वहां यह भी कर सकते हैं कि जहां भी कोई नियुक्ति आप करें तो प्राथमिकता उन बच्चों को मिलनी चाहिए, जिनके अभिभावकों ने परिवार कल्याण अपनाया हो। इसी प्रकार से एडमीशन की बात है, तो उन्हीं बच्चों को प्रीफ्रेंस मिलना चाहिए। तो इस तरह से एक मैसेज जायेगा और परिवार कल्याण की ओर लोग आकर्षित होंगे, नहीं तो आज हो क्या रहा है, हमारी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आने वाले 8–10 वर्षों में उत्तरांचल की स्थिति विस्फोटक हो जायेगी। आज प्रगति और उन्नति की जो कल्पना हमारे हृदय में है, वह सपना पूरा होना मुश्किल होगा।

मान्यवर, जहां तक होम्योपैथी का सवाल है, इसको भी हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि होम्योपैथी की दवा बहुत सस्ती होती है। इसमें भी हम 2–4 गांवों की बीच में डाक्टर नियुक्त कर दें। होम्योपैथी का कोई साईड इफैक्ट नहीं होता है। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें होम्योपैथी, एलोपैथी से अधिक कारगर सिद्ध हुई है। जहां हम आयुर्वेद की बात करते हैं, हमें यूनानी पद्धति को भी अपनाना चाहिए क्योंकि यूनानी और आयुर्वेद दोनों मिलती–जुलती पद्धतियां हैं। जो दवाईयां आयुर्वेद में प्रयोग की जाती हैं लगभग उसी से मिलती–जुलती दवाईयां यूनानी पद्धति में भी प्रयोग की जाती हैं। हमारे उत्तरांचल में जड़ी–बूटियां काफी मात्रा में पैदा होती हैं। यूनानी पद्धति को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे इस प्रदेश में इस प्रकार की सुविधायें चिकित्सा और स्वास्थ्य के मामले में उपलब्ध नहीं हैं जो हमारी गरीब जनता के लिए समुचित हो। आज नई–नई बीमारियां फैल रही हैं। अभी मेरे क्षेत्र में चेचक का काफी गांवों में प्रकोप हो गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20–30 गांवों में चेचक का प्रकोप हुआ। जब मैंने सदन में यह सवाल उठाया तो वहां टीम पहुंची और उन्होंने कहा कि हां चेचक का प्रकोप हुआ है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में चेचक का प्रकोप हुआ और इससे 10–12 बच्चों की मौत हो गयी। मान्यवर, अभी कहा गया कि पहले कुत्ता काटने की दवाई उपलब्ध नहीं थी। पहले 26 स्थानों पर यह उपलब्ध

थी। अब 89 जगह यह उपलब्ध करा दी गयी है। मान्यवर, 89 केन्द्रों पर कुत्ता काटने की दवाई उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। यह दवा हर ब्लाक क्या, हर छोटे से छोटे स्तर पर उपलब्ध करायी जाय। इसी प्रकार से वैसे तो यह दूसरा विषय है, लेकिन आयुर्वेद और यूनानी पद्धति पर शोध कार्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, शोध कार्य होना चाहिए और शोध कार्य होगा तो निश्चित रूप से हम इसमें नये–नये आयाम स्थापित कर सकेंगे।

मान्यवर, आज मैं कहना चाहता हूं जहां तक बीमारियों का संबंध है तो इनमें आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, ये ज्यादा प्रभावी होती हैं केवल सर्जरी के मामले में आप कह सकते हैं, एलोपैथी इनमें सबसे ज्यादा कारगर है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

मान्यवर, आपने कहा कि बड़ी माता या चेचक फैला। तो वहां पर अगर उसका एक भी केस आपकी निगाह में हो, कृपया बतायें। यह बहुत गम्भीर मामला है जो छोटी होती है वह तो खसरा वगैराह होता है जो बड़ी माता को तुरन्त उसके मरीज को अलग करना पड़ता है उसे तुरन्त उपचार करना होता है यदि ऐसा कहीं आपकी निगाह में हो तो उसकी सूचना दें।

श्री अध्यक्ष–

वह छोटी माता होगी, चेचक कहते हैं, वह चिकन पॉक्स होगा, स्मॉल पॉक्स नहीं होगा।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, बड़ी माता थी मैंने सूचना दी सदन में तो आपकी टीम गयी है वहां।

काजी मो0 मोइउद्दीन

मान्यवर, यह कटौती का प्रस्ताव मैंने भी किया था उसके समर्थन में खड़ा हूं लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि सदन में हम लोग चाहे कुछ कहें, उसका कोई फायदा है या नहीं। ऐसा महसूस होता है कि हमारे मा0 नेता सदन हमारे मैदानी क्षेत्रों से ज्यादा ही प्रभावित हो गये हैं वहां वाक्या था कि दोपहर के वक्त में लोग भैंसे तालाब में नहला रहे थे तो एक आदमी ने पूछा 20 और 20 कितना होता है, दूसरे ने कहा 20 और 20, 30 होता है तो यह बहस छिड़ गयी कि 20 और 20, 40 होता है या 20 और 20, 30 होता। दोनों में शर्त लग गयी, जो हारेगा वह अपनी भैंस देगा। तो जब वह अपने घर गया शाम को, तो उसने अपनी पत्नी से कहा खाना–वाना नहीं बनाया तो उसकी पत्नी ने कहा तेरे को तो जूते मारुंगी, मेरे भाई ने एक भैंस दी थी तू उल्टी सीधी शर्त लगा आया। बेवकूफ तुझे ये भी खबर नहीं कि 20 और 20, 40 होता है तेरी तो भैंस चली जायेगी। मैं तुझे रोटी काहे को खिलाऊं उसने कहा, भैंस–वैस तेरी कहीं नहीं जायेगी। तो उसने कहा, गांव के सामने झूठा होगा। उसने कहा, मैं गांव के सामने भी झूठा नहीं होऊंगा। उसने कहा, फिर तो तू क्या करेगा, सारा गांव कहेगा। उसने कहा, यही होगा कि जो हारा वही भैंस देगा।

मैं हार ही नहीं मानने का, बकता रहे सारा गांव, तो भैंस तेरी किस तरह चली जायेगी। तो मा0 मुख्यमंत्री जी तो हार मानते ही नहीं हैं जो कुछ कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, बकते रहो सब कहते हैं कि आपका विभाग कह रहा है, आपका एस0पी0 कह रहा है, आपके सी0ओ0 कह रहे हैं, आपके दरोगा कह रहे हैं उनसे पूछ लीजियेगा। मान्यवर, ऐसे हालात में क्या स्वास्थ्य पर बोलें और किसी और पर बोलें, लेकिन फिर भी आपने आदेश दिया है तो मैं कुछ अर्ज करूं, कुत्ते काटने की दवा आपने उपलब्ध करा दी, बड़ी अच्छी बात है तो आवारा कुत्ते मारने पर भी कार्य जरूर कर लें। वह भी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मान्यवर, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो पैसे से होती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिना पैसे की हो सकती हैं। आप देखेंगे हम लोग रोज देखते हैं कि कितने केस ऐसे हैं जो अदालतों में कायम हैं, अदालत के हुक्म से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है, तो बहुत लम्बी उनकी लिस्ट हो जाती है। उसका कारण क्या है कि सरकारी अस्पतालों में जो डाक्टर बैठे हैं वह पैसा लेकर चोटें बनाते हैं किसी ने मुझे पीट दिया मैं, गम्भीर रूप से घायल हो गया, हमारा भी डॉक्टरी कर दी और अम्बरीष जी गये उन्होंने कहा काजी जी तो मुकदमा करायेंगे थाने में जायेंगे तो एक डॉक्टरी करा लीं।

वही चोट मेरी है और वही इन्होंने कागज में लिखवा दी और इन्होंने जाकर अदालत में दर्खास्त दे दी कि इनका भी चालान होना चाहिए, पिटने वाले का भी चालान हो रहा है और पीटने वाले का भी चालान हो रहा है। इस पर कैसे कन्ट्रोल पाया जा सकता है। शासन भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी यह कह देते हैं कि मजबूरी है, डाक्टर की रिपोर्ट है, अदालत का हुक्म है अदालत भी मजबूर है कि डाक्टर की रिपोर्ट है। तो मेरा सुझाव यह है कि एक ऐसी व्यवस्था बने कि अगर कोई आदमी डी0एम0 के यहां जाकर दर्खास्त दे कि झूठी डाक्टरी की है तो तुरन्त 24 घन्टे के अन्दर–अन्दर एक मेडिकल बोर्ड बैठा दिया जाय और फिर दोबारा उसकी डॉक्टरी की जाय जिसकी फर्जी डॉक्टरी हुई है, तो बहुत सारे मसले बदल सकते हैं। तो मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन किया था, कि अभी आपने बड़े विशाल हृदय का सबूत दिया था, कोई आदमी मरा था तो 3 लाख की घोषणा कर दी थी।

मान्यवर, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा रखना हमारा कर्तव्य है और उसका अधिकार है, जिसके अधिकारों को हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं और जो मर जाता है उसके परिवार का स्वास्थ्य तो खराब होगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री के कोष में पैसा नहीं है, जो गरीब बच्चे बिलबिला रहे हैं, मजदूर का बच्चा है उसको दूध उपलब्ध नहीं हो रहा है, रोटी उपलब्ध नहीं हो रही है तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक करोड़ रुपया कम करके ऐसे लोगों को दे दिया जाये, हमारी नाकद्रगी की वजह से, हमारे निकम्मेपन की वजह से, कमाने वालों का यह मौलिक अधिकार छीना है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनका स्वास्थ्य खराब न हो, वह बच्चे तो भूख से मर जायेंगे, मैं माननीय मंत्री जी से भी अपील कर देता हूं कि जिसको आपने 8 दिन तक हिरासत में रखा भले ही आपने नहीं मारा उसको, लेकिन कुछ तो उस पर रहम किया जायेगा, अगर आपके कोष में कुछ है तो दे दिया जाये, धन्यवाद।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय काजी जी ने जो कहा उससे मैं भी सहमत हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, यद्यपि इसके अन्दर सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है और न यह मुआवजा है, लेकिन बच्चों के लिये 2 लाख रूपया स्वीकार करते हैं।

(व्यवधान)

* श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने जो स्वास्थ्य की अनुदान मांगे प्रस्तुत की उसमें आपने बहुत सारे कार्यक्रमों को अण्डरलाइन किया, रेखांकित किया। वास्तव में जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, उसकी बुनियाद कुछ हद तक स्वास्थ्य सेवाओं पर टिकी हुई है। आज कोई भी राज्य अपने दायित्व से विरत नहीं हो सकता। यदि समाज के अन्दर कोई व्यक्ति, जो अपना इलाज कराने में असमर्थ हो, अपने संसाधनों से तो किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में किसी भी सभ्य समाज में कोई सरकार अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकती है।

मान्यवर, अन्ततः यह सरकार का दायित्व है कि प्रदेश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की वह व्यवस्था करे लेकिन यह भी अपने आप में सर्वविदित है, अभी माननीय मंत्री जी ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट के जो प्रोविजन किये, उसका बारीकी से विश्लेषण हम लोग कर नहीं पाये, इसलिए भी नहीं कर पाये कि जो परफॉर्मेन्स बजट है, वह अभी साथ बैठते ही हम लोगों को मिला। परसों हम लोगों ने इस पर आपत्ति भी जाहिर की थी। खैर आपकी तरफ से नये राज्य की जो सीमाएं हैं, कठिनाइयां हैं, वह स्पष्ट हुई तो कोई बहुत ज्यादा दबाव भी हम लोगों ने नहीं डाला लेकिन पूर्ववर्ती जो हमारी मदर स्टेट, उत्तर प्रदेश है, उसका उदाहरण लें, तो एक बार बैठकर हमने जो आंकड़े थे उनका विश्लेषण किया तो नतीजा निकला कि पर कैपिटा जो खर्च हम लोग करते हैं, वह ढाई रुपया है, ढाई रुपये में हम सालभर में प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य सेवायें देने की बात करते हैं। यहां पर तीन रुपये, 4 रुपये या 7 रुपये होंगे या 10 रुपये मान लीजिए, कोई बात नहीं। तो आज के जो प्राइस इन्डेक्स हैं, उसके मुताबिक यदि 10 रुपये में भी हम जनसाधारण को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने की बात करें तो अपने आप में निश्चित रूप से बहुत कठिन कार्य है। बेशक हम इधर बैठे हैं और माननीय मंत्री जी उधर बैठे हुए हैं, हम सभी जानते हैं, संसाधन जुटाना भी अपने आप में दुष्कर कार्य है और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे काम के लिए संसाधनों का सर्वथा अभाव रहेगा। इसलिए हम प्रयास करते हैं, इस बात के लिए कि हमारे जो सुझाव हैं, हमारी जो सोच है, वह किसी चीज पर बजट के प्रोविजन को बढ़ाने से ज्यादा इस बात पर हो कि जो हमारे पास संसाधन हैं, जो पैसा है, उसका ज्यादा प्रभावकारी ढंग से कैसे इस्तेमाल हो सकता है। इसे ही मैं अच्छा प्रबन्ध भी मानता हूं, इसे ही मैं अच्छा नियोजन भी मानता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तो एक प्रश्न हमारे सामने उठता है कि स्वास्थ्य खराब होता कहां से है। हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है, "एक परहेज सौ इलाज।" "प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर" यदि ज्यादा तवज्जो इस बात पर दें कि हमारे स्वास्थ्य में जो खतरनाक चीजें हैं, उन बातों को टेक–केयर कैसे किया जाय। इसी सदन के अन्दर चन्द दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था, हम लोगों ने आपसे सवाल जवाब भी किया, आपके पास सेनेटरी डिपार्टमेंट है। यदि इस पहलू को आप लें तो पूरे उत्तरांचल के अन्दर 90 फीसदी सेनेटरी इंस्पेक्टर के पद आपके पास रिक्त हैं। मैं प्रशंसा करूंगा आपकी, जब हम लोगों ने सवाल किया कि उत्तरांचल राज्य बनने के बाद से कितने सैम्पल्स को आपने भरा, कितनों की एनेलिसिस हुई, कितने लोग उसमें दण्डित हुए, इस स्थिति में आप नहीं थे कि यह बता पाते कि कितने सैम्पल्स भरे गये। लेकिन इस बात के लिए जरूर मैं आपकी प्रशंसा करूंगा कि सदन में यह मामला उठने के बाद आपने बहुत तत्परता इसमें दिखाई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस बात के लिए एलर्ट किया। काफी तेजी से सैम्पल्स भरे जाने लगे। चाहे वह सिंथेटिक मिल्क की शिकायत को लेकर हो, चाहे दूसरे खाद्य पदार्थों में दूसरे एडल्ट्रेशन का सवाल हो।

मान्यवर, दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल जो इस सदन के अन्दर हम सभी करते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं, आपकी कैबिनेट का फैसला भी पढ़ते हैं। यह प्रदेश बाई एण्ड लार्ज विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है। श्रीमन्, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, थोड़ा आप मुझे समय दें। इस प्रदेश की दुविधा इस बात को लेकर है कि यहां पर कुछ स्थान तथाकथित सुविधा सम्पन्न स्थान हैं और अधिकांश स्थान वो हैं जहां पर कोई जाना नहीं चाहता है। लिहाजा आज इस पूरे प्रदेश के अन्दर यह स्थिति पैदा हो गयी है कि सरकार अपनी तरफ से इस बात का निमंत्रण दे रही है। हम डाक्टरों की नियुक्ति करना चाहते हैं, लेकिन कोई एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर आपकी नियुक्ति लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है। यह अपने आप में एक गम्भीर प्रश्न है। सरकार की भी दिक्कत है, लेकिन जब हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तो हम इतने दकियानूसी, इतने आदर्शवादी हो जाते हैं, इतने कागजी हो जाते हैं कि कागजों पर कोई पैरामीटर, कोई स्टैण्डर्ड रिलैक्स करने को तैयार नहीं होते और हकीकत में हम आम आदमी के जीवन को संकट में डालकर, उसके जीवन को बरबाद करने को भी सहमत हो जाते हैं। यह मैं बहुत गम्भीर बात कर रहा हूं। जब हम आपसे कहते हैं कि आपके पास क्वालीफाईड फार्मेसिस्ट हैं उसको बेसिक हेल्थ केयर में दवा इत्यादि दिये जाने का, इलाज करने का अधिकार होना चाहिए। तो माननीय मंत्री जी कहेंगे कि फार्मेसिस्ट को इलाज का अधिकार नहीं दिया जा सकता। जब मैंने कहा कि विदेशों में तमाम मुल्क ऐसे हैं जहां पर जो नर्सिंग स्टाफ होता है उनको जब चन्द वर्षों का लम्बा अनुभव हो जाता है, उनको प्रेक्टिसिंग नर्स का दर्जा दे दिया जाता है और वह बतौर डॉक्टर काम करने लगती है। तो इसमें माननीय मंत्री जी कहेंगे कि यहां प्रेक्टिसिंग नर्स का दर्जा दिये जाने का कोई इंतजाम नहीं है फिर हम आगे कहते हैं कि यदि ऐसा सम्भव नहीं है, आपको एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बी0एम0एस0 डॉक्टर काफी हैं, आपके पास और बी0एम0एस0 डॉक्टर की जो ट्रेनिंग आज की तारीख में है वह कोई बहुत घटिया किस्म की नहीं है। आजकल तो उसको बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी बदलकर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मार्डन मेडिसिन

एण्ड सर्जरी उसका नाम हो गया है। इस मार्डन मेडिसिन एण्ड सर्जरी के अन्दर उनको अच्छा खासा एलोपैथी भी आयुर्वेद के साथ–साथ निरन्तर पढ़ाया जाता है। हम उनको भी इस बात की इजाजत नहीं देते कि वो एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकें।

मान्यवर, सोचने की बात है हम इजाजत देते हैं झोलाछाप डॉक्टरों को, बांदरी क्लिनिक वालों को, हम इजाजत देते हैं उन लोगों को जिन्होंने किसी डॉक्टर के यहां कुछ दिन मरहम–पट्टी बांधी। वे कुछ दिनों को डॉक्टर का बोर्ड लगाकर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर (आर0एम0पी0) की तख्ती लगाकर जो शेड्यूल ड्रग्स होते हैं उसको एडवाईज करते हैं। पेशेन्ट चाहे मर जाये या बच जाये बिना कोई डायग्नोसिस के, उनको हम इजाजत देते हैं। यह व्यवस्था का प्रश्न है। तो आखिरकार कहीं न कहीं इस सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम आदर्शों और व्यवहारिकता के बीच में कोई सामंजस्य करें। इसके बीच में कोई अतिरिक्त पैसा लगाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो उपलब्ध संसाधन हैं उसी से इस व्यवस्था को लागू करने की बात मैं कर रहा हूं। श्रीमन् मैं एक बात कहना चाहता हूं यदि हम देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल के कुछ मैदानी हिस्सों पौड़ी के कुछ मैदानी हिस्सों को छोड़ दें तो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां आपके पास एक कठिनाई है। आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल खोलते हैं, इतनी स्कैंडर्ड पॉपुलेशन है कि उस स्थान में न तो पर्याप्त मरीज पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल खोला है तो डॉक्टर को वहां होना चाहिए, लेकिन इतना; जैसे कहना चाहिए कि मेरे पास शब्द नहीं है एक तरीके से वहां पर वातावरण नहीं बनता है, डॉक्टर वहां रहता नहीं है। आखिरकार वो तमाम आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज वे किसी काम के नहीं रहते हैं। वहां स्वीपर बैठ करके या कोई कर्मचारी बैठ करके, जैसे तैसे बैठे रहते हैं बस, वह बैठने की जगह मात्र है। मैं कहना चाहता हूं कि इतने एलोडी, उतने आयुर्वेदिक इकाईयों को खोलने की जरूरत नहीं है मैं संसाधनों को बचाने की बात कर रहा हूं, बढ़ाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप विड्रा कीजिए। पूरे पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर कम से कम जहां सुदूर ग्रामीण अंचल हैं वहां पर आप सेन्टर आईडेंटीफाईड करिये, उनको आप फोकल प्वाइंट्स के रूप में, मेडिकल ग्रोथ सेन्टर के रूप में आप उनको स्टैबलिश करिये। वहां बड़े अस्पताल खोलिये, वहां 8–10 डॉक्टरों की तैनाती करिये और जो मशरूम हास्पिटल आपने खोल दिये जिसमें कोई नहीं रह सकता, उनको विड्रा करिये। उसकी जगह वहां पर आप एम0आर0पी0 लाईये। उसको अब मेडिकल रिलीफ पोस्ट बोलिये, वहां पर बेसिक हेल्थ वर्कर, उसके अन्दर ई0एन0एम0 और उसके अन्दर जो बेसिक हेल्थ केयर हैं, उनको वहां पर रखा जाना चाहिए। फर्स्ट एड और एक इमरजेन्सी का उसमें इंतजाम हो सके।

मान्यवर, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पूरे जिले में एक ही नोडल हास्पिटल कर दिया जाय। आप इस तरीके से उसको बनाईये उसके चारों तरफ एक निश्चित टेरीटरी के अन्दर आप उनको स्टेबलिश करिये ताकि एक लाफ सेविंग अरेन्जमेन्ट के बाद पेसेंट को हम मेडिकल रिलीफ पोस्ट के मार्फत अस्पतालों या बेस हास्पिटल कह लीजिए, लेकिन उसके अन्दर कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए, मसलन आज ग्रामीण क्षेत्रों में होता क्या है अंधेरे में तीर की तरह इलाज होता है। नतीजन मरीज आया उसने कुछ कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है या इतने दिन से जो मर्जी आई उसको दवा दे दी गयी, इंजेक्शन उसको

दे दिया गया बिना इस बात की परवाह किये बिना डाइग्नोशिस किया कि इसको हो क्या रहा है। टाइफाइड का मरीज है, मलेरिया की दवाई खा रहा है। मलेरिया हुआ है, टाइफाइड की दवा दी जा रही है। तो इसलिए हास्पिटल के अन्दर पैथोलॉजी वगैरह होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण पहलू की तरफ आदरणीय सैनी जी ने ध्यान आकृष्ट किया। हम उ0 प्र0 में रहते हुए भी निरन्तर इस बात को कहते आये कि जो ए0आर0बी0 ऐन्टीरेबीज वैक्सीन की जो सप्लाई है, उससे प्रदेश के अन्दर जरूर कोई न कोई इंतजाम होना चाहिए। यदि हमने गलत नहीं पढ़ा है, मा0 मंत्री जी का जो लिट्रेचर है उसके अन्दर मैंने पढ़ा तो एक वैक्सीन है एक मद है, लेकिन वैक्सीन उत्पादन के मामले में किसी तरह का कोई इंतजाम इसके अन्दर नहीं किया है और ए0आर0बी0 ऐसा वैक्सीन है आप तो जानते हैं कि रेबीज को किलर डिजीज के रूप में दुनिया के अन्दर आज की तारीख तक मेडिकल हिस्ट्री में मेडिकल जनरल के अन्दर केवल एक उदाहरण ऐसा जहां पर हमने किया है। रेबीज का सिसटम आने के बाद दुनिया के अन्दर कोई व्यक्ति बचा हो वह अपवाद हो सकता है। यह 100% किलर डिजीज है तो श्रीमन् एक महत्वपूर्ण पहलू इसको कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। वाइल्ड मैडलिटी, मैटसीटी केयरएक्स पैक्टिग मदर की लेक्विटग मदर की ये केयर की बात है श्रीमन इस मामले में हम लोग प्रिवेन्टिग मेडिकल की बात करें यदि इन बातों पर हम ध्यान दें तो शायद हो सकता है। जिस दयनीय स्वास्थ्य सेवाओं के तरक्की से हम रह रहे हैं उससे मुक्ति मिल सके। एक अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मोबाइल हैल्थ सर्विसेज पर्वतीय क्षेत्रों में, श्रीमन् आप भी पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं, आपने देखा होगा पर्वतीय क्या मैदानी सब जगह हृदय विदारक बात होती है। जब कहीं एक्सीडेन्ट होता है और जरूरत पड़ती है पोस्टमार्टम करने की, एक तरफ मौत, एक तरफ कमाऊ सदस्य चला गया, एक तरफ दर्दनाक घटना, दूसरी तरफ परिजनों के लिए परेशानी कि डेड बाडी को लेकर कहां पोस्टमार्टम करायें। मेरा यह सुझाव है कि जो एस0ए0डी0, पी0ए0सी0 और सी0एच0सी0 हैं, वह चाहे दूसरे हास्पिटल हों, प्रत्येक डॉक्टर को उसके अन्दर जो औटोक्सी कन्डक्ट करने की ट्रेनिंग है, वह कम्पलसरी दी जानी चाहिए। इस बात की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि चकराता के अन्दर एक्सीडेन्ट हुआ है तो डेड बाडी देहरादून आयी। विकास नगर में एक्सीडेन्ट हुआ है, तो डेड बाडी देहरादून ही आयेगी। पौड़ी के अन्दर कहीं एक्सीडेन्ट हुआ है हॉस्पिटल नजदीक में है लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। जिला अस्पताल में आयेगा, ये तमाम सारी बातें हैं, जिसमें कोई पैसा नहीं लगना है लेकिन व्यवस्थाओं का इंतजाम है। पोस्टमार्टम कैसे होता है, वहां जांच तो होनी है श्रीमन्, इसलिए यह प्वाइंटेड सुझाव मैंने मा0 मंत्री जी आपके सम्मुख रखे। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप उत्तर भाषण करेंगे तो निश्चित रूप से इन बातों की तरफ आप गम्भीरता से समाधान स्वरूप कोई न कोई बात कहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। (धन्यवाद)।

श्री इसम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राम सिंह सैनी जी के कटौती प्रस्ताव के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और अपने विचार उनसे सम्बद्ध करते हुए, एक–दो सुझाव देना चाहूंगा। क्योंकि यह मसला स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, अक्सर देखा यह गया है, विशेषकर जितनी भी गम्भीर बीमारियां हैं और अक्सर सड़कों पर चाहे वह भिखारी हों या

लावारिस लोग हैं। तो देखने में आया है कि उनमें से ज्यादातर गम्भीर बीमारी से पीड़ित होते हैं और पब्लिक में घूमते रहते हैं। तो मेरा यह सुझाव है कि एक कोई ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे ऐसे लोगों को समय–समय पर मेडिकल परीक्षण हो। ताकि जो स्वस्थ लोग हैं उस समस्या से उन्हें बचाया जा सके, एक तो इस संबंध में यह बात है और दूसरी बात यह है कि जहां तक आश्रम वगैरह हैं और लोग अपनी पूरी आयु जीवनचर्या को बिताने के लिये सन्यास ले लेते हैं, आश्रम में आ जाते हैं तो अक्सर यह देखा गया है, मैं एक बार वहां आश्रम में गया एक महाराज जी से मिला तो वे काफी बीमार थे। मैंने उनसे कहा कि महाराज जी आप इसका इलाज क्यों नहीं कराते। तो उन्होंने कहा मैं अपनी बीमारी को ठीक नहीं कराना चाहता हूं क्योंकि मैं जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता हूं तो मेरा एक सुझाव यह है कि इस तरह के जो आश्रम हैं, जहां बुजुर्ग लोग रहते हैं, समय–समय पर उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण हो जाये। यह व्यवस्था सरकार कर दे तो अच्छा होगा क्योंकि विशेषकर हरिद्वार में हैं, या ऊपर दूरदराज जहां पर धर्म स्थान हैं, वहां पर इस तरह के महाराज रहते हैं तो इस संबंध में कोई ध्यान नहीं देते। तो थोड़ी कटौती करके इस तरह की व्यवस्था इस स्वास्थ्य बजट में कर दीजिये। तो मेरा यह सुझाव है इस पर ध्यान दिया जाये, सरकार से निवेदन है। (धन्यवाद)।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सैनी जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं, मान्यवर, आपने समय दिया इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। मान्यवर, यह बात सही है कि बहुत बारीकी से इस बजट का विश्लेषण करना सम्भव नहीं है, लेकिन यह सुझाव मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं, मान्यवर, जैसा कि अभी मुन्ना सिंह जी ने कहा कि चाइल्ड केयर और मदर केयर, यह बहुत महत्वपूर्ण आयाम हमारे स्वास्थ्य नीति के होने चाहिए। हमारी जो महिलायें हैं कार्य करने वाली महिलायें हैं। संगठित क्षेत्र में बहुत कम हैं, मुश्किल से 4 परसेन्ट, 5 परसेन्ट होंगी उसके अतिरिक्त जितनी भी महिलायें हैं सब असंगठित क्षेत्र की हैं, संगठित क्षेत्र में एक सीमित लाभ मिलता है, लेकिन मान्यवर जो असंगठित क्षेत्र में हैं उनके लिए बहुत कठिनाई आ जाती है और जो समाज में बेरोजगारी की स्थिति है उसके चलते यह बहुत मुश्किल काम है, अगर वह महिलायें काम नहीं करती तो परिवार का भरण–पोषण नहीं होता और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में यह स्थिति और भी विषम है और वहां अधिकांश कार्य हमारी महिलायें करती हैं, तो मान्यवर, इसके लिए कोई रूपरेखा बनाई जानी चाहिए, स्वास्थ्य नीति के अन्तर्गत हम यह मानते हैं और मेडिकल एक्सपर्ट का भी यह कहना है कि जो 7 वर्ष की अवधि तक का शिशु है उसको सांस्कारित करने के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए उसकी केयर सर्वाधिक आवश्यक है। इससे हम अपने देश को, प्रदेश का एक स्वस्थ नागरिक दे सकते हैं। दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि संसाधन हमारे पास कम हैं, यह बात अपनी जगह पर सही है, उसके चलते जितना विस्तार स्वास्थ्य सेवाओं का करना चाहते हैं, वह नहीं हो सकता है। तो इसके 2 तरीके मैं सुझाना चाहता हूं, मा0 मंत्री जी को, एक तो उसका तरीका यह है कि हम जिन उद्योगों को आकर्षित करते हैं, बैकवर्ड एरिया में, पिछड़े क्षेत्रों में, इन्सेंटिव देकर कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगायेंगे, उद्योगपति को हम अमुक–अमुक सुविधायें दे पायेंगे और इस कारण उद्योगपति पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाते हैं उससे हमारे

यह क्षेत्र लाभान्वित होते हैं तो अगर यह काम हम मेडिकल हेल्थ सर्विसेस में शुरू कर दें तो निजी क्षेत्र में अपने नर्सिंग होम या क्लीनिक बनाना चाहते हो, पिछड़े क्षेत्रों के लिए, गांवों के लिये विशेष इन्सेन्टिव देने का काम करें तो मैं समझता हूं कि कुछ हद तक हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं।

मान्यवर, इसी क्रम में एक सुझाव मेरा यह भी है कि हमारे नगरों में, खास तौर से मैं अपने नगर हरिद्वार का ज़िक्र करना चाहता हूं, हरिद्वार में 500 आश्रम हैं और किसी न किसी रूप में हैल्थ सर्विस देने का काम ये आश्रम करते हैं और कई आश्रम तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवायें दे रहे हैं। अगर इन आश्रमों का भी सहयोग लें और देहात के दूरस्थ इलाकों में जैसा अभी माननीय मुन्ना सिंह जी ने कहा, जो मोबाइल डिस्पेंसरीज हैं, उनके माध्यम से या उनके सहयोग से भी हम इन हैल्थ सर्विसेज को मजबूत कर सकते हैं। हमारे जितने आश्रम हैं, जितने अखाड़े हैं, इनके पास सम्पदा भी बहुत है और दान दाता भी बहुत हैं, जो इन कामों में अपना पैसा लगाना चाहते हैं। तो इसकी भी योजना अगर हम बना लें, तो मैं समझता हूं कि हम अपने संसाधनों की कमी को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। मान्यवर, एक और महत्वपूर्ण सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं, मैंने पहले भी माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि प्रत्येक जिले में हम एक मेडिसिन बैंक खोलने का काम करें। मेरा सिद्धान्त यह है कि हम अपने घर में बुखार या किसी अन्य बीमारी की दवा लाते हैं, 10 दिन, 5 दिन की बुखार की दवा लाते हैं लेकिन बुखार 2 दिन में ठीक हो गया, तो 3 दिन की दवा हमारी बेकार चली जाती है, हम उसको फेंक देते हैं। अगर ऐसी दवाई को हम संग्रहीत करने का काम कर लें, उसके लिए विभिन्न एन0जी0ओ0 का जो रोटरी क्लब है और दूसरी संस्थाएं हैं, कॉलेजेज हैं, सबका सहयोग ले लें, तो हम बिना पैसे के ही प्रत्येक जनपद में बहुत दवा इकट्ठी कर सकते हैं। जिसका लाभ गरीब लोगों को दे सकते हैं और मैं समझता हूं कि हमारे इस नवोदित प्रदेश के लिए यह बहुत बड़ा संसाधन जुटाने का काम होगा।

एक बात जो अभी माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी कह रहे थे, 'प्रिवेंशन इज बैटर दैन क्योर' यो बात तो सही है। इसके लिए अगर हम आई0एम0ए0 के पदाधिकारियों से बात करें, हम अपने जो प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर हैं, क्लीनिक्स के डॉक्टर हैं, उनका सहयोग भी लें और हमारे जो सरकारी डॉक्टर हैं, उनका सहयोग भी लें, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक गांव में, शहर के प्रत्येक मुहल्ले में हम स्वास्थ्य का परीक्षण शिविर लगा दें, जिससे हमको प्रारम्भिक स्थिति में यह ज्ञान हो जाय। खास तौर से स्लम्स में, गन्दी बस्तियों में देहात में, जहां लोग अधिकांशतः बीमार होते हैं, अपने रहन–सहन की परिस्थितियों के कारण चारों ओर का जो उनका पर्यावरण है उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं, अगर हम उनका प्रारम्भिक स्तर पर ही परीक्षण कर लें, तो वो क्रॉनिक डिजीज में परिवर्तित नहीं हो पायेंगी और हम उनको लाभान्वित कर पायेंगे, अच्छा स्वास्थ्य उनको दे पायेंगे। मान्यवर, इसी विषय में एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे जो आवारा पशु, खासतौर से सुअर हैं, माननीय मंत्री जी की जानकारी में होगा कि मलेशिया में तो 60 हजार सुअरों को एक साथ मार दिया गया था, क्योंकि जापानी एन्फलाइटिस फैलाने का काम सुअर करते हैं। जिसकी चर्चा विगत में कर चुके हैं और जब पर्यावरण मंत्रालय का बजट होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी एन्टी रैबीज इंजेक्शन की बात हम लोग कर रहे थे, क्या

हम ये नहीं कर सकते कि जो आवारा कुत्ते हैं, जिनको एन्टी रैबीज वैक्सीन नहीं लगा है, उनका अगर हम विनाश कर दें तो हमारी जो एन्टी रैबीज की आवश्यकता है, इसे भी न्यून कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो मुद्दे हैं, इन पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे। इसके साथ ही फूड एडल्ट्रेशन की बात की, यह तो एक गम्भीर समस्या है और आज मैं यहां पर निःसंकोच होकर कहना चाहता हूं कि फूड एडल्ट्रेशन के फ्रंट में बहुत अनियमिततायें हैं। जो अधिकारी इसके लिए नियुक्त किये गये हैं, वे औपचारिकता तो जरूर पूरी करते हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में वे अधिकारी नियुक्त हैं, अगर वहां एडल्ट्रेटेड फूड बिकता है या अन्य कोई पदार्थ जो स्वास्थ्य के नियमों के विपरीत है उनका कोई केस रिपोर्टेट होता है, तो सबसे पहले कार्यवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए।

मान्यवर, अभी यात्रा के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने 7 सफाई निरीक्षक नियुक्त कर दिये हैं। मान्यवर, ये निरीक्षक मेला टाइम के लिए आये हैं जो लूट-खसोट करके भाग जायेंगे और ये सिफारिश लगा रहे हैं, उनकी एकाउन्टबिलिटी क्या होगी। मान्यवर, जितने लोग हमारे पर्वतीय क्षेत्र में 4 धाम की यात्रा के लिए आते हैं, उससे 10-12 गुना अधिक हरिद्वार में आते हैं। माननीय मंत्री जी कुछ डॉक्टर चिकित्सा व्यवस्था के लिए हरिद्वार में भी नियुक्त कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। तीन करोड़ लोग हरिद्वार में आयेंगे। मेरे सुझाव पर कुछ न कुछ विचार माननीय मंत्री जी अवश्य करेंगे। जहां तक आयुर्वेद का प्रश्न है मैं पहले भी कह चुका हूं अगर रोग लग गया है तो उसका निदान क्या होगा, उसके लिए क्या संयम रखना होगा इसका प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। हम आयुर्वेद को केवल जड़ी-बूटियों तक सीमित नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद हमारे जीवन का एक तरीका है, हमारी एक जीवन पद्धति है। जिन परिस्थितियों में आज हम हैं, इसमें काफी हद तक सुधार ला सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने आयुर्वेद कालेजों का निरीक्षण किया, इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने कभी इनका निरीक्षण नहीं किया। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। बजट में भी इसके लिए कोई व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

मान्यवर, मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी बजट के बारे में हमारे माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा अपने सुझाव रखे गये। उन्होंने अच्छे सुझाव रखे हैं। जैसे माननीय सैनी जी ने कहा इसमें एक करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, यह ज्यादा होना चाहिए। माननीय सैनी जी ने कहा कि पैसे कम रखे गये हैं। इससे पता चलता है कि बजट जनोपयोगी है। श्रीमन्, स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, जनता से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है। भगवान के बाद अगर किसी को याद किया जाता है तो डॉक्टर को याद किया जाता है। आज तो बहुत सी पैथी हैं। एलोपैथी है, होम्योपैथी है। मान्यवर, अगर स्वास्थ्य विभाग एक पैथी और अपना ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वह है सिम्पैथी। अगर स्वास्थ्य विभाग सिम्पैथी को अपना ले। डॉक्टर अगर मुस्करा कर मरीज का इलाज करें तो उसका आधा मर्ज तो अपने आप ठीक हो जायेगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग की वाहवाही भी हो जायेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, बहुत सी बातें अभी आयी हैं मुख्य रूप से मैं अपने चन्द सुझाव रखना चाहता हूं, उत्तरांचल में वास्तव में अभी हमारे पास ऐसे संसाधन भी नहीं हैं, डॉक्टरों की हमारे पास कमी है। श्रीमन् इस स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत पहले से भी कार्य किये जा रहे हैं, 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने एक योजना चलायी थी जन स्वास्थ्य रक्षक, ताकि ग्राम्य स्तर तक हम जो बेसिक चिकित्सा होती है उसके लिए भी कार्य कर सकें। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि उस समय 1978 के हिसाब से जब स्वास्थ्य रक्षक को 50 रुपये दिया गया, आज पुनः हमारी सरकार ने उसको पुनर्जीवित तो कर दिया मगर आज के इस युग में 50 रुपये उनके लिए कोई अच्छा मानदेय नहीं होगा। अतः मेरा अनुरोध होगा मा0 मंत्री जी से इसमें बहुत गम्भीरता से विचार करें क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं, हमारे पास फार्मेसिस्ट नहीं हैं, स्वास्थ्य कर्मी नहीं हैं उनकी जगह **यही** हमारे कार्य कर सकते हैं। श्रीमन बहुत सी बातें आयी हैं और ऐसा ही एक सुझाव मेरा और है जिसमें कम पैसे में अच्छा इलाज जनता को मुहैया करा सकते हैं।

भारत में प्राचीन काल से ऐसी पद्धतियां रही हैं जिसके द्वारा यहां इलाज करते थे, जैसे नैचुरोपैथी, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, योग के द्वारा। ये सारी ऐसी पद्धतियां हैं जिनमें अपनी एक बेसिक चिकित्सा पद्धति में हम अपनी इन योजनाओं को लागू कर दें, अगर हम विद्यालयों में इन पद्धतियों को डाल दें तो इनका प्रचार–प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में होगा तो इन पद्धतियों से भी हम इलाज कर सकते हैं। मा0 अम्बरीष जी ने आयुर्वेद के बारे में कहा। आयुर्वेद वास्तव में हमारी एक प्राचीन पद्धति है एलोपैथी दवाइयां इतनी मंहगी हैं कि हमारा आम गांव का आदमी उसको खरीद नहीं सकता है और हमारी ऐसी जड़ी–बूटियां हैं जिनको खाली प्रचालित करना है, शोध करना है। कैंसर जैसी बीमारी की दवाई है हमारे पास कैकटस लोगाट ललपतिया, एक अतीस, पचीस है ये ऐसी छोटी चीजें हैं इनको प्रचालित प्रसारित करें। इस तरह हमारे बुजुर्ग लोग थे वह सारे लोग जानते हैं बहुत कम पैसे में इनको हम प्रचारित करें। एक ऐसा अनुसंधान केन्द्र, एक मेडिकल कालेज हम पूरे उत्तरांचल में निर्माण करें जो उत्तरांचल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए हो। आज अमेरिका पूरे विश्व में अपनी दवाईयां फैला रहा है, हम क्यों नहीं उससे प्रेरणा लें, भारत के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए उत्तरांचल की दवाईयां वरदान सिद्ध हों। ये कैंसर की, ये शुगर की है इस किस्म की दवाईयों का अनुसंधान करके इससे एक तो यहां लोगों को रोजगार मिलेगा साथ ही एक नयी प्रेरणा हमारे समाज को मिलेगी।

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं कि मेरे पास 2–3 प्रार्थना–पत्र आये थे और वास्तव में जो चिकित्सालय हैं, जिला चिकित्सालय हैं, जहां मरीज अब भर्ती होने के लिए आता था, वहां से उसको अपने संबंधियों से सम्पर्क करने में बड़ी कठिनाई होती थी, उसमें स्वास्थ्य विभाग ने एक–एक पी0सी0ओ0 की स्थापना की है। उससे एक व्यक्ति को रोजगार तो मिलेगा ही। साथ ही साथ हमारे मरीज के साथ जो अटेण्ड करने के लिए आते थे उनको भी उसका लाभ मिलेगा। श्रीमन्, एक निवेदन अन्तिम है मैं सुबह भी स्वास्थ्य विभाग के सामने रखा था, आज हम कहते हैं कि डा0 नहीं हैं। डा0 देहरादून में, पिथौरागढ़ में, चम्पावत में तो रह सकता है अगर हम उन्हें गुंजी, मालपा ऐसी जगह भेजने की बात करते हैं तो सम्भव नहीं है। हम ऐसी नीति बनायें श्रीमन् उ0 प्र0 सरकार में भी पहले एक ऐसी नीति थी, तब उनको बार्डर डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए अलग से उनको

सुविधा दी जाती थी आज हम यह कह सकते हैं श्रीमन् ऐसे दूरदराज के क्षेत्रों में जाने के लिए डॉक्टर्स और ए0एन0एम0 हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको हम कोई विशेष भत्ता दें ताकि एक तो उनको इसमें लालच हो दूसरा श्रीमन्, जब तक स्वास्थ्य विभाग की अपनी एक स्थानान्तरण की नीति जैसे आर्मी में है, एक बार हर व्यक्ति को बार्डर एरिया में जाना पड़ेगा उसके बाद चाहे वह शान्ति क्षेत्र में कहीं भी जाना चाहे। ऐसा ही हम भी क्यों न प्रारम्भ करें। पहला बजट है इसमें हम एक स्थानान्तरण नीति बनायें चाहें वह नियुक्ति के समय कुंजी जाये या उत्तरकाशी की आखिरी सीमा में जाये या चमोली की आखिरी सीमा में जायें या रिटायरमेन्ट ले लें। यह फिक्स कर दिया जाय कि तीन साल, पांच साल के लिए वहा जाना ही है। उसके बाद उसको ऐच्छिक स्थान दे दिया जाय। एक रोस्टर सिस्टम बनाना नितान्त आवश्यक है अगर स्थानान्तरण नीति में रोस्टर नही बन पायेगा, मेरा प्रस्ताव बहुत छोटा है श्रीमन् रोस्टर नीति बनाने से हर तीसरे साल, चौथे साल, पॉचवे साल उस कर्मचारी को, डॉक्टर को पता होगा कि हमको तीन साल बाद या चार साल बाद अमुक जगह जाना है। श्रीमन् इन बेसिक चीजों की तरफ मैंने मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाया। मैं पुनः मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहता हू कि नये राज्य की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए जो यह बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए पुनः मैं उसका समर्थन करता हू।

इन बेसिक चीजों की तरफ मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया, मैं पुनः माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हू कि नये राज्य की जो परिकल्पना थी उसको पूर्ण करने के लिए जो आज बजट प्रस्तुत किया गया है उसके लिए मैं पुनः उसका समर्थना करता हू, बधाई देता हू और मैं अपनी बात समाप्त करता हू।

* श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हू। श्रीमन् स्वास्थ्य चिकित्सा परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री द्वारा 180 करोड रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गयी, मान्यवर, इतने कम संसाधनों के उपरान्त भी शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हू। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया था कि हम जनता को स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से सुविधायें उपलब्ध करा रहे हैं और अभी–अभी यह भी बताया था कि जो यूजर चार्जर थे उसमें लगातार 10 परसेन्ट की नियुक्ति की जा रही थी और माननीय मंत्री जी द्वारा उसको एक केन्द्र बिन्दु पर रोक दिया गया है, 10 परसेन्ट की वृद्धि उस पर नहीं दी गयी है, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री जी द्वारा बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया गया है। दूसरा मान्यवर, यह है कि हिस्टो पैथोलॉजी के हर चिकित्सालय में आपने व्यवस्था कर दी और हिस्टो पैथोलॉजी के द्वारा कैंसर के मरीज का पता लगाया जा सकता है। क्योंकि मेरे पर्वतीय क्षेत्र में व्यवस्था नहीं थी, दूर स्थानों पर जाना पड़ता था लखनऊ, बरेली, दिल्ली जाना पड़ता था इसके परीक्षण के लिए मान्यवर, यह बहुत अच्छी व्यवस्था है, आपके द्वारा की गयी है, हर चिकित्सालय में यह व्यवस्था आपके द्वारा की गयी है यह स्वागत योग्य कदम आपने उठाया है। एन्टी रैबीज वैक्सीन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिससे हाइड्रो फोबिया की बीमारी हो जाती है। मान्यवर, अभी मुन्ना सिंह चौहान जी भी कह रहे थे कि आज तक कोई भी ऐसा प्रमाण हमारे पास नहीं है कि इस बीमारी से कोई आदमी बचा हो, लेकिन जो 26 केन्द्र हमारे इस प्रदेश के अन्दर थे उसको आपने 26 से बढ़ाकर 53 कर दिया। पटधा डांगर भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है वहां पर जो केन्द्र हैं, पूर्व से स्थापित है तो उसको अधिक बढ़ाने के लिए आपने 53 केन्द्र खोल दिये हैं, यह स्वागत योग्य कदम आपका है। मान्यवर, हमारे 15 सौ केन्द्र, जिनमें ऐसे केन्द्र हैं जिनमें भवन नहीं हैं तो भवन बनाने के लिए भी 2 सौ 2 करोड़ रुपये का आपने प्राविधान किया है। स्वामी जी कह रहे थे कि बहुत कम बजट रखा है। मान्यवर, कम संसाधनों के उपरान्त भी हमारी सरकार का लक्ष्य यह है कि हम भवन का निर्माण करेंगे, यह भी आपका स्वागत योग्य कदम है। अब मान्यवर, प्रत्येक चिकित्सालयों में पी0सी0ओ0 की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं, उससे रोगी को भी लाभ मिलेगा और हमारे जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार उससे प्राप्त होगा, यह स्वागत योग्य कदम है, मैं कहना चाहूंगा कि दवा की स्टाक लिस्ट आपके पास है, यह पहली बार मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में क्या उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं थी, आपने पहली बार टोटल जो स्टाक लिस्ट आपने बनवाई है कि कितने स्टाक हमारे पास हैं, कौन सी दवाई हमारे पास है, तो मान्यवर, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था इस क्षेत्र में की है, यह भी स्वागत योग्य कदम है। मान्यवर, डाक्टरों की बहुत कमी है, संविदा के आधार पर आपने डा0 को रखने का लक्ष्य रखा है।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के लिए थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा मेरे बारामण्डल क्षेत्र में 78 पद स्वीकृत हैं उसमें से 45 पद स्थापित हैं, 33 पद आज भी रिक्त हैं, मान्यवर, मेरा बारामण्डल क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें 33 डाक्टर नहीं हैं, वैसे ही हमारे फार्मासिस्ट भी नहीं हैं, फार्मासिस्ट भी लगभग 3-4 हमारे यहां कम हैं और क्लास वन के जो महिला चिकित्सालय में 3 पद सृजित थे, वह 3 के 3 पद रिक्त थे, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्राचीन जिला है इसमें कम से कम डाक्टरों की व्यवस्था का आपने संकल्प लिया भी है। लेकिन मेरे जिले के अन्दर वैसे तो आपका पूरा उत्तरांचल है, मैं चाहूंगा कि बहुत सुदूर क्षेत्र से वहां के लोग आते हैं और उनकी व्यवस्था करें। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जनपद अल्मोड़ा में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल है, उसका निर्माण हुआ था, 1901 में आज ठीक 100 वर्ष उस अस्पताल को हो गये हैं और मैं कई बार निवेदन भी कर चुका हूं। उत्तर प्रदेश शासन में था तब भी वहां निवेदन किया था, मान्यवर, वह ब्रिटिश समय से बना है, एक अस्पताल है, उसकी टीन की छत है, आज उसकी छत जर्जर हो चुकी है, क्षतिग्रस्त अस्पताल हो चुका है, उस पर पानी टपकता है उस अस्पताल में।

मान्यवर, जो अपने इलाज के लिए आते हैं, वह और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। बीमारी का कारण है, जब बरसात होती है तो पानी अन्दर आ जाता है। उसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि उसके निर्माण की आज यहां पर योजना बनायें। मान्यवर, मेरे क्षेत्र के अन्दर जितने अस्पताल हैं, बाडेछिना, बांझधार, जैंती, धनौली, दन्या, द्वाराहाट, जसकोट में डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। कई अस्पताल तो बन्द हो गये। यहां पर फार्मासिस्ट थे, जिनकी अभी प्रोन्नति हुई है, चीफ फार्मासिस्ट के पद पर वह चले गये हैं। अस्पतालों में ताले लग गये हैं। मान्यवर, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमें सुनना पड़ता है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने योजना बनायी है, संविदा पर डाक्टरों को रखने की।

यह स्वागत योग्य कदम है। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि हमारे जो बेस हॉस्पिटल हैं, जिला अल्मोड़ा में एक बेस हॉस्पिटल है, उसमें एम्बुलेंस नहीं है। कार्डियोलॉजी के उपकरण हैं, लेकिन डा0 न होने के कारण उनमें जंग लग रहा है। बहुत दिक्कत आ रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसके समाधान हेतु कोई व्यवस्था करें। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं।

श्री भारत सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इससे पहले जब हम लोग उत्तर प्रदेश में थे तो हमारे लिए सबसे दुःखदायी यही विभाग होता था। क्योंकि जितने अस्पताल पहाड़ों में खुले हैं, वहां पर डॉ0 नहीं होते थे, दवाईयां नहीं होती थी, कम्पाउण्डर भी नहीं होते थे। बड़ी अस्त–व्यस्त व्यवस्था थी। जैसा कि माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि जो हमारे पास आज व्यवस्था है, जो इस विभाग का इस समय इन्फ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम उसी को ठीक कर लें, पहले चरण में, तो मैं समझता हूं कि हमारी 50 प्रतिशत परेशानी दूर हो जायेगी। मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये हैं, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन पर ध्यान देंगे लेकिन कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां आज भी नये अस्पतालों की बहुत आवश्यकता है। हमारे यहां पहले जो अस्पताल खुले हैं वह ऐसी जगहों पर खुले हैं, जहां और अस्पताल भी नजदीक है। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से हमारे जो दूरस्थ इलाके हैं, वहां अस्पताल नहीं खुले हैं। हमने जब अस्पताल खोलने चाहे तो उसमें एक राइडर आया कि उत्तरांचल में कोई भी अस्पताल खोलने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि 20 हजार की जनसंख्या पर एक अस्पताल खुल सकता है। हमने उत्तर प्रदेश में भी यह निवेदन किया था कि इस राइडर को हटा दिया जाय, दूरस्थ स्थानों पर हॉस्पिटल खोले जाय, जहां पर ये होने चाहिए। तो मैं इसे एक प्रस्ताव के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। उत्तरांचल के लिए डाक्टरों की भर्ती तो हुई।

मान्यवर, डाक्टर आये, ज्वाइन कर गये, चले गये। जहां तक मुझे बताया गया था कि बहुत से डॉक्टर आज भी पोस्टेड हैं हमारे उत्तरांचल में, लेकिन वे हाजिरी देकर चले गये अभी तक लौट कर नहीं आये। पब्लिक सर्विस कमीशन से डॉक्टर आये थे, तो मैं चाहूंगा कि इसका परीक्षण भी किया जाये कि उनको किस तरह से बाहर भेजा जाये या निरस्त किया जाये। डॉक्टरों की स्थानान्तरण नीति के बारे में जो बात कही गयी है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए मान्यवर, सुविधाजनक स्थानों पर जो डॉक्टर हैं और वे अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस भी कर रहे हैं, अपने नर्सिंग होम भी खोले हुए हैं और कभी–कभी वे 2–2, 3–3 साल तक छुट्टी लेते हैं, उस बीच नर्सिंग होम में काम करते हैं। अपनी स्त्री के नाम से, भाई के नाम से काम करते रहे हैं और फिर ज्वाइन कर लेते हैं, 1–2 दिन के लिए। कई डॉक्टरों का मुझे संज्ञान है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात को संज्ञान में लें।

दूसरी बात जब हमारे यहां अस्पताल थे, डॉक्टरों की कमी थी तो बी0एम0एस0, बी0आई0एम0एस0 जितने भी थे हमने एलोपैथिक अस्पतालों में उनको भर्ती किया, उनको नौकरी दी, लेकिन दवाई देने का उनको कोई अधिकार नहीं दिया। वे बैठे रहते हैं, तनख्वाह लेते रहते हैं कोई सामंजस्य उसमें नहीं है जिसकी वजह से डॉक्टरों की वहां पर हाजिरी होने के बाद भी वहां पर उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। इस तरह से कोई ट्रेनिंग देकर जैसा माननीय चौहान जी ने कहा यह जो मैदानी संवर्ग के हैं, तो उनको वहां से अगर काम न लेना हो तो उनको वहां पर वापस भेज दीजिये। यह मेरा अनुरोध है। दूसरी बात आप प्रेक्टिस पर अंकुश लगाये हैं, लेकिन वह लगातार चल रही है तो मैं चाहूंगा कि इस पर जो अंकुश है उसमें और सख्ती की जाये। जैसे अप्वाइंटमेन्ट होता है, किसी का, तो जैसा मैंने कहा नर्सिंग होम वह चलाते रहते हैं और अपना व्यापार करते रहते हैं तो यह बात नहीं होनी चाहिए। कुछ हमारे क्षेत्र की समस्यायें है। कोटद्वार में पोस्टमार्टम की व्यवस्था नहीं हैं। हम दूसरे जिले बिजनौर में जाते थे, अब वह उत्तर प्रदेश में हैं। पोस्टमार्टम गृह कोटद्वार में स्थापित होना चाहिए। बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत अधिक उसमें मरीज आते हैं, लेकिन ब्लड बैंक नहीं है। वहां पर आर्थोपेडिक्स का सर्जन नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि ब्लड बैंक भी खुले और आर्थोपेडिक्स डॉक्टर भी उसमें रहे। दूसरी बात जो अभी माननीय हरबंस कपूर जी कह रहे थे कि विधायक निधि से आप पैसा दे दो। जब हमने विधायक निधि से 1–1, 2–2 कमरे, जहां पर भवनहीन हमारे अस्पताल हैं वहां देना चाहा तो प्रशासन ने कहा कि आप इस मद में नहीं दे सकते तो यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं तो यह विधायक निधि से अस्पतालों को 1–1, 2–2 कमरे देने की भी हमको छूट मिलनी चाहिए। यह मेरा निवेदन है। विकलांगों को हम सुविधा देते हैं और विकलांग सर्टिफिकेट का कोई प्रबन्ध नहीं है। हमारी तहसील लेविल पर, हमारे जनपद में। पौड़ी जाना पड़ता है। वहां बहुत दूर से विकलांग आदमी, गरीब आदमी जो लूला, लंगड़ा है, देख नहीं सकता उसको वहां जाना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि मोबाईल टीम के रूप में हर तहसील में या महत्वपूर्ण जो अस्पताल हैं वहां पर मोबाईल के लिए कोई दिन निश्चित किया जाये कि इन दिनों में विकलांग सर्टिफिकेट दिये जायें। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। जिस मोबाईल टीम की बात कहीं है माननीय चौहान जी ने और साथियों ने भी, मैं कहना चाहूंगा कि मोबाईल टीम अस्पतालों में जानी चाहिए और उसका पहला काम दवाई तो दें, देखें भी और परीक्षण करें। यह बहुत अच्छा सुझाव आया है। वे परीक्षण करें, हर बस्ती में जायें या एक तरह से उनका सर्किल बांध दिया जाय, नोटिस देकर अखबारों में विज्ञापन देकर उन स्थानों पर जाकर उनको देखा जाये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रावत जी कृपया संक्षेप करें।

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, हमारे यहां दुगड्डा में आपका एक हास्पिटल है और उस दुगड्डा हास्पिटल की जमीन एक विधवा की है जहां पर आपने अस्पताल बना दिया, उसका मुआवजा नहीं दिया। उ0 प्र0 में मैंने एसेम्बली क्वेशचन किया और जवाब आया हम जमीन देने वाले हैं। मैं मा0 मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला और मा0 मंत्री जी कहना चाहूंगा कि वह बेचारी भटक रही है कई बार हमारे आदरणीय

निशंक जी हैं उस समय पर्वतीय विकास मंत्री थे के पास गयी। मैं मा0 मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह जल्दी से एक विधवा को अपने दरियादिली का परिचय देते हुए उसका मुआवजा आज की तारीख में देने की कृपा कर देंगे मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री लाखी राम जोशी–

मा0 अध्यक्ष जी मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा और परिवार कल्याण के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभार प्रकट करते हुए बजट के समर्थन में बोलते हुए मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में उनकी तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का प्रयास किया गया है लेकिन इसमें कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। मान्यवर, उत्तरांचल में जैसे कि विभिन्न विभागों में वर्तमान में स्थिति है हम चाहते थे कि उ0प्र0 में जो परिस्थितियां हैं वह उत्तरांचल में न हों लेकिन खेद है, अभी तक उन सारी परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए इस दिशा में सकारात्मक प्रयास नहीं किये जा रहे हैं, न सोचा जा रहा है। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग का जो ढांचा उत्तरांचल के लिए स्वीकार किया गया है हमें इस पर आपत्ति है। मान्यवर, इतना बड़ा ढांचा जिसमें एक महा निदेशक बना दिया गया, दो निदेशक बना दिये गये, आठ अपर निदेशक बना दिये गये, 7 संयुक्त निदेशक बना दिये गये, 6 सहायक निदेशक बना दिये गये और मान्यवर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले में एक होता है उसके नीचे 6–6, 7–7 उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी बना दिये फिर मान्यवर, जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक होते हैं। हास्पिटल में उसके नीचे उप मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बना दिया गया। फिर चिकित्सा अधीक्षक बना दिया गया, फिर चिकित्सा अधिकारी बना दिया गया। मान्यवर, एक तो बड़ा ढांचा खड़ा कर दिया गया इससे स्वास्थ्य विभाग की वास्तविकता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मान्यवर, विपक्ष की बात नहीं है यह वास्तविकता है हम तो सुझाव देना चाह रहे थे। मान्यवर, आप कुछ बोल ही नहीं पाते हैं आपकी बात हमें बोलनी पड़ती है। इसी प्रकार से ढांचे में परिवर्तन किया जाय। ढांचा छोटा होना चाहिए कार्यशील होना चाहिए।

आज हम देखते हैं मा0 मंत्री जी ने कहा कि 55 वैन लखनऊ से खरीदने के आदेश दिये, वह आने वाली है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं वहां पर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनके घर के बाहर गाड़ियों का जखीरा खड़ा है। गाड़ियां तो आ गयी हैं चलाने के लिए ड्राइवर हैं नहीं, एम्बुलेंस भी है उसमें क्या होता है। मान्यवर, ये जितने भी अधिकारी हैं, एक–एक जिले में 6–6 मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके परिवार को ढोने का काम करते हैं। मान्यवर, पेट्रोल के लिए आपका पैसा जा रहा है लेकिन जो उसका उपयोग होना चाहिए वह सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा सबसे पहले मेरा यह सुझाव है इस ढांचे में परिवर्तन किया जाय और छोटा ढांचा खड़ा किया जाय, जो आपका अनावश्यक चिकित्सा सुविधाओं के नाम पर अपव्यय हो रहा है जो पैसा देना पड़ता है गाड़ियों के लिए, सुविधा के लिए उससे कुछ पैसे की बचत होगी और उसमें सुधार आयेगा निश्चित रूप से मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप चिकित्सा सुविधा में सुधार लाना चाहते हैं। आप बधाई के पात्र हैं इस दिशा में आपने कुछ प्रयास भी किये हैं लेकिन मान्यवर, सबसे बड़ी समस्या है पहाड़ में कहीं भी जाइये घरों में, मुहल्लों में, गांवों में वहां झोला छाप डॉक्टर जरूर मिलेंगे। मान्यवर, झोला छाप डॉक्टर जिस प्रकार से लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं यह बड़ी चुनौती का सवाल है स्वास्थ्य विभाग के लिए आज तक हम उनका झोला जब्त नहीं कर पाये। तो मान्यवर, क्या

व्यवस्था सुधारेंगे। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा ऐसे जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं, उनका झोला जितनी जल्दी हो जब्त कर दें। आपकी बड़ी कृपा होगी। पहाड़ के लोगों पर बड़ा उपकार होगा।

मान्यवर, दूसरा आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के बारे में बात करना चाहता हूं। मान्यवर, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के बारे में शुरू में मान्यवर, मेरा आप से निवेदन है कि आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की हालत बड़ी दयनीय है। मान्यवर, कई चिकित्सालय ऐसे हैं जहां भवन ही नहीं हैं किराये के भवनों में चल रहे हैं। उनको किराया नहीं मिला है।

दूसरा हमने यह निवेदन किया था कि कम से कम आप, जो विभिन्न विभागों द्वारा जो इस्टीमेट देते हैं वह तो अपने हिसाब से इस्टीमेट देते हैं और उस इस्टीमेट के आधार पर 50 प्रतिशत कमीशन होता है, तो मेरा यह निवेदन है मान्यवर, उसमें प्रत्येक आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 4–4 कमरों के लिए और 1–1 चिकित्सालय के लिये आप स्वीकृत कर दीजिये, चाहे आप 4 लाख रुपया करें, 5 लाख रुपया करें, 10 लाख रुपया करें, लेकिन कम से कम आप एक शुरूआत करें, माननीय मंत्री जी ने पटवारी चौकियों के बारे में बहुत अच्छी शुरूआत की है। आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के बारे में विचार करेंगे यह आवश्यक है, यह मेरा आपसे निवेदन है। मान्यवर, आयुर्वेदिक के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने साल भर के लिये बजट रखा है, साढ़े तीन लाख का प्राविधान आपने औषधि के मद में किया है। ऐसे वित्तीय वर्ष में, 31 मार्च, 2001 तक 58,500 रुपये अभी तक खर्च हो गये हैं और अभी मई का महीना चल रहा है और भी इसमें खर्च हो गया होगा और इस प्रकार से औसत प्रति रोगी पर 77 पैसा रोगी पर खर्च होगा तो मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 77 पैसे में कौन सा रोगी ठीक हो जायेगा। मान्यवर, जो चिकित्सा सुविधा उस को देना चाहते हैं तो इसमें जो पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए वह पर्याप्त नहीं। 77 पैसे में कोई रोगी ठीक नहीं हो सकता है, इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा जो प्रस्तुत बजट है उसका समर्थन करते हुए मैं इतना अनुरोध जरूर करूंगा कि जो आपने बहुत बड़ा ढांचा उत्तरांचल में स्वास्थ्य के बारे में जो स्वीकृत किया है, इस पर विचार करने की कृपा करें।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने स्वास्थ्य मंत्री के बजट भाषण पर बोलने का मुझे समय दिया मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पहली बार प्रदेश सरकार ने जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं उनके लिए धन की व्यवस्था की है। क्योंकि पहले चिकित्सा के लिए धन की व्यवस्था नहीं की जाती थी, मान्यवर, कुछ सुझाव है, वर्ष 1991 तक प्रदेश में ए0एन0एम0 की ट्रेनिंग दी जाती थी और ए0एन0एम0 ने अपने आरक्षित कोटे में ट्रेनिंग दी थी, उनको तो नौकरी मिल गयी और सामान्य वर्ग के जो ए0एन0एम0 हैं। 1989 से 1991 तक के सारे बेरोजगार हैं, प्रदेश में सारे पद रिक्त पड़े हैं, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि संविदा के आधार पर जो दूरदराज क्षेत्रों में जहां पर सरकार द्वारा यह तय किया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर जनता को चिकित्सा सुविधा दी जायेगी। मान्यवर, मेरे जनपद में 3 विकास खण्ड ऐसे हैं, जहां पर आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं, डीडीहाट, विण एवं मूनाकोट में 3 विकास खण्ड हैं, वहां पर कोई भी आंगनबाड़ी नहीं है तो मेरा माननीय मंत्री जी से

निवेदन है कि जो दूरदराज के क्षेत्र हैं वहां पर जहां पर एक हजार, दो हजार की जनसंख्या है वहां पर उप केन्द्र की स्थापना करें जो बेरोजगार ए0एन0एम0 हैं उनकी वहां पर नियुक्ति की जाय। मान्यवर, दूसरा मेरा सुझाव है कि आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं उनकी नियुक्ति एलोपैथिक चिकित्सालयों में की गयी है और उनको वेतन आयुर्वेदिक विभाग द्वारा दिया जाता है, आज जनपद पिथौरागढ़ में 30 ऐसे आयुर्वेदिक डाक्टर है, जिनकी नियुक्ति एलोपैथिक चिकित्सालय में हुई है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में मदकोट से लेकर जौलजीबी का क्षेत्र है, जहां पर 4 आयुर्वेदिक अस्पताल हैं, उस क्षेत्र में कम से कम 15 हजार जनसंख्या रहती है, जो गरम घाटी है और वहां पर एक भी आयुर्वेदिक डाक्टर नहीं है। इसी प्रकार से दूनाकोट, जौरासी क्षेत्र में भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की पोस्ट है लेकिन वहां पर भी कोई डॉक्टर नहीं है। पिथौरागढ़ जनपद में 30 आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियुक्ति एलोपैथिक अस्पतालों में हुई है, जिनका वहां कोई काम नहीं है। अतः जहां पर पद रिक्त है, वहां पर उनकी नियुक्ति की जाय। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जनपद पिथौरागढ़ में जिला चिकित्सालय के लिए 35 लाख रुपये उसके रख–रखाव के लिए प्रदान किये गये हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और अन्त में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह एक उल्लेखनीय बात है कि गत वर्ष में स्वास्थ्य का बजट कुल बजट का सिर्फ 2 प्रतिशत था, वर्तमान में 4.02 प्रतिशत का प्राविधान स्वास्थ्य के लिए किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और जैसा कि हम सब इस बात से अवगत हैं कि उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा एवं चिकित्सा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा में यदि हमने शिक्षा मित्र और शिक्षा बन्धु की व्यवस्था की है तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हमें ऐसे कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी।

श्रीमती इंदिरा हृदयेश–

मान्यवर, कोई स्वास्थ्य मित्र इसमें भी करवा दीजिए तो फायदेमंद हो।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, मित्र नहीं तो सहेली ही सही।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के विषम क्षेत्रों में जहां पर व्यक्ति रहना नहीं चाहता है, अप्वाइंटमेन्ट हो जाता है, तो छुट्टी लेकर वापस आ जाता है और दुबारा नहीं जाता, वर्षों तक स्वास्थ्य केन्द्र खाली पड़े रहते हैं। इसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि हम स्थानीय बेरोजगारों को वहां पर नियुक्त कर सकें और उनकी सेवायें समाज में दे सकें। मान्यवर, मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो परिवार कल्याण का कार्यक्रम है, वह पिछड़ रहा है। उसके बारे में हमें चिन्ता करनी पड़ेगी। जनसंख्या का जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है और मुख्य रूप से उन वर्गों में जो

वंचित वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखते हैं, जो पिछड़ी जातियों से संबंधित हैं, विशेष रूप से जहां पर शिक्षा का अभाव है, ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या का विस्तार हो रहा है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम वंचितों के दुःख दर्द की बात तो अपने सदन में कहते रहते हैं।

मान्यवर, हम वंचितों के दुख दर्द की बात तो अपनी सदन में कहते रहते हैं, परन्तु हम इस गम्भीर समस्या के समाधान के लिए अपने–अपने क्षेत्र में क्या करते हैं। इसके लिए हममें से कोई भी नहीं सोचना चाहता। मान्यवर, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि दून चिकित्सालय जो 107 साल पुराना है, उसके रख–रखाव के लिए 75 लाख रुपये की व्यवस्था की है। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं, परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। देहरादून उत्तरांचल और गढ़वाल का मुख्य केन्द्र है, अभी इसका जो प्रभाव है अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। यदि कहीं गढ़वाल में कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले मरीजों को देहरादून लाया जाता है। यहां पर यह पता चलता है कि न्यूरोलॉजी विभाग नहीं है, अर्थोपेडिक्स का विभाग नहीं है। यहां पर आते ही उसे या तो मेरठ भेज दिया जाता है या पी0जी0आई0 में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। मेरा यह अनुरोध है कि दून चिकित्सालय की जितनी आवश्यकता देहरादून वालों को है उससे कहीं अधिक आवश्कता बाहर के लोगों को है। बाहर के लोगों को यहां से शिफ्ट करना पड़ता है और रास्ते में कभी–कभी मरीज मर भी जाता है। मान्यवर, मैं कहता हूं कि "प्रिवेन्शन इज बेटर दैन क्योर"। देहरादून में 2000 सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है, मगर 600 सफाई कर्मी है। मान्यवर, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मैं उदाहरण देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कपूर जी इस बात को नगर विकास के बजट में कह लेना।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, हम अगर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना चाहते हैं मलिन बस्तियों में, तो हमें स्वस्थ वातावरण भी बनाना पड़ेगा। मान्यवर, अनुरोध करना चाहूंगा कि देहरादून का जो पोस्टमार्टम गृह है वह चंदन नगर घनी बस्ती में बनाया गया है। इससे वहां रहने वालों को और साथ ही आने जाने वालों को बहुत असुविधा होती है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि पोस्टमार्टम गृह को जेल परिसर के आस–पास शिफ्ट कर दिया जाय। मान्यवर, मैं चाहता था कि विस्तार से माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उस पर अपने विचार रखूं।

मान्यवर, जो मा0 मंत्री जी ने बात कही मा0 कृष्ण चन्द्र पुनेठा जी ने अन्य सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा, चाहे यहां पर ओ0एन0जी0सी0 अस्पताल है, यहां पर हिमालयन इंस्टीट्यूट का हॉस्पिटल है अगर सरकार ऐसी व्यवस्था कर सके अगर ओ0एन0जी0सी0 में सामान्य नागरिक के लिए कुछ बैड आरक्षित कर दिया जाय जो हमारे पास दून चिकित्सालय से मरीज आता है अगर हिमालयन इंस्टीट्यूट में अगर कोई बैड आरक्षित मिल जाते हैं और वहां पर चिकित्सा

सुविधायें हमें इन दोनों हास्पिटलों की सेवायें न्यूनतम रूप में भी प्राप्त हो जाती हैं तो कम से कम हम उन लोगों के लिए, जो दूर दराज के क्षेत्र के लोग यहां पर उपचार के लिए आते हैं उन्हें प्राथमिक सेवायें तक हम उपलब्ध नहीं करा पाते। तो हम कम से कम उन लोगों का ध्यान कर सकेंगे।

* श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, तीन चार प्वाइंट पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी मातृ शिशु एवं बाल सेवायें, ये भी मा0 मंत्री जी ने अपने प्राविधान में उल्लेख किया है, लेकिन परिस्थिति यह है कि सर्वाधिक मातृ सेवाओं में बाल सेवाओं में जितनी अपेक्षा की जा रही है, उतनी सम्भव नहीं है। यद्यपि पर्वतीय क्षेत्र में महिलायें काफी कार्य करती हैं फिर भी उनको जो प्रारम्भिक चिकित्सा है वह प्राप्त नहीं है। मैं समझती हूं कि इसका बजट भी बढ़ाना चाहिए। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर नहीं हैं, नर्स नहीं हैं और कभी–कभी नर्स ही डॉक्टर का काम कर देती हैं। इसलिए बाल मृत्यु दर भी कम हो और माता को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ भी हो। इस ओर मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगी। मान्यवर, दृष्टिहीनता के बारे में जितनी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, विश्व बैंक द्वारा प्रसारित और भारत में सर्वाधिक दृष्टिहीन व्यक्ति हैं और अन्धापन बढ़ा है दृष्टिहीनता की दृष्टि से इसके बहुत सारे कारण हैं। कारणों में मैं नहीं जाती लेकिन इस दृष्टिहीनता को कम करने की दिशा में कोई सार्थक प्रयास मैं नहीं कर पा रही हूं। कोई निर्धन व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्ति को नेत्र चिकित्सा की सुविधा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में भी नहीं है और ऐसी रिपोर्ट बार–बार आती है, डब्ल्यू0एच0ओ0 और विश्व बैंक की, कि अन्धापन सबसे ज्यादा भारत में है। इसकी रोकथाम के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। मैं चाहूंगी कि मा0 मंत्री जी इस ओर भी अपना ध्यान अवश्य आकृष्ट करेंगे।

मलेरिया प्रमुख रूप से तराई में उत्तरांचल में इसका प्रभाव रहा और एक बार पूरी तरह मलेरिया समाप्त हो गया था लेकिन अब फिर पुनः यह स्वीकार भी कर लिया कि मलेरिया फिर से वापिस आ गया है। अब मलेरिया उन्मूलन की दिशा में डब्ल्यू0एच0ओ0 की ओर से जो मदद मिल रही है और पल्स पोलियो के उन्मूलन की दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है उस तरह से मलेरिया फिर से तराई में आ गया है। मैं समझती हूं कि इसके उन्मूलन से पूरी तरह समाप्त हो जायेगा। मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि मैं बहुत लम्बे समय तक विधान परिषद् में उ0 प्र0 से कहती आई कि ये वैक्सीन जिसका सुबह जिक्र हो रहा था, इसमें कई तरह के सवाल आये। एक तरह से पटवा डांगर बन्द सा हो गया था। उसकी स्थिति काफी खराब हो गयी थी। अभी जो आंकड़े दिये हैं मा0 मुख्यमंत्री जी ने उससे लगता है कि जो स्थिति है 1999–2000–2001 में वहां वैक्सीन बनने लगी। एक स्थिति यह आ गयी थी कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी जिला अस्पताल में जब कुत्ते काटे वाले केस आते थे तो वैक्सीन नहीं मिलती थी। अब इस दिशा में कोई प्रयास हुआ है तो आपको बधाई देती हूं, मेरी जानकारी में इस बीच पटवा डांगर के लोगों से मिल नहीं सकी तो यह पटवा डांगर महत्वपूर्ण है उसकी दशा भी खराब है क्योंकि यह तो भारी कठिनाई है रास्ते में आदमी जा रहा है, गरीब व्यक्ति के लिए कल्याणकारी योजनायें बनें इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मान्यवर, बेस हास्पिटल जो है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, उन हास्पिटल की बात हुई तो मैं हल्द्वानी बेस हास्पिटल की ओर ध्यान आकर्षित कर दूं, जो बेस हास्पिटल हैं उनकी दशा सुधारनी पड़ेगी। लोग दौड़कर ऊपर से नीचे अपनी चिकित्सा सुविधा के लिए आते हैं। जिस प्रकार की सुविधायें बेस हास्पिटल में प्रारम्भिक सेवाओं के लिए है, वह भी पर्याप्त नहीं है और मशीन खराब रहती है। कभी बैड नहीं होते हैं और गन्दगी भी है। तो बेस हास्पिटल की बात आपने व्यक्त की कि बेस हास्पिटल ज्यादा अच्छी स्थिति में आये तो मैं पुनः बल देती हूं कि बेस हास्पिटल जहां कहीं भी हैं हमारे उत्तरांचल में उनकी स्थिति सुधरे ताकि वो ऐसे अस्पताल हो जायें जहां निर्धन व्यक्ति दौड़कर आ सकें। न्यूरो सर्जरी हमारे यहां तो ज्यादा है क्योंकि न्यूरो सर्जरी की बहुत जबर्दस्त जरूरत पड़ती है, यहां तो नही है, अभी मेडिकल कॉलेज के लिये धन माननीय स्वामी जी दिलवा सकें तो बन जाये। तो शायद यह सुविधा उपलब्ध हो जाये, उत्तरांचल में जो यहां हास्पिटल है उसमें कितने लोग आ सकते हैं, लेकिन कम से कम सामान्य न्यूरो सर्जरी चल जाता है तो यह सबके लिए प्रारम्भिक स्टेज है, जो दौड़कर आता है, वह घरेलू चिकित्सा करता है और शरीर से अपंग हो जाता है तो इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है खाद्य अपमिश्रण, खाद्य अपमिश्रण का सवाल भी आया, आपने बड़ा जोर दिया जब आपने अपने हेल्थ के बारे में अपना बजट प्रस्तुत किया, लेकिन खाद्य अपमिश्रण की बड़ी कठिनाई है, उन कठिनाइयों की ओर मैं नही जाती हूं, खाद्य अपमिश्रण की पवित्रता की जांच की जाये उसके सैम्पल ले रहे हैं, उनमें मिश्रण नहीं है वह भी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई चेक एण्ड बैलेंस है या नहीं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आपकी कृपा से उत्तरांचल में खाद्य अपमिश्रण नहीं रहा तो यहां स्वास्थ्य अच्छा हो जायेगा । इस ओर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि वह अपमिश्रण ऊपर से आता है और उसमें मिलावट होती है और मिलावट की जो कहानी अगर मैगजीन, किताब से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लें तो शायद इस प्रकार का भोजन करना लोग बन्द कर दें, इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करूंगी और माननीय मंत्री जी ने जो एलोपैथिक और होम्योपैथिक के ऊपर जोर दिया है उस संबंध में एक अच्छा प्रयास है आप इसमें सफल हों। यहां जड़ी-बूटी का क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है और उसमें आयुर्वेद को प्राथमिकता है इस राज्य के हित में है, इसलिए मान्यवर, मैं अपने ऐक्सपेक्ट मोशन पर बल देती हूं।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर भाषण आ जायेगा।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं राजस्व मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया है, पहले तो मैं आप को बधाई देना चाहता हूं और यहां पर श्री राम सिंह सैनी द्वारा, आदरणीय अम्बरीष जी द्वारा, श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा द्वारा, श्री लाखी राम जोशी जी द्वारा, श्री भारत सिंह जी द्वारा, श्री रघुनाथ सिंह जी द्वारा, श्री बिशन सिंह चुफाल जी द्वारा, हरबंस जी द्वारा, डा0 इन्दिरा जी द्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग में विशेषकर कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और यूनानी की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय राम सिंह जी ने जो सुझाव दिया है कि इतना महत्वपूर्ण जो कालेज हमारा ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय और गुरूकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय इन दोनों के सशक्तिकरण की दिशा में इस समय पर्याप्त धन है। इस समय 3 करोड़ से भी अधिक रुपया उसके लिए रखा है, अम्बरीष जी ने भी उस ओर ध्यान केन्द्रित किया है और हमारी प्राथमिकता है जो महाविद्यालय है उनको हम और सशक्त करेंगे और उस दिशा में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। श्रीमन्, जो जोशी ने दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव दिया था, सच में 487 हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, पूरे उत्तरांचल के दूरदराज क्षेत्रों में और वह अधिकांश भवन हैं बल्कि यह कहना चाहिए कि 5–7 प्रतिशत में ही अपने भवन होंगे, 5–7 प्रतिशत भी नहीं है, इसलिए सरकार ने उसमें भी जैसा कि यह सुझाव आया, पिछली बार भी आपने उत्तर प्रदेश की विधान सभा में यह सुझाव दिया था कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय बड़े भवनों की वजह छोटे 3–4 कक्षों का मॉडल तैयार किया जाय और उसी आधार पर भवन खड़ा किया जाये, तो श्रीमन् यह शुरू कर दिया गया है और उसके लिए एक करोड़ तीस लाख रुपये की इस बजट में व्यवस्था कर दी गयी है कि हम 3–4 कक्षों के 26 आयुर्वेदिक चिकित्सालय इस वर्ष श्रीमन् बनायेंगे।

मान्यवर, ऐसे ही सुदृढ़ीकरण और मरम्मत के लिए भी 2 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था इस बजट में की है। अभी माननीय अम्बरीष जी ने कहा कि आयुर्वेद तो एक पद्धति है और उसी आधार पर माननीय कृष्ण चन्द्र पुनेठा जी ने यह सुझाव दिया है कि वैद्यों के अनुभव का लाभ लेने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। इस विषय में अभी विश्व आयुर्वेद सम्मेलन के रूप में यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण गोष्ठी हुई थी और उसी आधार पर कोशिश की जा रही है कि यह विद्या खत्म न हो। हम सभी वैद्यों को जो पूरी दुनिया के अन्दर ख्याति प्राप्त हैं, हिन्दुस्तान में हैं, विशेषकर कि उत्तरांचल की जड़ी–बूटियों पर जिनका काम है, उनको जल्दी से जल्दी एक जगह आमंत्रित करना चाहते हैं। जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

उत्तरांचल पूरी दुनिया का आयुर्वेद, जड़ी–बूटी का महत्वपूर्ण केन्द्र है इसलिए पुनेठा जी ने जो सुझाव दिया है कि यहां पर एक ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए जो पूरी दुनिया के लिए आदर्श का स्वरूप बने। तो श्रीमन् सरकार ने बहुत गम्भीरता से इसको लिया है और उत्तरांचल में शीघ्र ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में गम्भीरता से प्रयास किया जायेगा। इसी दिशा में श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी और श्री चुफाल जी ने कहा कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो एलोपैथी में हैं, उनको आयुर्वेद में गरम घाटी में रिक्त पदों पर भेजा जाय, हम लोगों ने यह तय किया है। पहले हमारी प्राथमिकता आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में उनके पदों को भरने की होगी और इसलिए सुनिश्चित किया गया है, एलोपैथिक चिकित्सालय में जो कमीशन से आये हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर आयुर्वेद के लगभग 83 रिक्त पदों पर जल्दी से जल्दी समायोजित किया जायेगा। उत्तर प्रदेश कैडर के चिकित्सकों को हम यहां से छोड़ते चले जायेंगे। श्रीमन् एक बात की जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे उत्तरांचल में अभी 3 मेडिकल कालेज हैं। 2 आयुर्वेदिक कालेज हैं और एक निजी क्षेत्र का मेडिकल कालेज है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन ऐक्ट 2000 में अनुसूची–10 का हिस्सा हमारे हरिद्वार के दोनों कालेज बने हैं, इससे उत्तर प्रदेश के छात्र भी इनमें प्रवेश ले सकेंगे लेकिन उससे भी सुखद स्थिति यह

है कि हम भी चूंकि अनुसूची–10 का हिस्सा है, इसलिए सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में हमारे छात्र–छात्राओं को पूरा प्रवेश मिलेगा और अनुसूची–10 में हमारे हरिद्वार के ही दो कालेज हैं, निजी क्षेत्र का मेडिकल कालेज, हिमालयन इंस्टीट्यूट अनुसूची–10 का हिस्सा नहीं है। उसमें जो 85 सीटें हैं, उनमें सिर्फ उत्तरांचल के छात्र ही प्रवेश ले सकेंगे। एक और उपलब्धि जो उत्तरांचल को प्राप्त हुई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको आरक्षण देने से इंकार कर दिया था, जैसा पूर्ववर्ती राज्य में होता था कि पिछड़े वर्ग के रूप में उत्तरांचल के छात्र को लिया जाता था। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग राज्य बनने के कारण हमको आरक्षण देने से मना कर दिया था। इस बात को लेकर हम केन्द्र सरकार में गये और लॉ मिनिस्ट्री तक जाने के बाद वहां से यह निर्णय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में उत्तरांचल के छात्रों को जो पहले 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग में गिने जाते थे, इस वर्ष भी उनको पूरा का पूरा आरक्षण दिया जायेगा।

माननीय जोशी जी ने कहा कि प्रति रोगी 77 पैसे में कैसे ठीक होगा। श्रीमन् 77 पैसा तो ज्यादा है, हम तो 50 पैसे में रोगी को बिल्कुल निरोग कर रहे हैं।

50 पैसे की गोली देकर श्रीमन् जो ठीक हो रहा है वह लाखों रूपये यदि खर्च करने के बाद ठीक नहीं हो पाता तो यह हमारी होम्योपैथी उसे ठीक करेगी। (व्यवधान) श्रीमन् भारतवर्ष जैसे देश में आयुर्वेद और होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा निश्चित रूप से बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। इस दिशा में सरकार बहुत गम्भीरता से विचार कर रही है और इसलिए उसके उत्थान की दिशा में भी सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में जो लोग आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं ऐसे प्रतिवर्ष 5 चिकित्सकों को चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सकों को यह सरकार पुरस्कृत करेगी। इस दिशा में भी यह निर्णय लिया जा रहा है। श्रीमन्, जो उत्तरांचल में जड़ी–बूटियों के बारे में कहा गया कि इसके संवर्द्धन और संरक्षण के बारे में भारत सरकार की योजना है कि वे जड़ी–बूटी उद्यान की दिशा में करोड़ों रुपये दे रहे हैं और इस सरकार ने हमारे विभाग ने पूरा इसका उपयोग किया है। उसमें जमीन 5 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक जमीन उपलब्ध कराना होता है और ऐसी दुर्लभ जड़ी–बूटियों को एक उद्यान की दिशा में विकसित करना है। हम लोग इसी वर्ष से इसको भी शुरू कर रहे हैं। वन औषधि जितनी है औषधि उद्यान के रूप में उनको विकसित करने का भी निर्णय लिया है। श्रीमन्, अलग से आयुर्वेदिक निदेशालय के गठन की दिशा में अग्रसर हैं। 1 करोड़ 42 लाख रुपये का इसमें प्राविधान हम लोगों ने किया है। ऐसे ही होम्योपैथी के बारे में जैसा आपने कहा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा हमने दवाईयों के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की है। ऐसी औषधियों की जो बार–बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और अन्य सदस्यों की जो चिंता थी कि औषधि परीक्षण की जो प्रयोगशाला है उसके लिए भी चिंता थी। वैसे तो हमारे पास एक छोटी सी प्रयोगशाला थी, लेकिन उसकी क्षमता इतनी नहीं थी कि वो सभी काम कर लेती इसलिए श्रीमन्, उसके उच्चीकरण की दिशा में 81.05 लाख रूपये की धनराशि हम लोगों ने केन्द्र द्वारा अर्जित कर ली, जिससे युद्धस्तर पर हम इसका उच्चीकरण कर रहे हैं जिससे औषधियों की गुणवत्ता और परीक्षण का कार्य वैज्ञानिक तरीके के साथ हम सम्पादित करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि एलोपैथ का भी इसमें परीक्षण हो सके। श्रीमन्, ऐसी ही औषधि निर्माणशाला के भी उच्चीकरण की बात है। हमारी जो ऋषिकुल में औषधि निर्माणशाला

है वो हमारे पूरे उत्तरांचल के इन 427 चिकित्सालयों को औषधि का निर्माण करके पहुंचाती है। इसकी भी क्षमता थोड़ी कम थी। इसलिए इसको और सुदृढीकरण करने के लिए 76 लाख रूपये की व्यवस्था की है। इसको हमने केन्द्र से अर्जित किया और यह धनराशि हमको प्राप्त भी हो गयी है बहुत जल्द इस दिशा में हम काम शुरू कर रहे हैं। माननीय सैनी जी की बहुत इच्छा थी और उन्होंने शुरू में यह कहा कि आयुर्वेद इस देश की महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति साबित होगी। मैं समझता हूं कि आयुर्वेद इस देश की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अन्दर कम ही समय के अन्दर यह साबित कर देगी कि आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पूरी दुनिया में अव्वल है। इस दिशा में यह सरकार यहीं से उसका अभियान शुरू करेगी।

धन्यवाद।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से यह अपेक्षा करूंगा कि कम से कम वह हर तहसील हेड क्वार्टर पर एक 100 बेड का अस्पताल बनाने की व्यवस्था करें और जब अपना उत्तर भाषण दें तो उसमें इसका प्राविधान करें। क्योंकि जब तहसील मुख्यालय बनाये जाते हैं तो वे जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधर पर ऐसे उपयुक्त स्थान पर बनाये गये हैं उससे वहां की जो जनता है वह लाभान्वित होगी क्योंकि तहसील हेड क्वार्टर पर इस प्रकार के एक अस्पताल का बनना बहुत ही आवश्यक है।

मान्यवर, साथ ही साथ इस प्रकार के हास्पिटलों में ब्लड बैंक होना आवश्यक है। मेरे यहां हरिद्वार में जो डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल हैं उनकी दशा यदि आप देखेंगे तो बिल्डिंग की रखरखाव की और वहां के डॉक्टर्स की सोचनीय दशा है। मान्यवर, मुख्यालय बने हुए काफी दिन हो गये हैं, तो मैं चाहूंगा कि वे डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल मुख्यालय पर बनाया जाय और उसको सारे उपकरणों से सुसज्जित किया जाय और जितने डाक्टर्स की कमी है उनमें रिक्तियां भरी जाय। मान्यवर, एम्बुलेंस है लेकिन ड्राइवर नहीं है। ऐसी स्थिति है ड्राइवर नहीं तो एम्बुलेंस कैसे चलेगी इसलिए मैं चाहूंगा इस प्रकार की व्यवस्थायें सभी जगह, जहां पर इस प्रकार के हास्पिटल हैं, ड्राइवर हैं एम्बुलेंस नहीं हैं, एम्बुलेंस है, ड्राइवर नहीं है। इस प्रकार का विरोधाभास है उसे समाप्त होना चाहिए। साथ–साथ हरिद्वार में 15 लाख आबादी है तो वहां पोस्टमार्टम सुविधा केवल हरिद्वार में है और हरिद्वार एक तरह से हमारा मुख्यालय जरूर है वह थोड़े में हैं वहां से नारसन है। एक तरह से हमारा क्षेत्र भी छुटमलपुर तक फैला हुआ है उधर भी लकसर है। एक तो हमारे यहां ज्यादा राष्ट्रीय मार्ग होने से रोजाना दुर्घटना बहुत होती है तो वहां पोस्टमार्टम यूनिट है उसमें बहुत रश रहता है। उससे लोगों को सुविधा नहीं है इसलिए रुड़की में भी पोस्टमार्टम की सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए। मान्यवर, हमारे साथियों ने कहा झोला छाप जो डॉक्टर्स हैं उन पर भी आप प्रतिबन्ध लगायें क्योंकि ये हमारे लोगों को इस प्रकार की दवाईयां देते हैं और इतिश्री कर लेते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कुछ नहीं है लेकिन अपना प्रेक्टिस कर रहे हैं और मान्यवर मैं कहना चाहता हूं मा० मंत्री जी से विशेष रूप से कि जो हमारे आयुर्वेद का विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात सोच रहे हैं तो उसको हरिद्वार में करिये क्योंकि मेडिकल कालेज भी हरिद्वार में है।

मैं मा0 वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां होना चाहिए। मान्यवर, मेरे क्षेत्र हरियापुर, हकीमपुर, तुर्रा, मानकमजरा, सिसोना, भगवानपुर, करोंजी वगैरह में चेचक का प्रकोप है और झबरेडा में बड़ी माता का। तो मान्यवर, आप डाक्टर्स की टीम भेजकर इसका पता लगा लीजिए ताकि यहां पर बड़ी माता या चेचक का प्रकोप है या नहीं यह पता लग सके और इस प्रकार की जो महामारी फैलती है उसको कन्ट्रोल करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए। मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हर तहसील, हर हैड क्वार्टर पर 100 बैड का हास्पिटल, हरिद्वार में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना तथा ब्लड बैंक इत्यादि जो सुझाव दिये हैं ये अगर मा0 मंत्री जी कह दें तो अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूंगा नहीं तो मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपके और सभी विपक्ष के मित्रों की ओर से जो सुझाव आये हैं बहुत अच्छे और बहुत ही सारगर्भित है। स्वास्थ्य विभाग को जो भविष्य में अच्छी दिशा निर्देशन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आपने सुझाव दिये हैं उनको आगे आने वाली नीतियां जब भी हमारी बनायी जायेंगी उसमें अवश्य ही समाहित करेंगे। माननीय राम सिंह सैनी जी, काजी जी, मा0 मुन्ना सिंह जी, मा0 ईसम सिंह जी, मा0 अम्बरीष जी, मा0 कृष्ण चन्द्र पुनेठा जी, मा0 रघुनाथ सिंह जी, मा0 भारत सिंह रावत जी, मा0 लाखी राम जोशी जी, मा0 बिशन सिंह चुफाल, मा0 हरबंस कपूर जी एवं मा0 इन्दिरा हृदयेश जी ने जो ज्वलंत बातें उठायी हैं वह वास्तव में बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा नहीं लगा कि ये अपोजेशन के सुझाव हैं। इस तरह के रचनात्मक सुझाव जो आये हैं वह निश्चित ही किसी भी राज्य को वहां की नीति बनाने में अच्छा दिशा निर्देशन कर सकती हैं। कुछ बातों की जानकारी नहीं होती है, वह सामने आ जाती है। मा0 राम सिंह सैनी जी ने कुछ बातें रखी कि हमारे यहां पर चेचक हो गया है और वह चिकन पॉक्स नहीं था। मान्यवर, जैसे ही आपकी सूचना मिली हमने टीम वहां पर भेजी है, उसका उपचार किया जा रहा है, स्पष्ट हो गया कि चेचक नहीं है, चिकन पॉक्स होगा।

श्री अध्यक्ष–

स्माल पॉक्स का तो उन्मूलन हो गया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वहां हमारी मेडिकल टीम गयी हुई है। चेचक नहीं है, बल्कि चिकन पॉक्स है। हम भी इसमें बहुत चिन्तित थे। जो हमारे डाक्टरों की टीम गई हुई थी उसकी रिपोर्ट आ गयी है तो तसल्ली हुई है।

दूसरी एक बात है, मान्यवर, राम सिंह सैनी जी ने यह बतायी थी कि भवनों के निर्माण के लिए बहुत कम पैसा इसमें रखा हुआ है। तो मान्यवर, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप गम्भीरता से बजट को देखेंगे तो पूर्व में जो हमको यहां उत्तरांचल में दिया था उसका भी इसमें हवाला है, केवल 3 करोड़ 73 लाख रुपया था। सभी प्रकार के भवनों को बनाने के लिये। लेकिन आज हमने पहली बार इस बजट में 13 करोड़ 63 लाख 95 हजार रुपये का प्राविधान किया है। सम्भवतः कहीं पर आपसे चूक हो गयी होगी। जो

आपने बताया है कि 6 करोड़ रुपया दिया है, कहीं न कहीं कोई बात रही होगी और भी आपने सुझाव दिये हैं, पोस्टमार्टम के बारे में दिया कि रुड़की में इसकी सुविधा होनी चाहिए। मैं इस पर विचार करता हूं और भी छोटे-छोटे यूनिट होने चाहिए पोस्टमार्टम की बहुत परेशानी है, इस पर भी हम विचार करेंगे भविष्य में और झोला छाप डाक्टर्स के बारे में आपने बताया है, इसके लिए 28 फरवरी को हमने यहां से निर्देश सरकार की तरफ से किये हैं कि झोला छाप डाक्टर से कड़ाई से निपटा जाये और कई जिलों में हमारे सी0एम0ओ0 ने कार्यवाही भी की है, कई लोगों पर मुकदमे भी दायर हुए हैं। मुझे ज्ञात हुआ है, जिसकी सूचना मैंने रखी है, फिर हम उस पर विचार करेंगे कि हमारे देहरादून के सी0एम0ओ0 ने कुछ केस यहां पकड़े हैं, यह भी हमको जानकारी मिली है। इसकी हम जानकारी ले रहे हैं कि वास्तविकता क्या है और माननीय राम सिंह सैनी जी ने पदों के बारे में बताया है, वास्तव में काफी पद रिक्त हैं-समूह क, ख, ग, घ, खाली हैं और धीरे-धीरे पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर रहे हैं और इसलिए संविदा के आधार पर कुछ समय के लिए इनको रख रहे हैं और जब हमारा लोक सेवा आयोग काम करने लग जायेगा तो हम उनकी नियमित भर्ती प्रारम्भ कर देंगे।

अमीर और गरीब के बारे में आपने बताया कि गरीबों को दवा नहीं मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की तिथि में भी गरीब को मुफ्त दवा मिल रही है, इतना ही नहीं सरकार ने गरीब हो, चाहे अमीर हो, आकस्मिक स्थिति में समान रूप से उस को दवा दी जायेगी और तो और यह हमने निर्देश किये हैं कि ऐसे वक्त पर आदमी का परीक्षण न किया जाये कि वह दवा लाने लायक है या नहीं है। सबसे पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि आदमी का जीवन बच जाये। इसलिए हमने यह निर्देशित किया हुआ है कि उस समय एल0 टी0 करके भी दवा खरीद ली जाये।

हरिद्वार के यात्रियों के लिए आपने व्यवस्था के बारे में बताया है, वहां पर जो सुविधा दे सकते हैं देंगे और उसको चुस्त-दुरुस्त करेंगे, पिछली बार वहां पर ब्लड बैंक थोड़ा समय चल पाता था तो हम जब वहां गये थे तो हमने 24 घण्टे ब्लड बैंक चले इसकी हमने कोशिश की और अब वहां 24 घण्टे ब्लड बैंक चल रहे हैं। पहले यह होता था कि दिन में कुछ समय के लिए रुक जाता था, वहां के लिए भी हमारा ध्यान है किस तरह से इसको चुस्त-दुरुस्त किया जाये। हमने एक योजना सफाई की वहां बनायी थी, माननीय विधायक जी को पता है कुछ कारणों से विलम्ब हो गया है, जब मैं इंनागरेशन की डेट देने जा रहा था, जब हमने पूछा कि आपको वहां बुलाया जाता तो बाद में पता चला कि तिथि निकल गयी है, चुनाव की, इसलिए उसमें जिक्र नहीं किया है। चूंकि वहां का चुनाव स्थगित हो गया है, इसलिए निश्चित ही जल्दी एक कार्ययोजना वहां पर स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित बना रहे हैं। आपका मार्गदर्शन रहेगा, आप उसमें उपस्थित रहेंगे, यह हमारी अपेक्षा भी है। आंखों, हड्डी रोग और कई प्रकार के रोगों के बारे में आपने बताया है कि इसके डाक्टरों के पास विशिष्ट चिकित्सा सुविधा नहीं है तो मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि रुड़की से कोटद्वार में यह विशिष्ट चिकित्सा सुविधा और जगह भी कर रहे हैं, वहां पर प्रारम्भ करा रखा है जो 7 सेन्टर हमने चयनित किये हैं उसमें रुड़की का नाम भी है।

मान्यवर, जनसंख्या नीति के बारे में माननीया डॉ0 इन्दिरा हृदयेश का भी सुझाव आया है, ये बहुत अच्छी बात यहां पर आयी है जब भी हम नीति बनायेंगे, अभी हमने पूरी नीति नहीं बनायी, जैसा मैंने बजट भाषण में भी कहा था कि इस दिशा में हमारा विचार चल रहा है, तो इसको पूरा करने से पहले इस बात का समावेश किया जायेगा। जब भी नीति बने। नौकरियों या एडमीशन में आरक्षण देकर हम लोगों को इस ओर अग्रसर कर सकते हैं या नहीं, इस पर भी हम विचार करने जा रहे हैं। वैक्सीन सेन्टर के बारे में आपने कहा कि ए0आर0वी0 सेन्टर और बढ़ाये जाने चाहिए। जहां–जहां फ्रिज उपलब्ध हैं, वहां–वहां तक हमने बढ़ाने की कोशिश की है, इस ओर हम और भी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इसमें एक बात और होती है कि कुत्ते रोज–रोज तो काटते नहीं। कभी–कभी काटते हैं। तो मान्यवर, जब वैक्सीन लाते हैं तो एक स्टेज के बाद वैक्सीन डैड हो जाती है। तो इसको बचाने के लिए हम व्यवस्था करते हैं, ताकि उसको सुरक्षित रखा जा सके। माननीय काजी जी ने आवारा कुत्तों को मारने पर भी विचार करने को कहा है। हम नगर निगम को अपनी तरफ से लिखेंगे। वास्तव में यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यह हाईजैनिक व्यू से विचारणीय प्रश्न है। इससे निपटने के लिए पहले जो व्यवस्था थी उसको हम पुनः लागू करेंगे। अगर हमारे मंत्रालय से सीधा–सीधा है तो हम करेंगे और यदि नगर विकास से है तो को–ऑर्डिनैट करके जहां से यह व्यवस्था होनी है, सरकार करेगी और जो गलत मेडिकल बनाने की बात आयी है। ऐसी कोई स्पेसिफिक केस अभी तक मेरे सामने नहीं आया है। अगर कोई केस हमारे सामने आता है तो उस पर हम तुरन्त कार्यवाही करेंगे। माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने एक बात मुझे बतायी कि उत्तर प्रदेश में 2.50 रुपये प्रति व्यक्ति चिकित्सा पर व्यय आता है। तो इस विषय में जो आंकड़े मेरे पास हैं, नवम्बर माह से आज 31 तारीख तक, अपने बजट के आधार के हिसाब से लिया है, उसमें 12 लाख 61 हजार 561 रोगियों को हमने ट्रीटमेन्ट दिया है। जिसके लिए हमें धन मिला है, 1 करोड़ 21 लाख रुपये। तो यदि हम इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 9.59 रुपये, लगभग 10 रुपया प्रति व्यक्ति चिकित्सा पर हम व्यय कर रहे हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, अब तो हम संतुष्ट हो गये। अब तो माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि हम 50 पैसे में ही रोगी को ठीक कर देंगे। सरकार मीठी गोली देकर ही चल रही है।

श्री अजय भट्ट–

खाद्य अपमिश्रण के बारे में माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा है, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सदन में यह प्रश्न भी उठाया था। चूंकि सरकार बहुत संवेदनशील है, अगर कोई गलती हो रही है तो उसको स्वीकार करने में संकोच नहीं करती। ऐसा अड़ियल रवैया न हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है और न ही सरकार के किसी अन्य मंत्री का। जैसे ही मुझे यह सूचना मिली, उसी दिन इस पर कार्यवाही की गयी। आज तक 300 से ज्यादा नमूने खाद्य अपमिश्रण के ले लिये गये हैं, इतने कम समय में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। नमूनों की जांच के लिए हम निर्देश भी कर रहे हैं कि कोई भी सेनेटरी इंस्पेक्टर विद्वेषपूर्ण भावना से किसी का चालान न करें। बल्कि नियमित नमूने लिये जायें ताकि जो अपमिश्रण खाद्य हैं, वो जन स्वास्थ्य को खराब न कर सकें।

मान्यवर, प्रैक्टिसिंग नर्सेज के बारे में आपने कहा है, इस पर अभी बोलना ठीक नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले आपके प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा था उस पर कायम हूं और इसी तरह से फार्मेसिस्टों की नियुक्ति पर भी कायम हूं क्योंकि ये सब प्रक्रिया में हैं। हम इनको नियुक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कोई बात करना ठीक नहीं रहेगा। बी0एम0एस0 को इजाजत दी जाये या न दी जाये, इस पर भी हम मिल बैठकर कार्यवाही कर रहे हैं। हम शीघ्र ही आने वाले दिनों में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, क्योंकि हमारा मकसद यह है कि रोगी को किसी भी विधा से ठीक होना चाहिए, किसी भी पैथी से ठीक होना चाहिए। एलोपैथ से न हो रहा हो तो आयुर्वेद से, आयुर्वेद से न हो रहा हो तो होम्योपैथ से, होम्योपैथ से न हो रहा हो तो अगर अन्य भी कोई पैथी होती हो उससे भी ठीक हो रहा हो तो हमारा उद्देश्य लोगों को स्वस्थ रखना है। (व्यवधान) इस ओर हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि रिलीफ कोष्ठ छोटे-छोटे खोलने के बजाय, बड़े हास्पिटल आप खोलें। वैसे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और जो 32 बड़े हास्पिटल हैं, इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं और हम इसी माह और स्थानों पर भी इन्हें बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके द्वारा दिया गया सुझाव हमारी योजना से पूर्व से ही सम्मिलित है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

मान्यवर, एक खास बात टी0बी0 के जो केसेज रजिस्टर्ड हो जाते हैं क्योंकि गांव का आदमी दवा लेना बीच में बन्द कर देता है थोड़ा ठीक होने पर, इसलिए उसका रेग्यूलर फॉलोअप इस बात के लिए होना चाहिए क्योंकि जब रजिस्टर्ड केस हो जाता है, वह किलर डिजीज बन जाता है और डब्ल्यू0एच0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार जब रजिस्टर्ड केस हो जाता है, वह लाइलाज हो जाता है। इसलिए इस मामले में मैं आप गम्भीरता से विचार करें।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय चौहान जी को बताना चाहता हूं कि टी0बी0 के केसेज में हमारी शीघ्र योजना प्रारम्भ होने वाली है कि हम खुद गांव में, घर में जाकर दवाई खिलवायेंगे। यह योजना पहले चालू नहीं थी। यह देखा जायेगा कि मरीज नियमित दवा ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसने अपना कोर्स पूरा किया है या नहीं क्योंकि टी0बी0 केसेज में होता यह है कि 2 महीने में जब मरीज ठीक होने लगता है तो वह दवा लेना छोड़ देता है और वह यह समझ बैठता है कि मैं स्वस्थ हो गया हूं, लेकिन वह स्वस्थ नहीं होता है और उसका बैक्टीरिया जो होता है वह फलित होता रहता है। इसलिए हम पहली बार यह योजना शुरू करने जा रहे हैं। हम जिलेवार, ब्लाकवार और गांववार इसकी पूरी मॉनीटरिंग करने जा रहे हैं कि कहां कितने टी0बी0 के केसेज हैं। माननीय ईसाम सिंह जी ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, इनको भी हम भविष्य में सम्मिलित करेंगे और आपने बुजुर्ग लोगों को स्वास्थ्य सेवा जगह-जगह पर उपलब्ध कराने की बात की है, हम उस पर विचार करेंगे। माननीय अम्बरीष जी ने कहा कि चाइल्ड हेल्थ केयर, मदर केयर होना चाहिए। माननीय चौहान जी ने और माननीय इंदिरा जी ने भी यह बात उठाई है। इस ओर हमारा विशेष ध्यान है, हम हर तरह से इसमें सजग हैं। चूंकि आज दूसरा बजट भी है इस

लिए मैंने संक्षेप में अपनी बात रखी। उत्तरांचल की जनसंख्या वृद्धि की दर 1981 से लेकर 1991 तक 2.5 रही है। 1991 से 2000 के मध्य यह जनसंख्या वृद्धि दर 1.92 रही है जिससे स्पष्ट है कि उत्तरांचल के वर्तमान दशकों में जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आई है तथा उत्तरांचल जनसंख्या के स्थायित्व की ओर अग्रसर है।

मान्यवर, हम निकट भविष्य में इसकी नीति को अलग से निर्धारित करने की योजना बना रहे हैं। दवा बैंक एक सुझाव अम्बरीष जी का बहुत अच्छा आया है, इस पर विचार करने के लिए कई बार हमने अपनी बैठकों में भी रखा है। हम पुनः इस पर मिल बैठकर कैसी योजना हो सकती है, इस पर विचार करेंगे, लोगों ने भी इसकी बहुत सराहना की है और आई0एम0ए0 के लोगों के बीच में जैसे आपने विचार किया है तो हम उनसे मिले हैं। आई0एम0ए0 उत्तरांचल में बहुत कम जगह की आई0एम0ए0 छोटी होगी जहां मैं अभी नहीं मिल पाया हूं लेकिन चाहे हरिद्वार हो चाहे, रुड़की हो, चाहे देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे अल्मोड़ा हो मैंने जगह-जगह की आई0एम0ए0 जितनी भी है सब लोगों से सम्पर्क किया है। बड़े अच्छे आश्वासन भी उनसे मिले हैं और उन्होंने बड़े-बड़े कैम्प लगाये हैं अभी रुड़की में बहुत बड़ा कैम्प लगा जिसमें 20 हजार की पॉपुलेशन थी। अभी देहरादून में भी कुछ बड़ा कैम्प लगा था तो मैं लगातार उनके कैम्प में जाता हूं। अगर मैं किसी वजह से नहीं पहुंचा तो जब नैक्स्ट में लगाते हैं तो मैं हर काम छोड़ के आई0एम0ए0 के कैम्पस में जाता हूं और उनके महत्वपूर्ण सुझावों को हम ले रहे हैं।

मान्यवर, अम्बरीष कुमार जी ने आवारा पशुओं के बारे में कहा। इसको हम पूर्व में बता चुके हैं यह वास्तव में एक समस्या है इस पर रोक लगाना आवश्यक है। फूड एडलटेशन के बारे में बात आ ही गयी है और यह बात आपने अच्छी कही है, यदि कोई केस पाया जाता है तो सेनेटरी इंस्पेक्टर पर इसकी लाइबेलिटी फिक्स हो। यह बहुत अच्छी बात है इस पर मैं पूरा आश्वासन देता हूं, पूरा विचार करूंगा कि अगर कहीं पर सेनेटरी इंस्पेक्टर है उसके बाद भी एडलट्रेशन हुआ है। ये ज्ञात हो गया है तो हम उस पर रिस्पॉन्सबिलिटी फिक्स करेंगे क्योंकि ये जन स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। मा0 पुनेठा जी का भी मैं बहुत आभारी हूं। आश्रमों के बारे में आपने कहा, मैंने दो तीन जगह बात चलायी है आज तो मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं। मान्यवर, यदि मैं आपका भी सहयोग इसमें चाहूंगा यदि कोई भी डोनर, दानदाता हमको एम0आर0आई0 मशीन दे दें हमको हिस्ट्रोपैथोलॉजी के इन्स्ट्रूमेन्ट दे दें। हमको एक्सट्रा प्लान्ट दे दें हमें एम0आर0आई0 मशीन दे दें तो हम सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। अभी भी मुझे एक आध जगह आश्रमों में बात करने का सौभाग्य प्राप्त होगा मैंने बीच में अपनी ओर से प्रयास किया है मैं कोशिश में हूं कि ऐसे लोग हमें मिलें इसका हम सरकार की तरफ से स्वागत कर देंगे कि हमारे संसाधन वास्तव में सीमित हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी जो एक्सीडेन्ट वगैरह होते हैं तो जो पोस्टमार्टम की समस्या रहती है मैं एक अनुभव बता रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं। मा0 अध्यक्ष वहां पर उन्होंने यह किया है कि जैसे कहीं पर बस एक्सीडेन्ट होता है उनकी टीम वहां जाकर पोस्टमार्टम वगैरह कर आती है। एक्सीडेन्ट में कोई बहुत ज्यादा इन्वेसमेन्ट

तो करना नहीं है एक औपचारिकता मात्र है। जैसे क्लेम आदि के लिए तो कम से कम ऐसे केसेज में 'देन एण्ड दियर' कर देते हैं फिर वह एक संवेदनायें होती हैं अनावश्यक रूप से धक्के खाते रहते हैं। उसे काफी निजात मिल जाती है जिससे विचार कर सकें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ये आपका सुझाव है हम इसको सम्मिलित करेंगे कुछ स्थानों पर हमने इसको प्रयोग के तौर पर शुरू किया है। कुछ स्थानों पर पोस्टमार्टम हुए भी हैं वहीं स्पॉट पर हमने करायें हैं। पोस्टमार्टम में बहुत ज्यादा रिपोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है सभी का केस सिमिलर होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही स्वागत योग्य है आपका सुझाव। इस पर निकट भविष्य में नीति बन रही है हम इसको जरूर विचार के लिए रख रहे हैं और मा0 पुनेठा जी ने बताया सभी पैथियों में से जो हमारी समपैथी है यह सबसे ज्यादा चेरेबुल है यह सबसे ज्यादा उपचार कर सकती है। हमने एक कार्य संस्कृति उत्तरांचल के अस्पतालों के लिए डेवलप की है कि अस्पतालों में हमारे डॉक्टर्स का पैरा मेडिकल स्टाफ का जो व्यवहार है, वह सुन्दर होना चाहिए और ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि पेशेन्ट को ये लगें कि जाते ही वह होमली फील करें ताकि वहां पर आधा दुःख दर्द दूर हो जाय। इसकी बकायदा हमने जगह–जगह पर अपनी बैठक में हर अधिकारी को निर्देश दिये हैं इस पर बहुत ज्यादा गुणात्मक सुधार आ रहा है। थोड़ा वक्त लगेगा इसके लिए मैं बहुत ज्यादा आपका आभारी हूं। आपने स्थानान्तरण नीति के बारे में बताया है यह अच्छा मार्गदर्शन आपने दिया है और कामोवेश हम लोग भी जो सरकार में बैठे लोग हैं मिलजुल कर जो नीतियां हमको बनानी हैं, ये सुझाव मैं आपका ग्रहण करता हूं। इसी के आधार पर हम कार्यवाही भी कर रहे हैं और मैं तो सभी से निवेदन भी आजकल कर रहा हूं कि स्थानान्तरण के प्रार्थना पत्र आ रहे हैं कम से कम रिकमन्डेशन आयें तो उसमें हमको भी सुविधा होगी क्योंकि वास्तव में ऊपर अस्पताल खाली होते जा रहे हैं सब लोग नीचे ही आना चाह रहे हैं तो एक हम रोस्टर बनायें ताकि जो ऊपर जा रहा हो, मैदानी तराई क्षेत्र में आ रहा हो आने का वक्त सुनिश्चित कर लें और जो पर्वतीय क्षेत्र में जा रहा हो जो मैदानी क्षेत्र में रहे उसे सुनिश्चित रहे कि मुझे पर्वतीय क्षेत्र में भी जाना है ताकि किसी को अखरे नहीं। ये बहुत अच्छा विचार है।

रघुनाथ सिंह जी ने अच्छी बातें बतायी हैं, कई अस्पतालों में ताला लग गया है, बताया है, तो हम शीघ्र ही ताला खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इसके तुरन्त बाद हमारे अप्वाइंटमेन्ट प्रारम्भ हो जायेंगे। अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्था करवायेंगे, अगर वहां पर नहीं है तो हम 50 एम्बुलेंस और 52 कम्प्यूटर जो आने वाले हैं उनके द्वारा भी हम यहां की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कार्डियोलॉजी के डॉक्टर की बात जो आपने बतायी है। वास्तव में उपकरण हैं और वहां पर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हैं। स्पेसलिस्ट सेवाओं की उत्तरांचल में बहुत ज्यादा मात्रा में कमी है। मैं समझता हूं कि पूरे उत्तरांचल में 4 या 5 कार्डियोलॉजिस्ट से ज्यादा नहीं हैं तो इस बात को हम तो स्वीकार कर रहे हैं तो वहां पर जो फिजीशियन हैं वर्तमान में वह कार्डियोलॉजिस्ट का कार्य देख रहे हैं, भविष्य में शीघ्र ही जब भी कार्डियोलॉजिस्ट आयेंगे तो उसकी व्यवस्था की जायेगी। माननीय रावत जी ने कोटद्वार में पोस्टमार्टम के संबंध में जो कहा है तो पोस्टमार्टम को हम इस साल जो चालू वर्ष है, इसमें उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि हम खुद

चिन्तित हैं क्योंकि यही व्यवस्था करने के लिए उत्तरांचल की व्यवस्थायें अपने हाथ में ली हुई हैं। कोटद्वार से, हरिद्वार से पोस्टमार्टम के लिए आते हैं तो वास्तव में एक अव्यवहारिक बात है, इसलिए हम इसकी ओर शीघ्र ध्यान देंगे और भी कोटद्वार की जो आपकी समस्यायें हैं, उन पर हम विचार कर लेंगे, जो डाक्टर अपने नर्सिंग होम खोल रहे हैं और जिन्होंने छुट्टी ले ली है, इसके बारे में आपने बताया है कि उनके खिलाफ कार्यवाई होनी चाहिए। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि ऐसे कई केस हैं, देहरादून में भी केसेस हैं और हरिद्वार में भी हैं, हर जिले में ऐसे केसेस हैं जो अपने नर्सिंग होम चला रहे हैं, 2 दिन के लिए आते हैं, 3 महीने के लिए चले जाते हैं, कई–कई जगह तो बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और हमने कुछ लोगों को शो कॉज नोटिस भेज दिये हैं मैं सदन को बता रहा हू कि आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायें, हमने आपके यहां पर भेजी हुई हैं, उसके परिणाम कुछ दिनों में सामने आयेंगे तो यह मैं आपकी जानकारी के लिए माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं।

विकलांग कैम्प के बारे में आपकी बात आई है। विकलांग कैम्प के बारे में माननीय रावत जी को अवगत कराना चाहता हूं ये कैम्प लगते हैं और इनको तेजी से हम यहां पर लगायेंगे। आपने एक बात बतायी है कोटद्वार में किसी बुढ़िया की जमीन पर हमारे स्वास्थ्य विभाग ने कोई अस्पताल बना लिया है। उसको मुआवजा लम्बे समय से नहीं दिया गया है, तो उसका परीक्षण चल रहा है आज बात आ गयी थी उसको मुआवजा शीघ्र दिलाया जायेगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जब वह देने योग्य है तो यह उसको दिया जायेगा यह भी मैं सदन को बताना चाहता हूं। माननीय, जोशी जी ने बताया कि विभाग बहुत बड़ा हो गया। मान्यवर, वास्तव में विभाग बड़ा है क्योंकि चिकित्सा शिक्षा के बाद अगर सबसे ज्यादा कर्मचारी है तो स्वास्थ्य विभाग में हैं। पहला विभाग हमारा शिक्षा विभाग है उसके बाद वास्तव में यह बहुत बड़ा विभाग है, इसका प्रबन्ध करना बहुत टेढ़ी खीर है। उत्तर प्रदेश में 16 अनुभाग इसमें हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जोशी जी को बताना चाहता हूं कि आज यहां पर एक यू०डी०ए० पूरे 16 अनुभागों को देख रहे हैं। तो क्या स्थिति हो रही होगी इसलिए हम शीघ्र ही वहां पर एप्वाइंटमेन्ट करने की व्यवस्था कर रहे हैं। थोड़ी परेशानी हम को जरूर है क्योंकि कुछ टेक्निकल लॉ होते हैं, जो सचिवालय सर्विसेज को जानते हैं। तो इसकी व्यवस्था शीघ्र हो रही है।

आज जो हमने ढांचा दिखाया है इस ढांचे में भी मात्र हमारा एक डी०जी० इन सारे कार्यक्रमों को देख रहा है, तो इतनी सारी कमियां आज हमारे पास हैं तो इसलिए उतनी गति से काम नहीं कर पा रहे हैं आपकी बात का भविष्य में पूरा सम्मान किया जायेगा।, माननीय हरबंस कपूर जी ने ओ०एन०जी०सी० और हिमालयन इंस्टीट्यूट में सीटें रिजर्व करने के लिए कहा है, चूंकि यह हमसे सीधा–सीधा तालुक्क नही रखते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इनसे अनुरोध करेंगे और यह मान जाते हैं तो यह अच्छी बात है। वैसे जो नये–नये क्लीनिक खुल रहे हैं उनसे यह अनुरोध किया है कि आप उत्तरांचल की जनता के लिए कुछ परसेंटेज बैड अपने यहां जरूर आरक्षित करिये। तो एक जैन हास्पिटल यहां पर बहुत बड़ा खुल रहा है, उसने आश्वासन दिया है इसी तरह देव क्लीनिक, हरिद्वार में है माननीय विधायक जी भी मेरे साथ हैं, उन्होंने यहां पर उसके शुभारम्भ करने के लिए बुलाया था उन्होंने भी कुछ बैड इसमें आरक्षित करे हैं, जनता के लिए और उन्होंने डी०एम०

को भी लिखकर दे दिया है कि अपने प्राइवेट क्लीनिक में हमारे अनुरोध को उन्होंने माना है यह व्यवस्था हम खुद कर रहे हैं, यह अच्छा कपूर जी का विचार आया था।

मान्यवर, माननीया डॉ0 इन्दिरा हृदयेश जी ने जो मातृ एवं शिशु बाल सेवाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही है, इसको हम वास्तव में बहुत गम्भीरता से ले रहे हैं। मलेरिया के बारे में आपने बताया और पटवा डांगर के बारे में भी एक बात बतायी है, पटवा डांगर के बारे में माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने सम्भवतः कहा था कि पटवा डांगर की स्थिति का इसमें विवरण नहीं आया। तो आपने, यह जो दिग्दर्शिका दी गयी है, इसमें देखा होगा, इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तरांचल में हमारा राज्य रक्षालय संस्थान जो पटवा डांगर में है, देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। इसके द्वारा एण्टी–रैबीज वैक्सीन तथा टिटनस टॉक्साइड वैक्सीन का उत्पादन किया जाता है। इस संस्थान द्वारा ए0आर0वी0 की आपूर्ति सम्पूर्ण उत्तरांचल में की जा रही है। उत्तरांचल में इसकी मांग 6 लाख मिली लीटर प्रतिवर्ष है। जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर दे रहे हैं। आज तक हम उत्तर प्रदेश को भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। संस्थान ने 35 लाख मिली लीटर ए0आर0वी0 के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। उत्पादित अवशेष जो 29 लाख मिली लीटर बचेगा, उसको हम उत्तर प्रदेश को भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके बारे में एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये देश का प्रमुख व्यवसायिक संस्थान भी बन सकता है। क्योंकि हिमाचल, कसौनी में जो टिश्यू कल्चर से वैक्सीन बनता है, वह आज पूरे देश को सप्लाई कर रहा है। लेकिन हमारे यहां भेड़ के भेजे से वह वैक्सीन तैयार किया जा रहा है। हम टिश्यू कल्चर से अपना वैक्सीन तैयार करके इंटरनेशनल मार्केट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट हमने बना दिया है। अभी टिश्यू कल्चर पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए मेरे अन्दाज से 12 से लेकर 14 करोड़ रुपये तक का खर्च आना है। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इस धनराशि की व्यवस्था कैसे होगी।

अगर टिश्यू कल्चर से हमने इसको बनाना प्रारम्भ कर दिया तो मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि यह पटवा डांगर का राज्य रक्षालय संस्थान हमको बहुत ज्यादा रेवन्यू भी देगा और विश्व में अपनी मार्केट भी बना लेगा। इसलिए पटवा डांगर के बारे में माननीया डॉ0 इंदिरा हृदयेश और माननीय मुन्ना सिंह जी ने जो बात उठायी थी कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हमारे पास वहां पर स्टोरेज है, तो फाइल हमारी चल रही है। शीघ्र ही हम इसको उत्तर प्रदेश को बेचना प्रारम्भ करेंगे। अब तक हम यू0पी0 को वैक्सीन फ्री में दिया करते थे, परन्तु अब हम उसे फ्री में नहीं दे पायेंगे। बेस हॉस्पिटल के बारे में माननीया इंदिरा हृदयेश ने कहा था कि इनका सुदृढ़ीकरण किया जाय। यह हमारी नीति में शामिल है। खाद्य अपमिश्रण के बारे में मैं पूर्व में ही आपको बता चुका हूं। मान्यवर, इतनी व्यवस्थाएं हम इतने कम समय में कर रहे हैं और धीरे–धीरे करके और भी जो आपके सुझाव आयेंगे, मिल बैठकर, पुनः मैं आप लोगों को बुलाऊंगा, तमाम अपने पक्ष और विपक्ष के मित्रों को और क्या किया जा सकता है, हम इस पर विचार करेंगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कोई समयबद्ध योजना तो बताई नहीं है, न मेरे द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का निश्चित जवाब दिया है। (व्यवधान) इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

काजी मो0 मोइउद्दीन–

मान्यवर, कुछ दिनों पहले की बात है मैं एक विकलांग, जिसकी उम्र 18 साल थी। उसकी एक टांग कोल्हू से कट गयी थी। मैं उसको लेकर गया तो उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया। मैं डी0एम0 से मिला तो डी0एम0 ने कहा कि आप विधान सभा में इसे उठाइये। विकलांग की परिभाषा यह है कि व्यक्ति के दो अंग कटे होने चाहिए। तो मान्यवर, इस पर विचार किया जाये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं इसे दिखवा लेता हूं। इसका प्रतिशत होता है। यदि नियमों के अनुसार कार्य नहीं किया है तो हम एक्शन भी लेंगे। मुझे आप डिटेल दे दीजिये, मैं दिखवा लूंगा।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1363542 हजार (एक अरब छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख बयालिस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

उद्यान, समाज कल्याण एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री नारायण राम दास)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि "31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15 समाज कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 807983 हजार (अस्सी करोड़ उन्यासी लाख तिरासी हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।"

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल राज्य बने हुए अभी बहुत कम समय हुआ है और इतने कम समय में जैसा कि अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से माननीय सदन के समक्ष बात रखी है कि अभी सचिवालय से लेकर विभागों में अधिकारियों की, कर्मचारियों की बहुत कमी है। इसके बावजूद भी इन 5 महीनों में उत्तरांचल सरकार ने अपनी कठिन मेहनत और समर्पित भाव से बहुत अच्छा कार्य किया है, कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन आज समाज कल्याण विभाग, जिसका बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है।

श्रीमन्, समाज कल्याण उत्तरांचल के गरीब, बेसहारा, विकलांग, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, असहाय महिला इन सबसे संबंध रखता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था कि समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित समाज कल्याण विभाग में भी सचिवालय स्तर के दक्ष अधिकारियों और कर्मचारियों की नितान्त कमी के बावजूद समाज कल्याण विभाग ने दिन रात लगन और मेहनत के साथ समाज कल्याण विभाग का राज्य स्तर पर पुनर्गठन किया और इस पुनर्गठन में अपनी योग्यता का परिचय दिया। जिससे राज्य की मितव्ययता के साथ–साथ एक चुस्त प्रशासन, चुस्त शासन देने का लक्ष्य सामने आया। उदाहरण के तौर पर जो अभी तक समाज कल्याण विभाग में तीन स्तरीय व्यवस्था थी, शासन स्तर पर, निदेशालय स्तर पर और मण्डल स्तर पर, उसके बाद अब जिला स्तरीय शासन के पास जो ये त्रिस्तरीय हैं, इनको द्विस्तरीय व्यवस्था किया और द्विस्तरीय व्यवस्था करने में भी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि कोई भी नये पद सृजित नहीं किये गये और उपलब्ध अधिकारियों और कर्मचारियों में से ही यह व्यवस्था की गयी। इसके अतिरिक्त अभी तक हम उ० प्र० में पूर्व की अपेक्षा अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति वित्त निगम, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक कल्याण आयोग, विकलांग कल्याण आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ये सब अलग–अलग कार्य करते थे।

उत्तरांचल जैसे छोटे राज्य में इन सभी निगमों के आयोगों की अलग–अलग से आवश्यकता महसूस नहीं की गयी और इसके गठन को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया कि एक बहुउद्‌देश्यीय समाज कल्याण निदेशालय और बहुउद्‌देश्यीय समाज कल्याण वित्त विकास निगम की स्थापना की जाय। जिसके अन्तर्गत समाज के सभी कमजोर वर्गों से संबंधित विभागों और निगमों का कार्य सम्पन्न किया जाता रहे और यह व्यवस्था की गयी। इस व्यवस्था को, समाज के हित में जो वित्तीय व्यवस्था की गयी है उसको संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्रों एवं छात्राओं के लिए जहां विगत वित्तीय वर्ष में 1784.61 लाख रुपये खर्च किये गये थे। इस वित्तीय वर्ष में 1860.49 लाख रुपये प्राविधानित किया गया है। इस तरह अनुसूचित जनजाति के लिए विगत वर्ष में 236.27 लाख रुपये की व्यवस्था थी। इस वर्ष बढ़ाकर 287.38 लाख कर दी गयी है। इस तरह जो आश्रम पद्धति विद्यालय हैं, उत्तरांचल में करीब 20 विद्यालय हैं, जिनमें करीब 2193 छात्र लाभान्वित होते हैं। इसमें विगत वर्ष 399.35 लाख रुपये की व्यवस्था थी, इस वर्ष 420.86 लाख की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र–छात्राओं की तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा की दृष्टि से उत्तरांचल के पाइंस, खटीमा, गुलर भोज, चकरौता में इन अनुसूचित जातियों और जनजातियों

के छात्र–छात्राओं के लिए प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं, पॉलिटेक्निक चल रहे हैं जिनमें अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास की व्यवस्था है और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए निःशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था भी है।

गत वर्ष इस मद में 26.86 लाख की व्यवस्था थी, इस वर्ष 44.72 लाख की व्यवस्था की गयी है। इस तरह अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र में जो व्यवस्था वित्त की, उत्तरांचल सरकार ने की है, यह न केवल वृद्धि है, बल्कि एक ऐतिहासिक वृद्धि है, आज उत्तर प्रदेश में रहते हुए आजादी से लेकर ऐसी वृद्धि कभी नहीं हुई, इसी तरह पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं के संदर्भ में भी गत वर्ष 127 लाख रुपये की व्यवस्था थी, इस वर्ष 127 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है क्योंकि गत वर्ष से इस वर्ष के छात्र–छात्राओं के लिये कोई धनराशि उत्तर प्रदेश से निर्गत नहीं हो पायी है और उसे व्यय के लिये हम प्रयासरत हैं, लेकिन इस वर्ष 127 लाख की व्यवस्था की गयी है जिससे 24 हजार 706 छात्र पिछड़े वर्ग के लाभान्वित होंगे, इसी तरह विकलांग कल्याण में विगत वर्ष 7 लाख 13 हजार की व्यवस्था थी और इस वर्ष 9 लाख 68 हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है, गत वर्ष 762 विकलांग छात्र लाभान्वित यहां हुए थे, इस वर्ष 874 छात्र लाभान्वित होंगे।

इसी तरह अल्पसंख्यक कल्याण में भी गत वर्ष उत्तर प्रदेश से धनराशि अवमुक्त नहीं हो पायी है। उसके लिये हम प्रयासरत हैं, लेकिन इस वर्ष 140 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है और हमारा प्रयास है, इस प्रकार अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं में 40 लाख 919 छात्र–छात्राएं लाभान्वित होंगे, स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के जो गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्ति हैं, उनको गत वर्ष 288 लाख 72 हजार रुपये की व्यवस्था की गयी थी, जिसकी तुलना में इस वर्ष 410 लाख 34 हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन गत वर्ष 480 लाख 8 हजार की व्यवस्था की गयी थी, इस वर्ष 757 लाख 75 हजार की व्यवस्था की गयी है, जहां गत वर्ष वृद्धावस्था पेंशन में 65 हजार 148 लोग लाभान्वित हुए थे, इस वर्ष 85 हजार 290 व्यक्ति लाभान्वित होंगे। इसी तरह विकलांग योजनाओं में गत वर्ष 268 लाख 71 हजार की व्यवस्था थी, इस वर्ष 213 लाख 64 हजार की व्यवस्था की गयी है, यह धनराशि इस वर्ष भले ही कम है, लेकिन हमारा प्रयास अनुपूरक बजट में इसको और अधिक बढ़ाया जायेगा, इस तरह समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं में भी हर योजना में धनराशि बढ़ा दी गयी है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जनजाति के क्षेत्र में 48.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मान्यवर, विकलांग कल्याण की दृष्टि में गत वर्ष से अधिक वृद्धि इसमें हुई है, इसमें अभी और सप्लीमेंट्री आनी है। उसके बाद ही प्रतिशत हम बता पायेंगे। अल्पसंख्यक कल्याण में पिछले वर्ष 149.90 लाख रुपये की तुलना में इस वर्ष 218 लाख 73 हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है। जो गत वर्ष की तुलना में 45 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी तरह सैनिक कल्याण मद में भी 424 लाख 27 हजार की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, समाज का यह कमजोर वर्ग समाज के सहयोग की अपेक्षा करता है और समाज के सहयोग की अपेक्षा के साथ–साथ इस वर्ग को अभी बहुत अधिक सहानुभूति की आवश्यकता है और बहुत अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है लेकिन हमारी आर्थिक क्षमता जितना हमें अधिकार

देती है, उसको ध्यान में रखते हुए उत्तरांचल सरकार का लक्ष्य है कि सर्वाधिक प्रोत्साहन कमजोर वर्गों को दिया जायेगा। इसी दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, पिछड़ी जाति वित्त विकास निगम की व्यवस्था की जा रही है और इनको एक ही बहुउद्देश्यीय वित्त विकास निगम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया निर्माणाधीन है। यह निगम अस्तित्व में आने के पश्चात् हम बहुत जल्दी ही स्टेट स्तर पर एक चैलेनाइजिंग एजेन्सी हो जायेंगे और जिससे ये वर्ग सीधा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। इतने कम समय में यह सम्भव नहीं था।

मान्यवर, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जो अन्य योजनायें हैं, उनमें स्वतः रोजगार योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शहरी क्षेत्र में दुकान निर्माण प्रशिक्षण योजना, टंकण, आशुलिपि, प्रशिक्षण योजना, हथकरघा, बढ़ईगिरी प्रशिक्षण योजना, समाज कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली अन्य प्रमुख योजनाएं हैं—अशक्त एवं वृद्ध गृहों के संचालन, राजकीय विद्युत गृह का संचालन, अकिंचन मृतकों के दाह संस्कार हेतु अनुदान, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मातृत्व लाभ योजना, अनुसूचित जनजातियों के कल्याणकारी कार्यक्रमों के अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम, निःशुल्क शिक्षा, पूर्वदशम में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता, स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विद्यालयों के रख–रखाव हेतु सहायता। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना, जनजाति सहकारिता कार्यक्रम, जनजाति परियोजना प्राधिकरण, बुक्सा आदिम जनजाति उत्थान, राजि आदिम जनजाति उत्थान योजना, दशमोत्तर कक्षा में छात्रवृत्ति योजना, पिछड़े वर्ग के कल्याणकारी कार्यक्रम जिसमें पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना है, अनावर्ती सहायता है।

मान्यवर, पिछड़े वर्ग के कल्याणकारी कार्यक्रम जिसमें पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना है, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना है, अनुवर्ती सहायता है और पिछड़े वर्ग की अनावर्ती सहायता में गत वर्ष 108 लाख 90 हजार की तुलना में इस वर्ष 222 लाख 75 हजार की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह विकलांग कल्याण कार्यक्रम जिसमें विकलांग छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की योजना, विभिन्न श्रेणी के निराश्रित व्यक्तियों हेतु भरण–पोषण, विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, विकलांगों का पुनर्वास या दुकान निर्माण योजना, दक्ष विकलांग व्यक्तियों और उनके सेवायोजकों को राजकीय स्तर पर पुरस्कार योजना, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए विद्यालय का निर्माण, अल्पसंख्यकों के कल्याणकारी कार्यक्रम, अरबी, फारसी मदरसों की व्यवस्था, अल्पसंख्यकों के लिए विभाग द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रम, छात्रवृत्ति योजना, केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं जिनमें अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में महिला छात्रावास के निर्माण की योजना, अरबी, फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना, उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजना, ब्याज रहित ऋण योजना, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार योजना, परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना, पुलिस, पी0ए0सी0, सेना की भर्ती में प्रशिक्षण योजना, उत्तरांचल वक्फ विकास निगम बनाये जाने की योजना समाज कल्याण विभाग ने प्रस्तावित की है। हमारा प्रयास इस दिशा में और भी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का है। मेरा अनुरोध है कि आप इस दिशा में अपने

बहुमूल्य सुझावों से हमें लाभान्वित करेंगे। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि उद्यान के बजट का लिट्रेचर तो आया है, उसमें एक निवेदन करना चाहता हूं जो बजट भाषण छपा है, उसको संशोधित करना चाहूंगा। उसको मैंने रिफर भी नहीं किया है। उद्यान को चूंकि कृषि के मद में अनुदान संख्या–17 में, उसको शामिल किया गया है और उसकी तारीख 17 तय की गयी है, उस दिन ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री ईसम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "अनुदान संख्या–15, समाज कल्याण के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।"

मान्यवर, वैसे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रावधान है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा। इसमें प्रावधान दिया गया है कि "राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था का जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे और प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।" मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में यह बात कही गयी है और जहां तक समाज कल्याण के बजट की बात है, इसमें एक बात कही गयी है।

मान्यवर, इसमें कहा गया है कि 1991 की जनगणना के आधार पर उत्तरांचल में 72.81 प्रतिशत जनता साक्षर हुई और अनुसूचित जाति में साक्षरता केवल 34 प्रतिशत थी, उसमें 20 प्रतिशत साक्षरता महिलाओं में बतायी गयी है तो इससे यह साबित होता है कि अन्तर बहुत ज्यादा है। जहां तक बजट का प्राविधान है, बजट में भी अन्तर उसी आधार पर रख दिया है। बहुत ज्यादा रख दिया है, यदि इसका आंकलन दिया गया है, वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक में प्राविधान इसमें किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2001–2002 में आयोजनेत्तर मद में 3288.23 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ–साथ छात्रों को 24.55 लाख रुपये की धनराशि के संबंध में बात जो कही है। वर्ष 2001–2002 के संबंध में इसी तरह योजना के अन्तर्गत 356 लाख प्राविधान 5933 व्यक्तियों के लिए अनुदान के रूप में किया गया है। इसके साथ–साथ 2001–2002 में प्रस्तावित 20 लाख रुपये की व्यवस्था 571 व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित की गयी है। इसके साथ–साथ 2001–2002 में, आय–व्ययक में, 10.1 लाख का प्रस्ताव मार्जिन मनी के रूप में रखा गया है। इसके साथ–साथ आगे कहा गया है कि जनजाति के विकास की योजनाओं के संबंध में 79 लाख का प्राविधान रखा गया है। इस प्रकार बोक्सा जनजाति के आर्थिक विकास के लिए 700 लाख का प्राविधान इसमें रखा गया है। मान्यवर, यदि इसका अध्ययन करें तो ये टोटल बैठता है लगभग 69 करोड़ 47 लाख 12 हजार रुपये, यह कितनी जनसंख्या पर बैठता है, यह बैठता है 33 लाख जनसंख्या उत्तरांचल में जो दर्शायी गयी है तो सीधे–सीधे साबित होता है कि बजट समाज कल्याणकारी योजना के

तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज और पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत कम प्राविधान है। अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत कम प्राविधान है तो मान्यवर, बजट को देखने से ऐसा लगता है, इसमें केवल सही मात्रा में ग्राम समाज को मिलेगा 69.47 करोड़ और यही व्यवस्था बजट में भी है जिसे मा0 मंत्री जी ने भी बताया, बुक बैंक की स्थापना अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को मैरिट में ऊंचा किये जाने की पुरोनिधानित योजना इसके साथ–साथ दशमोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अन्य शैक्षिक सुविधा, अनुसूचित जातियों के लिए। इसके साथ–साथ एक बात और कही गयी है, आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन। आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन की जो बात कही गयी है, यह हमारी समझ से बाहर है। कौन सा संचालन होगा।

इसके साथ–साथ अनुसूचित जाति के छात्रावासों के निर्माण। साथ ही इसमें आगे कही गयी है, एक बात और है अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन। तो मान्यवर, जहां तक समाज के कमजोर वर्गों के हित की बात है तो मैं यहां से शुरू करता हूं ये समय–समय पर वैसे संशोधित होते रहते हैं। अधिनियम, 1981 में बना। संशोधन हुआ, ऐक्ट बना लेकिन जहां तक ऐक्ट की बात है, ऐक्ट बनते रहते हैं, चलते रहते हैं, जल्दी ऐक्ट पर एक्शन न होना, ये बुरी बात है, ऐक्ट बन जाता है यदि उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है ये बुरी बात है।

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक कमजोर वर्ग के हित की बात है। मुझे याद है, 1995 में जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे तो बहन कुमारी मायावती जी ने बजट का 21.4 प्रतिशत केवल अनुसूचित जाति के हित में प्राविधान रखा था और उसमें यह व्यवस्था दी थी कि प्रत्येक जिले में समाज कल्याण अधिकारी प्रत्येक जिले का नोडल अधिकारी होगा और वह जिले की रिपोर्ट सीधे शासन को देगा, यह प्राविधान रखा। उस योजना का अपना फायदा हुआ कि बीच के बिचौलिये बन्द हो गये और उस टाइम पर माननीय प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी भारत सरकार, श्रम कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी, भारत सरकार, योजना मंत्री श्री बलराम जाखड़ जी, तीनों ने बहन कुमारी मायावती जी को उस समय मुख्यमंत्री थी, एक सामूहिक पत्र लिखा और उसमें यह बात कही गयी थी कि उत्तर प्रदेश में आपने जो ट्रायल किया है, नोडल अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारियों को बढ़ाया, इसका फायदा जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान्ट है। प्लान्ट के तहत या समाज के कमजोर वर्गों के हित में जो योजनाएं बनायी गयी तो उसका फायदा समाज को मिला। तो इसलिए हमारी तरफ से आप को बहुत–बहुत बधाई और हमारी कोशिश यह रहेगी कि हम इस देश में जितने भी राज्य हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक बैठक बुलायेंगे और सबको यह सुझाव देंगे कि इसी आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर करने के लिए काम किया जायेगा, यह बात माननीय नरसिंह राव जी ने कही, श्री सीताराम केसरी जी ने कही, श्री बलराम जाखड़ जी ने कही, यह सामूहिक पत्र के माध्यम से कही गयी और उसका इतना फायदा हुआ समाज को, उसकी पूरे समाज के अन्दर सराहना हुई तो मेरा एक सुझाव यह है कि उत्तरांचल में इस तरह का ट्रायल कर लिया जाये।

वैसे तो बजट में कम प्राविधान है, लेकिन फिर भी इस तरह के कमजोर वर्गों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का प्राविधान कर दिया जाय, इससे यह फायदा भी हो सकता है। अभी इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत होता क्या है कि बिचौलिये बीच में 5000

दलाली के रूप में वसूल करते हैं, तो जो सही पात्र व्यक्ति हैं, उस योजना का उनको फायदा नहीं मिल पाता है। होता यह है, लोन देने का जो भी इस समाज कल्याण के माध्यम से लोन प्रबन्ध में प्राविधान रखा गया है, उसमें इस तरह के घोटाले होते हैं, यदि नोडल अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी होगा तो सीधे-सीधे उसका लिंक सरकार से होगा। यह व्यवस्था ठीक हो सकती है, लोन की व्यवस्था ठीक हो सकती है। दूसरा मान्यवर यह है कि हमने देखा है, महसूस किया है कि जैसे बजट में यह प्राविधान दिया है कि कमजोर वर्गों से सम्बन्धित लड़कियों की शादी में 10 हजार का प्राविधान रखा गया है, लेकिन नोडल अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाये। शासन की तरफ से तो सही व्यक्ति तक उसका फायदा पहुंच सकता है, इसके साथ-साथ इसमें प्राविधान दिया है कि कमजोर वर्ग से संबंधित जो बीमारी से पीड़ित हैं, उनको लाभ देने के लिए बात कही गयी है, 2000 रुपये का प्राविधान रखा गया है तो इसका भी फायदा नोडल अधिकारी के माध्यम से समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से हो सकता है।

मान्यवर, छात्रों के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं, वैसे तो छात्रों की व्यवस्था के बारे में मुझे सदन में यह बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। एक बार जब सर सैय्यद से खुश होकर अंग्रेजों ने कहा कि "मांगिये, आपको क्या मांगना है।" तो सर सैय्यद साहब ने अलीगढ़ युनिवर्सिटी मांगी थी, जो आज इस देश में मौजूद है। जब उनसे यह बात पूछी गयी कि आपने न धन मांगा और न रियासत, तो उन्होंने यह बात कही कि मैं अपने देश में शिक्षा का प्रसार करना चाहता हूं, जिस समाज के अन्दर शिक्षा का अभाव होता है, वह समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। जब बजट में अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले लोग 34 प्रतिशत बताये गये हैं तो उनकी शिक्षा का प्राविधान कैसे हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक जिले में यदि कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर उठाना चाहते हैं, तो प्रत्येक जिले में, प्रत्येक कालेज में उनके छात्रावास सुनिश्चित करें और प्रत्येक विद्यालय में उनको प्रोत्साहन दें। यदि यह व्यवस्था शासन की तरफ से हो जाये तो अच्छा होगा। दूसरी बात, एक जब मैं ऊधमसिंह नगर गया, तो मुझे बुक्सा, थारू जनजाति में जाने का मौका मिला। मुझे यह बताया गया कि शाम को ये मस्त हो जाते हैं, तो मैं जायजा लेने शाम को गया तो मैंने देखा कि वास्तव में एक बहुत बुरी आदत है, पीने की और उसका कारण है, अशिक्षा। मेरा कहने का मकसद यह है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज, इनकी शिक्षा के बारे में सरकार को ज्यादा ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और बजट में छात्रों के संबंध में जो प्राविधान किया गया है, अच्छा होता कि बजट में यह प्राविधान होता कि 1991 की जनगणना के आधार पर कमजोर वर्गों में जो साक्षरता का प्रतिशत 34 है, हमारा लक्ष्य आने वाले एक या दो साल में 50 या 55 प्रतिशत करने का होना चाहिए। लेकिन इस तरह का कोई लक्ष्य इस बजट में नहीं रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक लक्ष्य बनाकर चला जाए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष बजट का प्राविधान किया जाये।

मान्यवर, जहां तक रोजगार सम्बन्धी बातें, वैसे तो मैंने एक संकल्प प्रस्तुत किया है। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा निवेदन यह है कि जहां पर इस तरह की व्यवस्था है कि समय–समय पर उनको एक ऐसी व्यवस्था दी जाये, ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को गाइड किया जाये। इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार करे। जहां तक एक आदत है समाज के अन्दर अशिक्षित लोगों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग की बस्तियों के पास शराब के ठेके नहीं होने चाहिए। सरकार चाहे तो स्कूल आदि खुलवा दे। मान्यवर, तो मैंने इस कटौती के प्रस्ताव में अपने विचार व्यक्त किये हैं। मुझे आशा है कि आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया जायेगा, मेरा जो मत है, उस पर विचार किया जायेगा।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, माननीय इसम सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, समाज कल्याण विभाग का लक्ष्य यह है, समाज के उपेक्षित और हजारों–हजार सालों से एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं, जिन्हें रोटी, कपड़ा और मकान भी मुहैया नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ये योजनायें बनायें। मान्यवर, इस मेरे हरिद्वार जनपद में गत वर्ष अल्पसंख्यक समाज के जो छात्र थे, उनको छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया और जिनकी संख्या माननीय मंत्री जी, लगभग 22–23 हजार है। मान्यवर, इस नवसृजित उत्तरांचल राज्य का सृजन 9 नवम्बर को हुआ था, आज तक उन बच्चों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ। यह साबित करता है कि कितना संवेदनशील आप इस संबंध में हैं। छात्रवृत्ति का भुगतान न होने से छात्र और उनके अभिभावक परेशान हैं। मान्यवर, इसी तरह जो नवयुवक बेरोजगार हैं। इस प्रकार के मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 250 प्रार्थना–पत्र लम्बित हैं, जिला कल्याण अधिकारी के यहां, उनका भी कोई कार्य आज तक नहीं हुआ है।

मान्यवर, बेरोजगार को कोई इस प्रकार के धन की स्वीकृति नहीं हुई, जिससे वे अपना रोजगार चला सकें और दुकान या अन्य संस्थान खोल सकते थे, जिससे वे अपने जीवनयापन कर सकते थे। लेकिन बेरोजगार युवकों के प्रति भी यह सरकार संवेदनशील नहीं है। इस तरह इन्दिरा आवास योजना है उसके संदर्भ में कहना चाहता हूं कि इसमें लाभार्थियों को पूरा पैसा नहीं मिल पाता, बिचौलिये यदि 20 हजार का प्राविधान है तो मुश्किल से लाभार्थियों को 10–15 या 14 हजार ही मिलता है। मैं चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस विभाग में, वह समाप्त होना चाहिए। इसी प्रकार से 10 हजार रुपये शादी के लिए मिलते हैं, दो हजार रुपये मेडिकल एड के लिए मिलते हैं, वह भी लाभार्थियों को नहीं मिल पाता। मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं, पहले छात्रवृत्ति में कौन पात्र होगा, उसके अभिभावक की आय रखी गयी थी, वह बहुत कम है, आज मंहगाई बहुत बढ़ गयी है। मैं चाहूंगा कि अभिभावकों की आय जो उसमें रखी है, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में बढ़ा दें क्योंकि आज 5 हजार, 4 हजार, 2 हजार रुपये इनकम जो है, निर्धारित है, आज अभिभावकों की आय सीमा है, उसको बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। उनको इस तरह का लाभ मान्यवर, नहीं मिल पा रहा है।

आपने विकलांग और दूसरी छात्रों की बात कही है तो उसमें धन का आवंटन जो किया गया है उसमें बढ़ोत्तरी नगण्य है। आपने कहा पिछले साल की तुलना में हमने वृद्धि की है लेकिन पिछले साल की तुलना में जो आपका उत्तरांचल विकास का, जो पिछले साल का बजट रखा था, उसमें हरिद्वार, मान्यवर, शामिल नहीं था। हरिद्वार जनपद की जो जनसंख्या है, वह 15 लाख है तो उसी संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि जब आप अपना उत्तर भाषण पढ़ें तो वहां पर मैं समझता हूं कि उस अनुपात में वृद्धि आपने विभिन्न मदों में नहीं की है। जो अपेक्षित वृद्धि थी, वह ज्यादा होनी चाहिए थी और इस तरह से जो हमारा यह समाज है, उसका एक तरह से लाभ नहीं पायेगा, वृद्धि और अधिक होनी चाहिए। आपने कहा यह आश्रम पद्धति विद्यालय चल रहे हैं, वह किसी भी विद्यालय में आप जाकर देखें, कितनी वहां व्यवस्थायें खराब हैं। वहां पर उनके पठन–पाठन की, उनके रहने सहने की, उनके खाने–पीने की, उनकी समुचित व्यवस्था, मान्यवर, नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप स्वयं देखें कोई जनप्रतिनिधि देखे, किसी अधिकारी से निरीक्षण करा लीजिए, उसकी रिपोर्ट, उसकी आख्या पर वहां की स्थिति परिस्थिति है बल्कि एक तरह से संतोषजनक है। मैं कहना चाहता हूं, आप स्वयं उनको देखिये और विद्यालयों में जो इस तरह की आश्रम पद्धति विद्यालय हैं, उन पद्धतियों के लिए बहुत ही आवश्यक यह है कि उनमें सुधार नहीं हुआ तो उनका कोई औचित्य नहीं है, इतना पैसा उन पर खर्च होता है, आपने इस तरह से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 140 लाख रुपये का आवंटन किया है। पिछले साल अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की और पिछड़े वर्ग के समुदाय के छात्रों की मान्यवर, उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है। तो इस बजट में व्यवस्था रखें। उ0 प्र0 वह पैसा देगा या नहीं देगा तो उनका हक होता है, उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान तो मान्यवर, होना चाहिए। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष पिछले वर्ष का जो भुगतान नहीं हुआ है, उसका धन भी आपने बजट में आवंटन किया है या नहीं किया है।

तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इसम सिंह जी का जो कटौती का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय इसम सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने समाज कल्याण से संबंधित जो अनुदान मांगें आज प्रस्तुत की, उससे श्रीमन् 2–4 चीजें निकल करके आती हैं, वह जनजाति कल्याण का प्रश्न हो, अनुसूचित जातियों के कल्याण का प्रश्न हो, पिछड़ी जातियों के कल्याण का प्रश्न हो, या अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये चलायी जा रही योजना का प्रश्न हो, जो सोशल सेक्टर की योजनाएं हैं। श्रीमन्, इसमें एक बात बहुत निराशाजनक स्थिति पूर्ववर्ती प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली और उस स्थिति में माननीय मंत्री के बजट भाषण सुनने के बाद बहुत ज्यादा परिवर्तन का आभास यहां पर भी नहीं है, वैसे तो हम आपसे कह रहे थे कि जो सरकार के विगत छः माह के अन्दर योजनाएं रहीं, परफारमेंस बजट है, उसका बहुत ज्यादा अध्ययन का वक्त नहीं मिल पाया, क्योंकि लिटरेचर सर्कुलेट नहीं हो पाया, इसमें 2–4 बातों को कहकर श्रीमन्, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान्ट योजना हो या ट्राइबल

प्लान्ट की योजना हो, आमतौर से जो तरीका दूसरे विभागों की योजनाओं के बारे में संसाधनों के अभाव में तर्क दिये जाते हैं, वही तर्क स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान्ट या ट्राइबल सब-प्लान की योजनाओं के बारे में दिये जाते हैं। मैं इस तर्क से कदाचित सहमत इसलिये नहीं हूं कि अधिकांश इन वर्गों के उत्थान की जो योजना है, वह भारत सरकार और प्रदेश सरकारों के बीच में कण्ट्रिब्यूटेड बेसिस पर चलती हैं तो अधिकांश योजनाओं में 50 फीसदी भारत सरकार का और 50 फीसदी राज्य सरकार को योगदान करना होता है। चूंकि इस क्षेत्र की योजनाओं से मैं काफी व्यक्तिगत तौर से परिचित रहा हूं, चाहे वह भारत सरकार द्वारा स्पान्सर्ड स्कीम हो या दूसरी सामान्य योजनाएं यह अनुभव है, श्रीमन् विशेषरूप से उत्तरी भारत के राज्यों में भारत सरकार द्वारा जो 50 फीसदी पैसा दिया जाता है, उसका सदुपयोग भी नहीं किया जाता है, वह सदुपयोग क्यों नहीं हो पाता है, उसका कारण है, भारत सरकार का यह कहना है कि जिन वर्गों की तरक्की के लिए आप जितने का प्लान बनाकर लायें, उतना प्लान अनुमोदित करेंगे, लेकिन उसके साथ शर्त है कि आप जो भी पैसा मांगें उसका 50 फीसदी पैसा स्टेट को कण्ट्रिब्यूट करना होगा। होता यह है कि जो दक्षिण के राज्य हैं, वह भरपूर भारत सरकार की उदारता का सदुपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल तो अभी बना है, बिहार, यह नार्दर्न इण्डिया का स्टेट है, वह ज्यादातर अपना अंशदान उसमें कण्ट्रिब्यूट नहीं कर पाता। इसलिए भारत सरकार के पैसे से भी यह वंचित रह जाता है, माननीय मंत्री जी, आपसे यह अनुरोध है, यह सुझाव है कि आप बहुत दरियादिली के साथ सभी स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, ट्राईबल प्लान की योजनाएं बनायें इसमें आपका प्रयास होगा तो निश्चित रूप से पैसा इसमें उपलब्ध होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी बहुत सारी योजनाओं का आपने जिक्र किया, आदरणीय इराम सिंह जी ने उस योजना को रेखांकित किया, कई तरीके से इन वर्गों के उत्थान की बात करते हैं, आपने कहा कुछ पिछड़े क्षेत्रों में आप आश्रम पद्धति विद्यालय समाज कल्याण विभाग और जनजाति विभाग द्वारा जो संचालित होते हैं, उसको संचालित किया जाता है। यह आवासीय विद्यालय हैं, जिनके अन्दर इन उपेक्षित लोगों के बीच पढ़ते हैं, उनको वहां पर वस्त्र, भोजन से लेकर के समुचित व्यवस्था का वितरण उस व्यवस्था के अन्दर है।

मान्यवर, यह भी अपने आप में सत्य है कि आश्रम पद्धति के विद्यालयों के अन्दर जो स्थिति है, अधिकांश समय वो बहुत डिप्लोरेबल कंडीशन में हैं और एक तरीके से इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, वहां पर इन वर्ग के बच्चों के साथ होता है, संसाधनों के अभाव की वजह से, इंतजामात के अभाव की वजह से।

दूसरा, श्रीमन्, कुछ योजनायें जैसे, प्री एग्जैमिनेशन कोचिंग का, वोकेशनल ट्रेनिंग का, कैरियर काउन्सिलिंग के लिए इन वर्गों के लिये योजनाएं चलाने पर भारत सरकार विशेष रूप से जोर देती है। मुझे अफसोस है कि मेरे सामने जो नई मदों की पुस्तक है, जो ऐसेन्डी उत्तरांचल सरकार ने इस बार प्रस्तुत की, माननीय मंत्री जी आपके सम्मुख भी होगा। दूसरे सप्लिमेन्ट्री में आप ले आयेंगे, वो तो भविष्य की बात है लेकिन अभी कोई भी नयी मांगें इसमें प्रस्तुत नहीं की गयी। इससे निश्चित रूप से यह आभास होता है कि अभी भी जिस संवेदनशीलता के साथ इस सेक्टर में काम होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब जबकि उत्तरांचल प्रदेश अलग बन गया, उत्तर प्रदेश के अन्दर जनजातियों की, अनुसूचित जातियों की, पिछड़े वर्गों की, अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है, उसकी स्टेटिस्टिकल

फीगर तो आपके पास हैं, विशेष रूप से ओ0बी0सी0 के मामले में, जब प्रदेश के अन्दर 37 परसेंट पॉपुलेशन की बात करते थे, माइनोंरिटीज के बहुत साफ सुथरे फीगर वैसे नहीं होंगे, लेकिन एस0सी0 और एस0टी0 के बाकायदा सेंसस फीगर आपके पास हैं। आज यह भी एक परिस्थिति है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जितनी भी जनजातियां थी, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्राविधानों के मुताबिक वो सारी की सारी उत्तरांचल की जनजातियां मान ली गयी। अर्थात् उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या शून्य समझी गयी। लिहाजा उत्तर प्रदेश की तुलना में उत्तरांचल में ट्राईबल पॉपुलेशन का जो कन्सट्रक्शन है, वो काफी ज्यादा है और लगभग ऐसी ही स्थिति अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों की है। श्रीमन्, हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि दूसरे तरीके से जो आप इन वर्गों में शिक्षा के प्रचार–प्रसार की बात करते हैं, जिसको विशेष रूप से इसम सिंह जी ने रेखांकित किया। आश्रम पद्धति के विद्यालयों के अलावा दूसरे विद्यालयों में जहां इन वर्गों के छात्र पढ़ते हैं, उनको सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप तो मिलती ही है। उस स्कॉलरशिप को दो चरणों में बांटा गया है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पूरी तरह से शत–प्रतिशत भारत सरकार की तरफ से दी जाती है लेकिन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जैसा मैंने कहा, कण्ट्रिब्यूशन स्टेट गवर्नमेन्ट को भी देना है, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को भी। आपके संज्ञान में होगा कि उत्तरांचल के अन्दर जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। यहीं, नहीं मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे रहा हूं।

मान्यवर, डी0ए0वी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देहरादून के अन्दर अकेले जनजाति वर्ग के छात्रों को जो आप फ्रीशिप देते हैं, फीस में जो छूट देते हैं उसके लिए विद्यालय को जो क्षतिपूर्ति करते हैं, उसे एवज में सरकार को उस विद्यालय को उतना पैसा रिम्बर्स करना पड़ता है। श्रीमन् आपको आश्चर्य होगा यह सुनकर कि अकेले डी0ए0वी0 पोस्ट–ग्रेजुएट कालेज के अन्दर जनजाति छात्रों की फीस के एवज में सरकार की तरफ से 98 लाख रुपया बकाया है और आपने प्रावधान किया कितना वह आपके सामने है। यदि यह सारा पैसा एक अकेले डी0ए0वी0 कालेज की क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाना है उसे देदें तो पूरे उत्तरांचल की बात कौन कहे अकेले डी0ए0वी0 कालेज, देहरादून को जो क्षतिपूर्ति की जानी है, तो उतना भी पैसा आपके पास नहीं है।

दूसरे हम निरन्तर इस बात के लिए अनुरोध करते आये हैं कि इन वर्गों के छात्रों को जो काम्पीटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनकी तैयारी के लिए कोचिंग सेन्टर्स की सुविधा उ0प्र0 में भी है, भारत सरकार ने और दूसरे स्थानों पर भी दे रखी है। हम तो निरन्तर यहां पर कहते आये हैं कि रुड़की जैसे विश्वविद्यालय में जो अब आई0आई0टी0 होने जा रहा है, जहां पर एक थोड़ा एक्सपोजर भी मिल सकेगा, एक वातावरण भी हो उसके अन्दर प्री-एग्जामिनेशन कोचिंग सेन्टर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर या कैरियर काउन्सलिंग के नाम से जो प्रशिक्षण इस वर्ग के छात्रों को दिया जाना है ताकि वह कान्फीडेन्श के साथ, एक आत्म विश्वास के साथ भविष्य की आने वाली चुनौतियों के लिए अपने आपको तैयार कर सकें। मान्यवर, ये कुछ सवाल जेहन में थे जो श्रीमन् मैंने आपके सामने रखे। अभी उत्तरांचल के अन्दर जितने भी आपके पास आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं, वे सारे के सारे विद्यालय मैट्रिक स्तर के हैं। मेरा इसमें आपसे आग्रह है कि उ0 प्र0 में रहते हुए भी बहुत

सारे विद्यालय 10+2 स्टैण्डर्ड के थे, यहां पर जो मैट्रिक स्तर के आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं उन सब विद्यालयों को जो अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा देने वाले हैं उन सभी विद्यालयों को 10+2 स्टैण्डर्ड का किया जाये और साथ ही साथ बहुत सारे मदरसों को जिनकी प्राथमिक शिक्षा आमतौर पर दर्जा 5 और 8 के स्तर के विद्यालय हैं, जिनको हमारे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और वे अपनी दीनीतालीम के साथ-साथ जो फॉरमल एजूकेशन है उसमें भी वे काम करते हैं। जैसा कि माननीय राम सिंह सैनी जी ने, माननीय ईसम सिंह जी ने कहा कि इन अल्पसंख्यकों के अन्दर जो शिक्षा का अभाव है तो उनके बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इन अरबी मदरसों को स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन विगत कई वर्षों से इनको पैसा नहीं मिला, ये अरबी मदरसे बहुत खराब हालत में हैं, यहां के बच्चे अपना पठन-पाठन जारी रखने में असमर्थ हैं। विशेष रूप से एक कार्य योजना इस बात के लिए बनायें कि जो ये उपेक्षित और वंचित तबके के लोग हैं, इनको एक अवसर प्रदान करके आज के समय में जब हम मानते हैं कि किसी भी समाज के किसी भी वर्ग को यदि हम तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप शिक्षा की दृष्टि से उन्हें ताकतवर बनायें, सुशिक्षित बनायें तो निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा आपसे अनुरोध है कि नये सिरे से आप कार्यक्रमों का निर्धारण करें, घिसे-पिटे कार्यक्रमों की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है जो हम वहां पर चलाते आये हैं।

मान्यवर, हमारा यह नया राज्य है। आज उत्तरांचल राज्य को स्पेशल कैटेगिरी स्टेट का दर्जा मिला है मैं रेखांकित करना चाहता हूं इस तथ्य को कि उसे विशेष श्रेणी का दर्जा मिलना चाहिए। पीछे एक महत्वपूर्ण इन्टीमेटर, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है इस प्रदेश के अन्दर पिछड़ी जातियों और जनजातियों के अल्पसंख्यकों के समाज के कमजोर वर्ग की जो आबादी है उसको दृष्टिगत रखते हुए ही इस राज्य को आज स्पेशल केटेगिरी स्टेट का दर्जा मिला है। बार्डर एरिया होते हुए भी बार्डर एरिया का सवाल है मैं बार्डर एरिया इसलिए कह रहा हूं श्रीमन् भारत सरकार ने उन बार्डर एरिया को भी समाज कल्याण से संबंधित योजना के संचालन में कई योजनायें स्टेट्स एक्वाइड किया है। जब जनजाति और अनुसूचित जाति समुदाय के वर्गों को एक्वाइड किया है इसलिए श्रीमन् मैं यह कहूंगा आप कम से कम 5 वर्ष के लिए एक स्पेशल पैकेज सोशल सैक्टर का बनाकर भारत सरकार के पास भेजें। उसको परसू करें हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जरूर इस पर गौर करेगी मा0 मुख्यमंत्री जी प्रयास करेंगे, आपकी सरकार प्रयास करेगी निश्चित रूप से आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके दल की सरकार भी है इस पैकेज को आप अनुमोदित कराकर इन वर्गों में एक आशातीत परिवर्तन आप ला सकते हैं इसी के साथ मैं आपको पुनः शुभकामनायें देता हूं और मान्यवर, मा0 इसम सिंह जी के कटौती प्रस्ताव पर इस रूप में बल देता हूं कि आज यह कटौती का प्रस्ताव केवल सुझाव देना मात्र है आप इसके आकार में, योजनाओं के आकार में बढ़ोत्तरी करें इसके जो क्वांटम हैं, क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों में परिवर्तन लायें सुधार लायें इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय इसम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूं। मान्यवर, बहुत विस्तार में मा0 मुन्ना सिंह चौहान जी, मा0 सैनी जी ने कहा, इस विभाग के अन्तर्गत आश्रम पद्धति इंस्टीट्यूशन चलते हैं और उन्हें देखने का मुझे अवसर मिला उनकी दुर्दशा है, उन्हें शिक्षा विभाग का वेतन मिलता है कार्यरत शिक्षकों को और समाज कल्याण में भी उनकी वेतनवृद्धि पदोन्नति की कोई उचित व्यवस्था नहीं है कि हमें शिक्षक माना गया है तो हमें शिक्षा विभाग का वेतन दिया जाय। मान्यवर, जो विषमता है जिस वृद्धि के लिए इन विद्यालयों की स्थापना की गयी थी वह इस हीनभावना से ग्रसित होकर इन संस्थानों को चलायें। जहां मुफ्त विद्यार्थियों की व्यवस्था की जाय। मैं इस ओर मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगी उ0प्र0 बड़ा प्रदेश था वहां केवल 5 इंस्टीट्यूशन हैं इन 5 इंस्टीट्यूट में जो रहने की, भवन की व्यवस्था है, उसको देखने की आप कृपा करेंगे और उसके अलावा आप इन शिक्षकों के वेतनमान में पोरेटी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रही हूं, इसके अलावा मान्यवर, संख्या में छात्रवृत्ति अनुमन्य है। छात्रवृत्ति का वितरण सही हो और पात्र को मिले, यह अनिवार्यता हम देखें और इस समय आपका जो बजट प्राविधान है उसमें आपने अल्पसंख्यक और एस0सी0, एस0टी0 इनके लिए और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए छात्रवृत्ति स्वीकार की है उनके वितरण की व्यवस्था में जो मैं अनुभव कर रही हूं, लगता है वह सब खाते नहीं खुले। उन्हें बकायदा खाते खोलकर डाइरेक्ट जमा करने के निर्देश दिये जाने चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि यह निर्देश क्यों नहीं दिये गये इस प्रकार आपत्ति होती है जो लोग ये प्रयास करते हैं डाकखाने में कोई न कोई खाते खुलवाने पड़ते हैं। तो मेरा यह भी अनुरोध है कि छात्रवृत्ति उचित पात्र को मिले कभी–कभी किसी कारण से भी बहुत सारे बच्चे विद्यालय में पढ़ने चले आते हैं तो उन्हें साक्षरता भी मिलती है और छात्रवृत्ति सही ढंग से उन्हें वितरित हो। तमाम प्रकरण ऐसे आये हैं कि छात्रवृत्ति नहीं मिली। अगर पैसा नहीं पहुंचा, उसके लिए प्रयास नहीं किये गये तो मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और मान्यवर सही है यह योजना भारत सरकार के द्वारा जो इन योजनाओं में लाभ मिलता है उस लाभ के लिए हमारी कार्य योजनायें प्रभावी होंगी तो आज भी मात्र 20 प्रतिशत महिलाओं में साक्षरता है। तो वह वर्ग जिसको आवश्कता है परिवार कल्याण से जुड़ा हुआ है उनके उत्थान से भी जुड़ा है और यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, जिसे कम महत्त्व दिया जाता है। तो अगर शिक्षा होगी और साक्षरता होगी और उसके लिए व्यवस्था होगी तो मैं समझती हूं इस वर्ग का कल्याण होगा। तो मान्यवर, शिक्षा की ओर 20 प्रतिशत महिला साक्षरता जो कम है यह चिन्ता का विषय है पुरुषों की भी शिक्षा कम है। तो इस शिक्षा के प्रति भी क्या कार्य योजना अपना सकते हैं इसके बारे में भी आप जरूर गम्भीरता से विचार करें इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूं।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री इसम सिंह द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, मान्यवर, और कुछ जवाब माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं, जैसे अभी माननीय इन्दिरा जी कह रहीं थी कि मेरे संज्ञान में बहुत से प्रकरण माननीय मंत्री जी ऐसे–ऐसे आये, हम यह चर्चा तो कर रहे हैं कि छात्रवृत्ति नहीं मिली, लेकिन मान्यवर, यह

जो बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के स्तर पर और जहां छात्रवृत्ति मिलनी है वहां उनकी जो सांठ-गांठ है और छात्रवृत्ति के कई प्रकरण मेरी संज्ञान में ऐसे हैं जो छात्र हैं नहीं, या अगली कक्षाओं में चले गये या पढ़ना छोड़ दिया और छात्रवृत्ति उनकी निकाली जा रही है। मान्यवर, यह भी प्रकरण मेरी संज्ञान में है कि छात्रवृत्ति के पैसे से अपने स्कूलों के भवन बना लिये गये, छात्रवृत्ति फर्जी निकाल ली गयी और जिन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए थी उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। प्रश्न यह उठता है कि इतना धन केन्द्र सरकार भी देती है, प्रदेश सरकार भी देती है, लेकिन उस धन के लगने के बावजूद भी जिन वर्गों का कल्याण कार्य हम चाहते हैं, वह कल्याण नहीं हो पा रहा है। अपेक्षित मात्रा में परिणाम हमको नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह गम्भीर चिन्ता का विषय भी है। तो मान्यवर, यह जो हमारा सार्वजनिक धन शासन के पास रहता हैं इसका दुरूपयोग भी देश की जनता के साथ विश्वासघात है, तो इसमें मेरा यह अनुरोध है कि हमें इसकी जांच करवायें और यह सुनिश्चित करें कि जिस उद्देश्य के लिए धन है वह उसी उद्देश्य के लिये खर्च हो।

दूसरी बात मैं खासतौर से कहना चाहता हूं, जिसकी तरफ माननीय इसम सिंह जी ने संकेत किया है कि हमारे जो यह विद्यालय हैं वो जहां कन्सनट्रेशन अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित जनजातियों को, अल्पसंख्यकों का है, ऐसे स्थानों पर अधिक खोलने का काम किया जाय। अभी जैसा इन्दिरा जी बता रही थी कि कुल 20 प्रतिशत महिलायें साक्षर हैं और हम यह बजट भाषण पढ़ रहे थे इसमें लिखा है कि अल्पसंख्यकों के लिए जो कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, 2 हॉस्टल का प्राविधान किया गया है, विद्यालय का प्राविधान करें, तो कुछ लाभ भी होगा, केवल हॉस्टल के प्राविधानों से लाभ होने वाला नहीं है और हम इसके लिए भी प्रेरित करें कि जो अल्पसंख्यक अपने कुछ ट्रस्ट बनाकर निजी तौर पर कन्याओं के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए विद्यालय शुरू करना चाहते हैं, उनको हम उदार भाव से शासकीय अनुदान देंगे। तो मैं समझता हूं कि हम स्थिति में बहुत सुधार ला सकते हैं। तथा जो हमारे अल्पसंख्यक अरबी मदरसे चल रहे हैं उनके माध्यम से आधुनिक शिक्षा दें, जैसा आन्ध्र प्रदेश में हुआ। हमारे आन्ध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक विद्यालय को एक कम्प्यूटर भी देंगे, साइंस का जो टीचर होगा उसको तन्ख्वाह भी देंगे और जो विद्यालय कम्प्यूटर की शिक्षा में मदद नहीं देंगे तो उनका शासन से अनुदान भी बन्द कर देंगे/तो इस प्रकार की शर्त लगाकर हम उनको भी आधुनिक करें, जिससे आधुनिकता के संदर्भ में जो धर्मांधता है, उनको वे छोड़ सकें और समाज में समरसता का वातारण शिक्षा के माध्यम से बना सकें, यह काम भी, मैं चाहता हूं कि हमारे कल्याण विभाग को करना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन्दिरा आवास के माध्यम से यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को या और जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको हम आवास उपलब्ध करा सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि नगरों में भी इस व्यवस्था को प्रारम्भ करें क्यों गांव से लोग रोजगार की तलाश में नगरों की तरफ बराबर आते हैं और अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, यहां रहते हैं वहां उनकी कंडीशन बहुत खराब है।

मान्यवर, हम इस पर भी विचार कर सकेंगे कि शहरी क्षेत्रों में उनको कैसे आवास दे पायें और उनके रहने-सहने की स्थिति हम सुधार सकें। तो यह भी मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें हम सूडा को भी साथ लगा सकते हैं, जो हमारा सहयोग करेगा। यही

स्थिति है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, उत्तर प्रदेश में कितने इसके घोटाले पकड़े गये, होता क्या है कोई इसमें मरता नहीं है। तो लोग मरते भी हैं, नये लोग भी आते हैं, जो योग्य होते हैं। मान्यवर, इसको भी देखने का काम किया जाये कि जो पेंशन मिलती है वह सही समय पर उनको मिलती है कि नहीं मिलती, ऐसा तो नहीं है कि लोग दिवंगत भी हो गये।

मान्यवर, विभाग के लोग मिली भगत करके, बैंक के लोग मिली भगत करके, स्कैण्डल के माध्यम से उन पैसों को निकाल लेते हैं और पेंशन में जो नये अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कैम्प लगाये जाएं और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ उनका चयन हो और निश्चित प्रतिशत भी रख लें, इस साल हमको इतना ही देना है। जो हमारा पिछले साल था, वहीं आज है। इस पर भी माननीय मंत्री जी विचार करें। दूसरी सबसे बड़ी समस्या के बारे में मैं कहना चाहता हूं, भिक्षुक गृह, हमारे प्रदेश में 4 धाम भी है और हरिद्वार सहित कई अन्य तीर्थ स्थान भी हैं। वहां की स्थिति का अवलोकन करें तो आज यह स्थिति है कि भिखारियों के ग्रुप बने हुए हैं और यदि बाहर से कोई आदमी दान देने के लिए आता है, तो वो जोर-जबरदस्ती से दान लेते हैं। अगर वो व्यक्ति उनको भिक्षा देने से इंकार कर दे तो यहां स्थित भिक्षुक उनके साथ मारपीट भी करने लगते हैं। यह स्थिति आज सब तीर्थ स्थानों पर हो गयी है। इससे आम तीर्थ यात्री का वहां चलना या उस उद्देश्य को पूरा करना, जिस उद्देश्य से वो वहां आया था, मुश्किल हो गया है। भिक्षुक गृह हैं नहीं, हरिद्वार में एक था तो उसके लिए पर्याप्त फण्ड नहीं है, न उसमें कोई काम हुआ। पुलिस उनको पकड़कर 151 मा0द0प्र0सं0 में जेल भेजती है, कुछ दिनों में वहां से निकलकर फिर उनका यह रवैया जारी रहता है। तो मान्यवर, इनका पुनर्वास हम कैसे करें ? बहुत हट्टे कट्टे हैं, सारे काम कर सकते हैं। एक जो प्रोफेशन हमारे तीर्थ स्थानों में भिक्षा का हो गया है, इसको भी समाप्त करने की दिशा में कोई कदम उठाना चा हिए। यह मानवता के नाम पर कलंक है। मानव, मानव समान है। यदि कोई मानव दूसरे मानव को भीख देकर यह समझता है कि मैं उससे बड़ा हूं, तो यह मानवता के माथे पर कलंक है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि और योजनाओं की तो हम बात करते हैं लेकिन जो ये सबसे बड़ा कलंक है, इसको मिटाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए और जो तमाम भिखारी हैं, उनके पुनर्वास का काम हम भिक्षुक सदन के माध्यम से कर सकते हैं, उनको कोई काम सिखा सकते हैं, इस प्रकार हम भिक्षुओं की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव पर ध्यान देंगे।

श्री ज्ञान चन्द्र-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपने कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मान्यवर, जैसा कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बजट में अपने कई सुझाव दिये हैं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने काफी कसरत के बाद यह बजट तैयार किया। मान्यवर, मैं तो चाहता था कि एक नया स्टेट बना है और अभी भी बात आयी, मैंने तब भी यह कहा था कि इस स्टेट को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला है, वो इस बात को लेकर मिला है कि यहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है। मान्यवर, अभी कई लोगों ने सुझाव

दिये कि शिक्षा के अभाव में इस समाज का उत्थान नहीं हो पा रहा है। माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि मेरे क्षेत्र में जो आश्रम पद्धति द्वारा विद्यालय चलाये जा रहे हैं, जिसमें केन्द्र सरकार भी कुछ धनराशि इन विद्यालयों को देती है।

मान्यवर, आज की डेट में भी इस बात को लेकर ताज्जुब महसूस हो रहा है कि इन विद्यालयों में इसलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जो अशिक्षित मां–बाप हैं, जिन्होंने उन बच्चों को पैदा किया, उनको उच्च स्तर के लिए और मैट्रिक स्तर के इसमें विद्यालय हैं तो उसके बाद सरकार की क्या गारन्टी है कि हायर सेकेण्ड्री पास करने के बाद क्या उसके लिए कहीं नौकरी का प्राविजन किया गया है। इस बजट में। कभी माननीय मंत्री जी ने या अन्य लोगों ने इस बात को सोचा है कि मैट्रिक स्तर तक जो क्वालीफिकेशन दे रहे हैं आगे जाकर उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। यह एक चिंता का विषय है। मान्यवर, मैं तो यह कहता हूं कि भारत सरकार में अनुसूचित जाति, जनजाति मंत्रालय हैं और कई स्टेटों में हैं। यह अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य प्रदेश है और आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं 1991 के। 1991 की जनगणना के आधार पर 13 जनपदों में कुल जनसंख्या 17.50 लाख है और अनुसूचित जातियों का प्रतिशत है 3.00 और मैं तो कहता हू आपने प्राविजन तो किया है इस समय और बजट आपका प्रस्तावित हो रहा है 2001–2002 का और जनसंख्या का आधार आपने लिया है 1991 का। तो हम कैसे उन लोगों को सुविधायें दे पायेंगे। यह एक गम्भीर चिंता का विषय है। आपने चाहे छात्रवृत्ति के लिए प्रावधान किया हो, चाहे आरक्षण के लिए प्रावधान किया हो या परिसीमन के लिए प्रावधान किया हो मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा कि जब 2001 की जनगणना हो चुकी है और यह जनगणना आज तक प्रकाशित नहीं हुई है तो किस आधार पर आपने बजट का प्राविधान किया। हम लोग नये स्टेट में एक ऐसा मैसेज करना चाहेंगे कि जो समाज का पिछड़ा वर्ग है हमारी सरकार नये सिरे से कोई काम कर रही है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मायावती जी के शासनकाल में जो गांव अम्बेड़कर ग्राम घोषित हुए थे वहां पर जो सड़कों को निर्माण किया गया था और जैसे ही उनकी सरकार चली गयी वह पैसा डायवर्ट कर दिया गया अन्य योजनाओं में अधिकारियों ने उसको खर्च कर दिया।

मान्यवर, आपने विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी विधायक यहां पर होंगे उनके क्षेत्रों में जो कार्य शुरू किये गये थे जो सड़कें शुरू की गयी थी वह सड़कें अभी तक पूरी नहीं बन पायी उसमें कम्पनसेशन का भी मतभेद है उसमें अन्य लोगों को ज्यादा कम्पनसेशन दे दिया गया और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, इनको नहीं दिया। सामने की जमीन है आपको ज्यादा कम्पनसेशन दे दिया गया दूसरा कोई बहुत कमजोर व्यक्ति है उसको कम कम्पनसेशन दे दिया गया। लेकिन उसका लाभ तो पूरा समाज को मिलना है। मान्यवर, पेयजल की समस्या की बात है, पेयजल में जो ब्लाक के द्वारा 20–25 हजार रुपये उनको दिये जाते हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन योजनाओं को फिर से पुनः शुरू किया जाय ताकि उनका लाभ मिल सके और मान्यवर, इस बात में जोर देना चाहूंगा कि जो अम्बेड़कर गांव में स्वजल निर्माणाधीन है उसको पूरा किया जाय और अन्य जो स्कीम है उसको भी पूरा किया जाय।

* श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी द्वारा समाज कल्याण के प्रस्तुत बजट पर आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मा0 मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, समाज कल्याण के अन्तर्गत इसमें अन्तर्जातीय विवाह के अन्तर्गत जो अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिए मान्यवर, क्योंकि मेरे संज्ञान में कई ऐसे लोग हमारे पास आये हैं जिन्होंने अन्तर्जातीय विवाह किया है, सरकार द्वारा उन्हें अनुदान दिया जाता था लेकिन उन लोगों को अनुदान से वंचित रहना पड़ा। मैं यह चाहता हूं कि एक तो अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए एक निश्चित अनुदान राशि की उसमें व्यवस्था की जाय। दूसरा, मान्यवर, ये जो गांव की लड़की की शादी होती है जिसमें अनुदान दिया जाता है। अक्सर इसमें यह होता है कि मान्यवर, शादी की तिथि निकल जाती है लेकिन उसके कई वर्षों बाद तक उसको अनुदान नहीं मिलता है इस प्रकार से जो गरीब है वृद्ध है उनको चिकित्सा सुविधा के नाम पर जो अनुदान शासन द्वारा दिया जाता था वह नहीं मिलता, मेरे संज्ञान में बहुत से ऐसे मामले हैं मान्यवर, लोग आवेदन करते हैं लेकिन समय पर उनको अनुदान नहीं मिलता। कई लोग तो मर भी जाते हैं। तो उनकी कोई सुध नहीं ली जाती है। योजनायें तो बहुत अच्छी हैं मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बहुत अच्छा इसमें प्रयास किया है मैं सराहना करता हूं इस बात की। लेकिन मान्यवर, अनुपालन सुनिश्चित हो। इस बारे में विशेष रूप से हम को ध्यान देना चाहिए जब किसी समय आवश्यकता है अनुदान की और उस समय पर उसको अनुदान नहीं मिलेगा तो आपकी योजना का कोई अर्थ नहीं रह जाता है इसलिए सुनिश्चित किया जाना तो आवश्यक है कि उनको समय पर ऐच्छिक धनराशि का भुगतान किया जाय। किसी अधिकारी द्वारा इसमें जानबूझकर अनदेखी की जाती है, विलम्ब किया जाता है, अनावश्यक रूप से उनको अनुदान पाने से वंचित किया जाता है तो उसमें जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि उनको इस अपराध के लिए कड़ा दण्ड भी दिया जा सके।

मान्यवर, इसमें अनुसूचित जाति के लोगों की जो सामाजिक स्थिति है वह आर्थिक रूप से सुधारने के लिए मा0 मंत्री जी ने कई सारी योजनायें प्रस्तावित की हैं लेकिन उस तरफ मा0 मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, विशेष कर हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के जो बन्धु हैं, ढोल–नगाड़े बजाने का काम करते हैं वे अपनी आजीविका चलाते हैं। मान्यवर, कोई ऐसा परिवार नहीं जिससे उनका संबंध न हो लेकिन जब उसमें आधुनिकीकरण की बात आती है तो उसमें हम देखते हैं शादी विवाहों में जो समारोह होते हैं उसमें अब लोग बैण्ड बाजों की व्यवस्था ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो सरकार ने जैसे उन्हें बढईगिरी के लिए कर्ज देने की बात की है हमारा सुझाव है मा0 मंत्री जी को आपके माध्यम से मान्यवर, आपको उस दिशा में, उस पेशे में आधुनिकीकरण और बदलाव लाना चाहिए क्योंकि उ0 प्र0 में तो इसमें विचार नहीं किया जा सकता था चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ वैसे भी कम ध्यान दिया जाता था लेकिन आज हमारी अपनी सरकार है इस दिशा में हमको जरूर सोचना चाहिए। मान्यवर, जिन लोगों का यह काम है वह अपनी आर्थिक स्थिति इससे सुधार सकते हैं सरकार को ढोल–नगाड़े के साथ बैण्ड बाजे की व्यवस्था करा दें, एक अच्छा इनकम का साधन हो सकता है उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी उनको रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे तो मैं अधिक न कहते हुए मान्यवर, ये मेरे कुछ सुझाव थे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ईसम सिंह–

मान्यवर, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत समाज कल्याण निदेशालय के पुनर्गठन की बात कही गयी है, तो मेरा सुझाव यह है कि उत्तरांचल में लगभग 33 लाख जनसंख्या है, अभी समाज से संबंधित पिछड़े वर्ग का भी सही–सही आंकलन नहीं हो पाया है। एप्रोक्सीमेटली 33 लाख के आस–पास आंकलन किया गया है और एक ही विभाग में सभी को, इसमें महिला कल्याण भी है, समाज कल्याण भी है, पेंशन से संबंधित कल्याण विभाग, सैनिक भी है तो सबको इस एक विभाग में समाहित कर दिया गया है। तो मेरा सुझाव यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सैप्रेट विभाग हो जाये इसका निदेशालय बन जाये, पिछड़े वर्ग का निदेशालय बन जाये, इसके आयोग का गठन हो जाये, धन के खर्च की व्यवस्था सही हो जाये, अल्पसंख्यक आयोग का गठन हो जाये, उसका निदेशालय बन जाये, इसके साथ–साथ एक मेरा सुझाव और है विशेषकर सिड्यूल कास्ट, सिड्यूल ट्राइब, ओ0बी0सी0 और अल्पसंख्यक समाज में पिछड़े वर्ग के कुछ लोग आते हैं, तो यह जो इंकम सर्टीफिकेट की बात इनके विभाग में आती है, जब इनकी जरूरत पड़ती है तो तहसील के पटवारी को पहले पकड़ो, फिर कानूनगो के पास जाओ, फिर तहसीलदार साहब के पास जाओ, तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसमें प्राविधान यह कर दिया जाये, तो बहुत इजी हो जाय, जैसे प्रधान के माध्यम से अगर उसने संस्तुति कर दी, तो उसमें तत्काल कार्यवाही हो जानी चाहिए या उसी को मान लेना चाहिए, फिर संबंधित क्षेत्र के विधायक लोग हैं वह इसे जारी कर दें। प्रधान की संस्तुति के आधार पर उठता है तो प्रॉब्लम आती है। दूसरा सुझाव यह है, मान्यवर, एस0बी0 चौहान आयोग की रिपोर्ट 1998 में आयी, उसमें एक बात कहीं गयी है कि 72 परसेंट बच्चे शिक्षा, हाई एजूकेशन में इसलिए छोड़ देते हैं कि उनकी पारिवारिक आर्थिक समस्या होती है, आर्थिक तंगी के कारण और इसमें 80 प्रतिशत बच्चे शिड्यूल कास्ट, सिड्यूल ट्राइब के होते हैं, एस0बी0 चौहान की रिपोर्ट में यह बात कही गयी और यूनिसेफ की रिपोर्ट में यह बात कही गयी। तो मेरा सुझाव यह है कि हाई ऐजूकेशन का लाभ दिलाने के लिए सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे कि उनकी फीस की प्रॉब्लम है, उसमें व्यवस्था करा दें, बुक्स वगैरह हैं, लिट्रेचर इतना मंहगा है उसकी व्यवस्था करा दें, एक नियम बना दें, इस तरह की व्यवस्था हो यह मेरा सुझाव है। तो इसके साथ मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री नारायण राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, समाज कल्याण विभाग के बजट पर माननीय सदस्यों श्री ईसम सिंह जी, श्री सैनी जी, माननीय अम्बरीष कुमार जी, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, माननीया डॉ0 इंदिरा ह्रदयेश जी, माननीय ज्ञान चन्द्र जी, माननीय लाखीराम जोशी जी ने जो सुझाव दिये हैं वह वस्तुतः बहुत ही व्यवहारिक और अनुकरणीय सुझाव हैं। माननीय ईसम सिंह जी ने शिक्षा पर अधिक जोर दिया है और जैसा कि इस बजट साहित्य में भी स्पष्ट है कि सर्वाधिक महत्व समाज कल्याण विभाग में सभी वर्गों को शिक्षित करने पर दिया गया है और महत्व ही नहीं दिया गया है, उसके लिए अच्छी धनराशि की व्यवस्था भी की गयी है। माननीय ईसम सिंह जी ने नोडल अधिकारी बनाकर योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति को देने का सुझाव दिया है। हम इस व्यवस्था को उत्तरांचल में यथाशीघ्र प्रारम्भ

करेंगे। जहां तक अनुसूचित जाति और कमजोर वर्गों के आबादी क्षेत्र में शराब की दुकानें न खोलने का सुझाव है। यह बहुत स्वागत योग्य सुझाव है। इसको भी कड़ाई से लागू किया जायेगा। लक्ष्य बनाकर चलने की बात आपने कही है। उत्तरांचल सरकार कमजोर वर्गों के उत्थान के बारे में बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है और एक सुन्दर लक्ष्य इन वर्गों के उत्थान के लिए बनाया गया है। इसको आप लोगों के सुझाव से आगे भी बढ़ाया जायेगा।

माननीय सैनी जी ने जनपद हरिद्वार में अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को गत वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त न होने की बात कही है। यह धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देय है। हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश सरकार से इस धनराशि को हम लेंगे और अगर किसी कारण से यह धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं प्राप्त हुई तो उत्तरांचल सरकार की ओर से यह व्यवस्था करायी जायेगी। बेरोजगारों को कोई धनराशि स्वीकृति न होने की बात आपने कही है। यह बात सही है, जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि गत वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार से इस मद में भी कोई धनराशि नहीं मिली। इसीलिए इसमें भी कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हो पायी। मगर हमारा प्रयास चल रहा है कि इस दिशा में कम्पनसेट करते हुए इस वर्ष में हम व्यवस्था करेंगे और इसके लिए जो कष्ट बेरोजगारों को हुआ, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। अभिभावकों की आय की सीमा बढ़ाने की बात आपने की। आय सीमा कहीं–कहीं पर तो व्यवहारिक है लेकिन कुछ स्थानों पर 2500 रुपये है, कहीं पर 1000 रुपये है तो इसको क्या व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। इसके लिए भी हम विचार करेंगे।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, 1000 रुपये तो आज निम्न स्तर के व्यक्ति की आय भी नहीं होती, फर्जी सर्टीफिकेट बनते हैं।

श्री नारायण राम दास–

मान्यवर, इस पर विचार किया जायेगा। माननीय चौहान जी ने आश्रम पद्धति विद्यालयों की दयनीय दशा की तरफ ध्यान आकर्षित किया है और यह बात सही है कि इस बजट में कोई नये प्रस्ताव यद्यपि उतने अधिक शामिल नहीं हुए।

मान्यवर, उत्तरांचल सरकार की ओर से मेरा दावा है कि यह ऐतिहासिक वृद्धियां हुई हैं, ऐसी वृद्धियां आज तक नहीं हुई। जितनी आर्थिक क्षमता सरकार की है तो जैसे ही बढ़ेगी उस दिशा में और भी वृद्धियां की जायेंगी और रुड़की विश्वविद्यालय में एक प्रिएग्जामिनेशन कोचिंग सेन्टर खोलने की बात आपने की है। इस पर हम विचार करेंगे। मैट्रिक स्तर के विद्यालयों को 10+2 स्तर का करने की बात कही है इसके लिए धनराशि की आवश्यकता होगी जैसे ही धनराशि प्राप्त हो जायेगी हम इस पर विचार करेंगे। मदरसों को आगे बढ़ाने की बात कही है इस दिशा में उत्तरांचल सरकार ने कार्य किया है और आगे भी हम प्रयास करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में समानता न होने के कारण हीन भावना की बात कही गयी है। इस पर इनके वेतन, इनकी कार्य दशायें इन पर भी हम विचार करेंगे। छात्रवृत्ति के वितरण में अभी तक कोई शिकायत नहीं आयी है यदि आपके संज्ञान में कोई ऐसा उदाहरण हो तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। दो माध्यमिक

कन्या विद्यालय हम खोलने जा रहे हैं। इन्दिरा आवास की बात कही गयी है। इस दिशा में काफी व्यवस्था की गयी है। इसे और भी बेहतर करने का प्रयास किया जायेगा। माननीय ज्ञान चन्द्र जी ने छात्रों के प्रवेश के बारे में बात कही है। इस दिशा में अभी तक जो संज्ञान में बात आयी है कि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र नौकरी में हैं कोई बेरोजगार नहीं है।

अधिकांश लोग नौकरी में हैं।

मान्यवर, मा0 लाखी राम जोशी जी ने, मा0 ज्ञान चन्द्र जी ने एक बात कही है कि जनगणना का उदाहरण 1991 का दे रखा है। बजट 2001–2002 का कैसे बनाया यह उत्तर तो अपने आप स्पष्ट है कि जितनी धनराशि की वृद्धि होनी चाहिए, अगर कैल्कूलेशन करेंगे, 2001–2002 की जनसंख्या को ध्यान में रखते हैं तो वह व्यवहारिक रूप से उसमें वृद्धि की गयी है। मा0 लाखी राम जी ने अन्तर्जातीय विवाह में अनुदान देने की बात कही है। इसमें निश्चित राशि निर्धारित की जायेगी और प्रोत्साहित किया जायेगा। विधवा पुत्री की शादी में धनराशि दी जाती है। अन्त में मा0 इसम सिंह जी ने अल्पसंख्यक आयोग और एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 आयोग अलग बनाने पर ज्यादा जोर दिया है। तो हमारा विनम्र अनुरोध है कि हम अभी वक्फ बोर्ड और हज कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, जो कि बहुउद्देशीय कल्याण निगम के अन्तर्गत ही होगा लेकिन सभी चाहते हैं वक्फ बोर्ड हो उनके कल्याण से संबंधित निगम हो या पिछड़ा वर्ग निगम कल्याण से संबंधित हो या जनजाति से वे रहेंगे अपने अस्तित्व में लेकिन रहेगा बहुउद्देशीय कल्याण निगम के अन्तर्गत। इन्हें शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मैंने एक निवेदन किया था जो अनुदान मिलता है उसकी एक समय सीमा न होने के कारण परेशानी होती है जैसे किसी की लड़की की शादी 15 तारीख को है उसको तब तक अनुदान नहीं मिलता है जब तक कि उसकी लड़की की शादी नहीं हो जाती है। मैं चाहता हूं कि उसे एक सुनिश्चित अवधि में अनुदान मिलना चाहिए।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, उस योजना की प्रासंगिता खत्म हो जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, एक स्पष्टीकरण मा0 मंत्री जी ने आश्रम पद्धति विद्यालयों का बहुत विस्तार से बताया अधिकांश आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय भवन हैं। सब व्यवस्थायें हैं, अध्यापक हैं नहीं, इसलिए अधिकांश आश्रम पद्धति विद्यालयों में आपको अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूं वहां का कक्षा 10 का रिजल्ट शून्य जा रहा है। यह स्थिति इसलिए है कि अध्यापक हैं नहीं।

श्री रघुनाथ चौहान–

मा0 मेरे क्षेत्र में जैसी एक आश्रम पद्धति विद्यालय है उसका भवन निर्माण तो हो रहा है लेकिन एक भी शिक्षक उस आश्रम पद्धति विद्यालय में नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आ जाने दीजिये।

श्री नारायण राम दास–

मान्यवर, यह बात सही है कई आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। मेरा प्रयास रहेगा शीघ्र उस कमी को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। मैं चकरौता आश्रम पद्धति विद्यालय गया हूं, देखा भी, आपके साथ गये थे, तो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए उत्तरांचल सरकार बनी है। इसमें सहयोग की कामना आप सबसे करता हूं। मा0 ईसम सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लाने की कृपा करें।

श्री ईसम सिंह–

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15 समाज कल्याण योजना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15, समाज कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 807983 हजार (अस्सी करोड़ उन्यासी लाख तिरासी हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को मार्च/अप्रैल, 2001 का वेतन भुगतान न होने के संबंध में श्री अम्बरीष कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 मुख्यमंत्री का वक्तव्य

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

"प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को मार्च/अप्रैल, 2001 का वेतन भुगतान न होने के कारण शिक्षकों में भारी रोष है।"

[अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को माह मार्च–अप्रैल, 2001 के वेतन का भुगतान करने हेतु अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन के भुगतान सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 4 मई, 2001 को निर्गत किया गया। वित्त विभाग द्वारा माह, अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में अनुदान की स्वीकृति से अवगत कराया गया। वित्त विभाग के आदेशों के अनुक्रम में तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। स्वीकृति संबंधी आलेख पर नियमानुसार अनुमोदन, आलेख पर सहमति आय–व्ययक की पुस्तिका से धनराशि का मिलान, सीमित श्रमशक्ति एवं कार्याधिक्य के कारण वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने में प्रक्रियात्मक रूप से समय लगा है।]

नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को समाप्त न करने के संबंध में श्री इसम सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 मुख्यमंत्री का वक्तव्य

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

[वर्ष 1984 में नैनीताल शहर के सुनियोजित विकास हेतु वृहत्तर नैनीताल विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी थी जिसे 1989 में कतिपय कारणों से भंग कर दिया गया और उसके क्षेत्रों में से राजस्व ग्रामों को हटाते हुए नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी। वर्ष 1998 में नैनीताल शहर में हुए भू–स्खलन के फलस्वरूप, भारतीय भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट जुलाई, 1998 के आधार पर झील परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27 मार्च, 1999 में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि सम्पूर्ण नैनीताल शहर के मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं पुनःनिर्माण को छोड़कर सभी नव निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।

बोर्ड के उक्त प्रस्ताव से नैनीताल शहर की जनता में असन्तोष व्याप्त हुआ और मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरलीकृत करने एवं प्राधिकरण के क्रियाकलापों को लेकर प्राधिकरण हटाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ जिसके द्वारा नैनीताल नगर एवं उसके आस–पास के क्षेत्रों में दिसम्बर, 2000 में आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। उक्त समिति द्वारा उठाई गयी मांगों एवं आम जनता को हो रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए विकास प्राधिकरण, नैनीताल की दिनांक 13–1–2001 को विशेष बोर्ड की बैठक आयोजित कर प्राधिकरण की कार्य प्रणाली को जनोन्मुख व्यवहारिक एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अनेक प्रस्ताव पारित किये गये।

प्राधिकरण द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर शासन द्वारा मानचित्र निस्तारण की प्रक्रिया के सरलीकरण, अनुमन्यता शमन शुल्क लिया जाना, प्राधिकरण को कम्प्यूट्रीकृत किया जाना आदि से सम्बन्धित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त नैनीताल नगर में आवासीय भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण की अनुमान्यता हेतु भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के अनुसार जोन–3 क्षेत्रों में अधिकतम भू–आच्छादन 100 वर्ग मीटर तथा अधिकतम आच्छादित क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर, एवं जोन–4 क्षेत्रों में अधिकतम भू–आच्छादन 150 वर्ग मीटर तथा अधिकतम आच्छादित क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर तक एकल आवासीय भवनों के निर्माण की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनुमति प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में प्राधिकरण हटाओ संघर्ष समिति द्वारा उठायी गयी मांगों का निराकरण होने के कारण प्राधिकरण के विरूद्ध कोई असन्तोष नहीं है।

प्राधिकरण शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर रहा है। अतः अब नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को समाप्त किये जाने की कोई आवश्कता, प्रतीत नही होती है।]

नवगठित उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी दोनों मण्डलों (कुमायूं-गढ़वाल) के मध्य ही बनाने के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत सर्वश्री रघुनाथ सिंह चौहान, बिशन सिंह चुफाल, लाखी राम जोशी, कृष्ण चन्द्र पुनेठा, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री रघुनाथ सिंह चौहान-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि नवगठित उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी दोनों मण्डलों (कुमायूं-गढ़वाल) के मध्य ही बनायी जाये।"

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौहान जी आपका भाषण जारी रहेगा।

"उत्तरांचल राज्य की शिक्षा नीति रोजगारपरक हो" के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत श्री इसम सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री इसम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य की शिक्षा नीति रोजगारपरक हो।"

श्री अध्यक्ष-

माननीय इसम सिंह जी आपका भाषण भी जारी रहेगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15-05-2001 को नियम 51 के तहत चार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की अल्पकालिक शिक्षकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में है, जिसे मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूं।

दूसरी सूचना श्री इसम सिंह जी की कुमायूं इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा में 1992 से मैस कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों की समान कार्य, समान वेतन एवं निश्चित समय कार्य के संबंध में हैं जिसे मैं केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूं।

तीसरी सूचना श्री राम सिंह सैनी जी की देहरादून में चन्द्रलोक कालोनी (राजपुर रोड) में ए0 व बी0 लेन पर अनाधिकृत रूप से गेट लगाकर सार्वजनिक सड़कों को बन्द करने के सम्बन्ध में है जिसे मैं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित कर रहा हूं।

चौथी सूचना श्री राजेन्द्र सिंह जी की जनपद देहरादून, हरिद्वार मार्ग में बन्दरों को खाद्य वस्तुएं खिलाने के कारण हो रही गम्भीर दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में है जिसे मैं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित कर रहा हूं।

(अब हम उठते हैं कल 11 बजे पुनः बैठेंगे)

(इसके बाद सदन 7 बजकर 27 मिनट पर बुधवार 16-05-2001 अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

देहरादून :

दिनांक : 15 मई, 2001

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 विधान सभा/638-06-01-2003-200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।